13 भाषाओं में प्रकाशित

ISSN-0971-8397

मार्च 2025

75 वर्ष संविधान के

₹22

योजना

1957 से विकास को समर्पित मासिक पत्रिका

केंद्रीय बजट
2025-26

- ✓ 'विकसित भारत' 2047 का रोडमैप
- ✓ अवसंरचना के अगले मोर्चे की ओर प्रस्थान
- ✓ कर सुधार के जरिये मध्यम वर्ग को सशक्त बनाना

प्रकाशन विभाग

परीक्षा तैयारी

के लिए

हमारा संग्रह

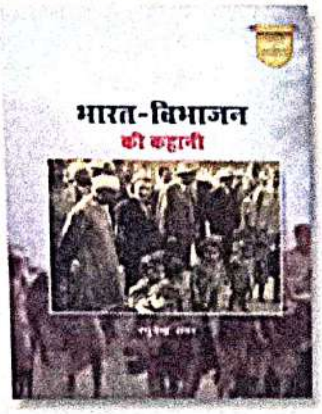

व अन्य कई ...

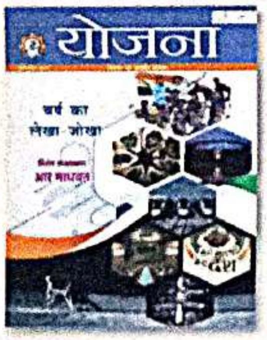

रोज़गार संबंधी जानकारी और महत्वपूर्ण समसामयिक विषयों पर गहन विश्लेषण के लिए हर सप्ताह पढ़ें **रोज़गार समाचार**

सब्सक्राइब करें : www.employmentnews.gov.in

खरीदने के लिए : www.publicationsdivision.nic.in

संपर्क करें:

पुस्तकों के लिए :	✉	businesswng@gmail.com	✆	01124365609
पत्रिकाओं के लिए:	✉	pdjucir@gmail.com	✆	01124367453

सूचना भवन, सीजीओ काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

ISSN-0971-8397
योजना
वर्ष : 69
अंक : 03
मार्च 2025
माघ-फाल्गुन, शक संवत् 1946
मूल्य : ₹22
पृष्ठ : 68

प्रधान संपादक
कुलश्रेष्ठ कमल

वरिष्ठ संपादक
डॉ ममता रानी

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
डी के सी हृदयनाथ

आवरण : बिन्दु वर्मा

संपादकीय कार्यालय
648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोदी रोड, नई दिल्ली-110003
ईमेल: yojanahindi@gmail.com

योजना का लक्ष्य देश के आर्थिक विकास से सम्बन्धित मुद्दों का सरकारी नीतियों के व्यापक संदर्भ में गहराई से विश्लेषण कर इन पर विमर्श के लिएएक जीवंत मंच उपलब्ध कराना है।

योजना में प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए योजना उत्तरदायी नहीं है।

योजना में प्रकाशित आलेखों में प्रयुक्त मानचित्र व प्रतीक आधिकारिक नहीं है, बल्कि सांकेतिक हैं। ये मानचित्र या प्रतीक किसी भी देश का आधिकारिक प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

योजना लेखकों द्वारा आलेखों के साथ अपने विश्वसनीय स्रोतों से एकत्र कर उपलब्ध कराए गए आंकड़ों/तालिकाओं/इन्फोग्राफिक्स के सम्बन्ध में उत्तरदायी नहीं है। योजना किसी भी लेख में केस स्टडी के रूप में प्रस्तुत किसी भी ब्रांड या निजी संस्थाओं का समर्थन या प्रचार नहीं करती है।

योजना घर मंगाने, शुल्क में छूट के साथ दरों व प्लान की विस्तृत जानकारी के लिए **पृष्ठ-59** पर देखें।

योजना की सदस्यता शुल्क जमा करने के बाद पत्रिका प्राप्त होने में कम से कम 8 सप्ताह का समय लगता है। इस अवधि के समाप्त होने के बाद ही योजना प्राप्त न होने की शिकायत करें।

योजना न मिलने की शिकायत या पुराने अंक मंगाने के लिए नीचे दिए गए ई-मेल पर लिखें-
pdjucir@gmail.com
या संपर्क करें-
दूरभाष : 011-24367453
(सोमवार से शुक्रवार सभी कार्य दिवस पर प्रात: 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक)

योजना की सदस्यता की जानकारी लेने तथा विज्ञापन छपवाने के लिए संपर्क करें-
अभिषेक चतुर्वेदी, संपादक, पत्रिका एकांश
प्रकाशन विभाग, कमरा सं. 779, सातवां तल,
सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोदी रोड,
नयी दिल्ली-110003

इस अंक में...

7 'विकसित भारत' 2047 का रोडमैप
वी अनंत नागेश्वरन

18 भारत का राजकोषीय संघवाद: केंद्रीय बजट 2025-26 की भूमिका
डॉ सज्जन सिंह यादव

24 बजट 2025: भारतीय अवसंरचना के अगले मोर्चे की ओर प्रस्थान
संजीव सान्याल

28 बजट 2025-26: कर सुधारों की ओर
रवि अग्रवाल

32 आर्थिक विकास के लिए उत्पादन और उपभोग में संतुलन
शिशिर सिन्हा

38 पर्यावरण अनुकूल बजट
लाबन्या प्रकाश जेना

42 सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदम
सैयद सलमान हैदर

46 महिला सशक्तीकरण : समावेशिता की दिशा में व्यावहारिक पहल
प्रो रोली मिश्रा

51 महिलाओं के प्रति हिंसा की रोकथाम : बहुक्षेत्रीय पहल
विजया किशोर रहाटकर

57 कृषि: विकास का मूल आधार

60 एनईपी 2020 के बढ़ते कदम : सुगम्यता और समावेशिता को बढ़ावा

62 निवेश: विकास का वाहक
डॉ अमिया कुमार महापात्र

आगामी अंक : कौशल भारत

प्रकाशन विभाग के देशभर में स्थित विक्रय केन्द्रों की सूची के लिए देखें पृ.सं. 56

योजना हिंदी, असमिया, बांग्ला, अंग्रेज़ी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी, ओड़िया, पंजाबी तथा उर्दू में एक साथ प्रकाशित।

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

भारत 2025

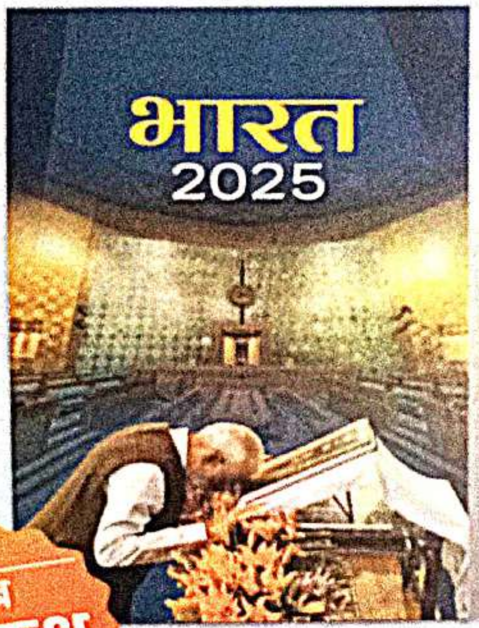

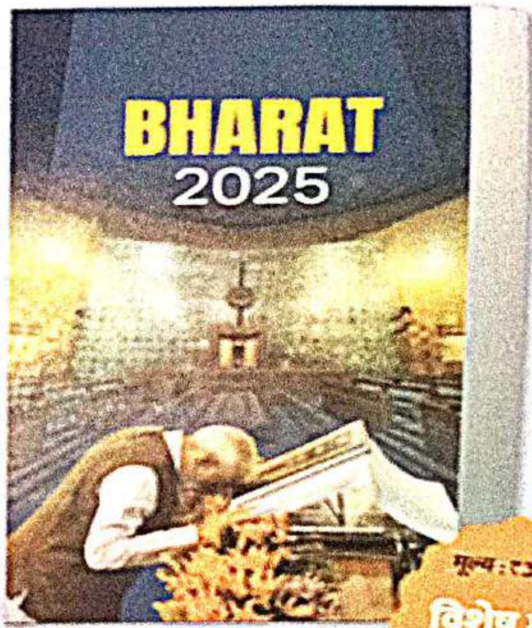

अब उपलब्ध

मूल्य : ₹340.00
विशेष मूल्य
₹306.00

भारत के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों तथा नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों का विश्वसनीय संकलन

ऑर्डर देने के लिए संपर्क करें :
फोन : 011 24365609
ईमेल : businesswng@gmail.com

ऑनलाइन खरीद के लिए www.bharatkosh.gov.in पर जाएं

वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in

अन्य उपयोगी पुस्तकों/पत्रिकाओं के लिए कृपया पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली में पधारें

@publicationsdivision | @DPD_India | @dpd_india

संपादकीय

उज्ज्वल भविष्य के लिए बजट निर्धारण

भारतीय अर्थव्यवस्था हाल के वर्षों में निरंतर प्रगति कर रही है, वैश्विक रुझानों को लगातार चुनौती दे रही है और वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण देश के रूप में भारत की स्थिति को मज़बूत बना रही है। इस विकास यात्रा की गति को कायम रखते हुए हाल ही में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025-26 ने एक स्पष्ट संकेत दिया है कि सरकार इस गति को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है जिसमें विकास को बढ़ावा देने, निवेश बढ़ाने और अपने नागरिकों के जीवन की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बजट में विकास के चार इंजनों का उल्लेख किया गया है अर्थात् कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात जिनसे अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की अपेक्षा है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा (आरबीआई)का हाल ही में रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती करके इसे 6.25 प्रतिशत तक घटाना मौद्रिक नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है क्योंकि ऐसा अपरिवर्तित दरों के लंबे समय तक चलते आने के बाद हुआ है। इस दर में कटौती से प्रणाली में नई तरलता आने की उम्मीद है। यह मौद्रिक नीति निर्णय और 12 लाख रुपये तक की आय पर कर छूट देने के सरकार का कदम प्रभावपूर्ण संयोजन है जिसमें मांग को बढ़ाकर विकास को बढ़ावा देने की संभावना है। इसके अलावा इस कदम से मध्यम वर्ग को जो आर्थिक चक्र में एक महत्वपूर्ण कड़ी है बड़ी राहत और खुशी मिली है क्योंकि इससे उनकी डिस्पोजेबल (व्यक्तिगत) आय बढ़ेगी और उन्हें अधिक वित्तीय लचीलापन मिलेगा जिससे वे अधिक आत्मविश्वास के साथ अपने भविष्य की योजना बना सकेंगे। इसका समाज के एकदम हाशिए पर पड़े वर्गों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा और उन्हें गरीबी से मुक्त होने और बेहतर जीवन की आकांक्षा करने की क्षमता हासिल होगी।

भारत सरकार कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है और इस क्षेत्र को नवीनतम बजट आवंटन इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है। कृषि अवसंरचना कोष ने कटाई के बाद के प्रबंधन में सुधार के लिए 87,500 से अधिक परियोजनाओं के लिए 52,738 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना से इस अत्यधिक पौष्टिक फसल की खेती और विपणन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है जिससे इस क्षेत्र के सैकड़ों किसान लाभान्वित होंगे। इसके अतिरिक्त असम में 12.7 लाख टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला नया यूरिया संयंत्र आयातित यूरिया पर देश की निर्भरता को कम करने में मदद करेगा जिससे यह अपने किसानों की उर्वरक संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में अधिक आत्मनिर्भर बन जाएगा।

केंद्रीय बजट 2025-26 ने एक समर्पित समुद्री विकास कोष की स्थापना के साथ भारत के समुद्री विकास को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐतिहासिक पहल की शुरुआत की है। जैसा कि वित्त मंत्री ने घोषणा की है यह कोष उद्योग के लिए एक गेम-चेंजर होगा जो जहाज निर्माण और अन्य समुद्री बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए किफायती और नियमित पूंजी तक पहुंच प्रदान करेगा।

इस जटिल परिदृश्य में आगे बढ़ते हुए हमें उन प्रतिकूल परिस्थितियों से भी सतर्क रहना चाहिए जिनका सामना दुनिया कर रही है। युद्धों ने तेल की आपूर्ति और व्यापार मार्गों को बाधित किया है जिससे कीमतें बढ़ रही हैं और अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। इस अशांत परिदृश्य में भारत को इन चुनौतियों का सावधानीपूर्वक सामना करना होगा ताकि विकास का लाभ निर्धनतम व्यक्ति तक पहुंचना सुनिश्चित हो सके।

यह अंक 8 मार्च को मनाये जाने वाले अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का भी स्मरण करता है। यह हमें इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए महिलाओं की अदम्य प्रतिबद्धता और योगदान की याद दिलाता है। उनके संघर्ष, उनकी सफलताएं और अटूट हौसला हम सभी के लिए प्रेरणादायी हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों पर काबू पाने और महानता हासिल करने और अर्थव्यवस्था में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए मानवीय आत्मविश्वास की शक्ति का उदाहरण हैं। इस संदर्भ में योजना का यह अंक विशेष रूप से प्रासंगिक है क्योंकि यह केंद्रीय बजट 2025-26 पर केंद्रित है जिसमें इस क्षेत्र से जुड़े चुनिंदा सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों, नीति विश्लेषकों और शोधकर्ताओं के लेख शामिल हैं। ❑

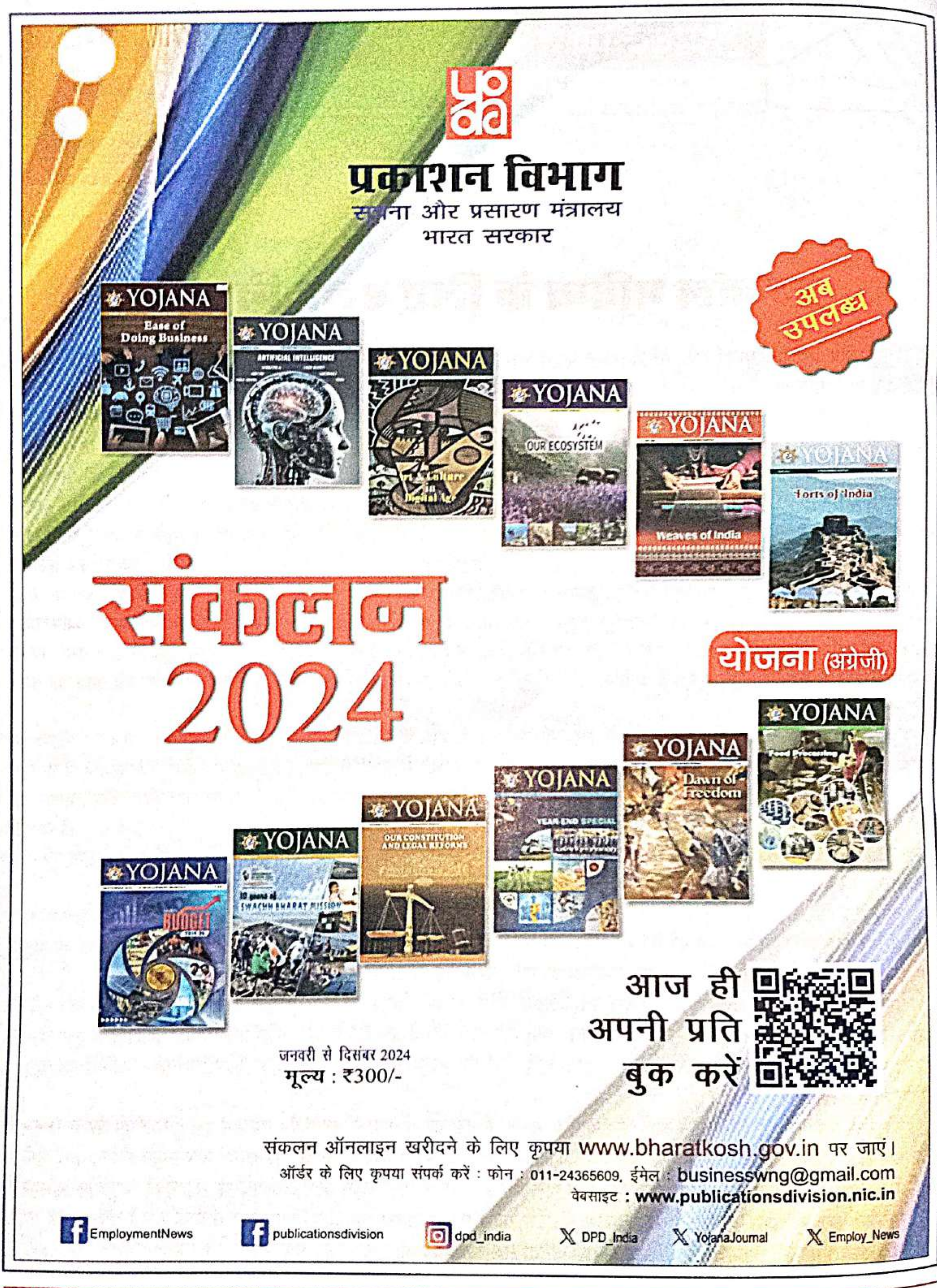
प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
अब उपलब्ध
YOJANA
Ease of Doing Business
YOJANA
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
YOJANA
YOJANA
OUR ECOSYSTEM
YOJANA
Weaves of India
YOJANA
Forts of India
संकलन
2024
योजना (अंग्रेजी)
YOJANA
Food Processing
YOJANA
Dawn of Freedom
YOJANA
YEAR END SPECIAL
YOJANA
OUR CONSTITUTION AND LEGAL REFORMS
YOJANA
10 years of SWACHH BHARAT MISSION
YOJANA
BUDGET
आज ही अपनी प्रति बुक करें
जनवरी से दिसंबर 2024
मूल्य : ₹300/-
संकलन ऑनलाइन खरीदने के लिए कृपया www.bharatkosh.gov.in पर जाएं।
ऑर्डर के लिए कृपया संपर्क करें : फोन : 011-24365609, ईमेल : businesswng@gmail.com
वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in
EmploymentNews
publicationsdivision
dpd_india
DPD_India
YojanaJournal
Employ_News

'विकसित भारत' 2047 का रोडमैप

वी अनंत नागेश्वरन | मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार। ईमेलः cea@nic.in

2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा आर्थिक, जनसांख्यिकीय और भू-राजनीतिक वास्तविकताओं से प्रेरित है। 1991 के सुधारों ने भारत के परिवर्तन की नींव रखी। उच्च विकास को बनाए रखने के लिए वैश्विक बदलावों के अनुकूल होना और आंतरिक विकास वाहकों को पुनर्जीवित करना आवश्यक है। इसमें व्यापक आधार वाला विनियमन, एक मज़बूत विनिर्माण आधार का निर्माण, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना और सरकार, निजी क्षेत्र तथा शिक्षाविदों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना शामिल है। विनियमन प्रतिस्पर्धी कारोबारी माहौल को बढ़ावा देता है, विनिर्माण शक्ति रोज़गार पैदा करती है और ऊर्जा सुरक्षा निरंतर विकास में सहायता करती है। पूंजी और श्रम के बीच उचित आय वितरण स्थिरता और समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इन प्राथमिकताओं को अपनाने से अगले दो दशकों और उससे आगे के लिए भारत की विकास गति निर्धारित होगी।

1991 के सुधारों ने वैश्वीकरण की ताकतों का लाभ उठाकर भारत को दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाने की नींव रखी है। भुगतान संतुलन के गंभीर संकट और स्थिर अर्थव्यवस्था का सामना करते हुए, भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के रास्ते पर कदम रखा था। इन सुधारों ने न केवल नीति-निर्माताओं द्वारा अपनाई गई विचार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया, बल्कि एक विकसित राष्ट्र की ओर भारत की यात्रा को तेज़ करने की आकांक्षा को भी मूर्त रूप दिया। उन्होंने दशकों से भारत की आर्थिक रणनीतियों को परिभाषित करने वाली संरक्षणवादी नीतियों को खत्म कर दिया और देश को विदेशी निवेश, व्यापार तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए खोल दिया। तुरंत कार्रवाई करके किए

ये बदलाव महामारी से प्रेरित झटकों के लिए केवल एक अस्थायी प्रतिक्रिया नहीं हैं, बल्कि संभावित रूप से एक संरचनात्मक बदलाव को चिह्नित करते हैं जो राष्ट्रों के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के तरीके को फिर से परिभाषित करता है।

इन विचारों के आलोक में, 2047 तक विकसित भारत की ओर हमारी यात्रा में उच्च विकास को बनाए रखना एक बड़ी उपलब्धि है। अब तक हम जिन विकास वाहकों पर निर्भर रहे हैं, वे हमें आगे बढ़ने के लिए आवश्यक गति प्रदान करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, भू-आर्थिक विखंडन संभावित रूप से भारत के सामने पहले से मौजूद चुनौतियों को बढ़ा सकता है। ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन इनमें प्रमुख हैं और वे भारत के उत्पादन, खरीद और अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के तरीके को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। इसी तरह, भारत को 2036 तक सालाना 78.5 लाख नए गैर-कृषि रोज़गार सृजित करने होंगे, 100 प्रतिशत साक्षरता हासिल करनी होगी, अपने शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता विकसित करनी होगी और बड़े पैमाने तथा गति से उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे का विकास करना होगा। इसलिए, 2047 तक एक विकसित अर्थव्यवस्था में बदलने के हमारे दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए भारत को एक बार फिर इन बदलती परिस्थितियों के अनुकूल ढलना होगा और विकास के आंतरिक वाहकों को फिर से सक्रिय करना होगा।

गए इस बदलाव ने भारत को तेज़ी से एकीकृत वैश्विक वातावरण से लाभान्वित होने के लिए प्रेरित किया। इसने आर्थिक विकास को गति दी, रोज़गार सृजित किए और हमारे औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्रों का विस्तार किया।

हमारे अतीत के सबक हमें दिखाते हैं कि आज हमारे देश को जिस मज़बूत आर्थिक बुनियादी ढांचे से लाभ मिल रहा है, वे दो महत्वपूर्ण कारकों का परिणाम थेः एक बदलती विश्व व्यवस्था और दूसरा, इन परिवर्तनों को अपनाने तथा उनका लाभ उठाने के उद्देश्य से भारत की नीतियां। आज, लगभग तीस साल बाद, एक ऐसी ही स्थिति हमारे सामने आ खड़ी हुई है, जो यह दर्शाती है कि अब समय आ गया है कि हम उन विकास प्रतिमानों पर फिर से विचार करें, जिन्होंने अब तक हमारा मार्गदर्शन किया है। वैश्विक व्यवस्था बदल रही है, जो उस वैश्वीकृत युग के अंत को चिह्नित करती है, जिसने कभी हमारे तेज़ आर्थिक विस्तार को बढ़ावा दिया था। संरक्षणवाद की लहरों, व्यापार की गतिशीलता को फिर से आकार देने और बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों के कारण हमारी घरेलू विकास संभावनाओं के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां उभर रही हैं। प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं जो कभी एक मुक्त और खुले वैश्विक बाज़ार के सिद्धांतों की हिमायती थीं, अब सीमा पार निर्भरता की तुलना में घरेलू परिवर्तनशीलता को प्राथमिकता देते हुए, अपने ही देश में रास्ते खोजने के प्रयास कर रही हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं पर ज़ोर देने के लिए आपूर्ति शृंखलाओं को फिर से तैयार किया जा रहा है।

बिना किसी अनुकूल बाहरी स्थितियों के आंतरिक विकास वाहकों पर निर्भर रहना हमारे विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की कुंजी है। इस प्रकार घरेलू वाहकों को उत्प्रेरित करना चार मुख्य प्राथमिकताओं को पूरा करने पर निर्भर करता हैः व्यापक आधार वाला विनियमन, एक मज़बूत विनिर्माण आधार का निर्माण, भारत की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील ऊर्जा परिवर्तन और सरकार, निजी क्षेत्र तथा शिक्षाविदों के बीच त्रिपक्षीय समझौता। चूंकि भारत एक बदलते वैश्विक परिदृश्य के चौराहे पर खड़ा है, इसलिए उच्च विकास को बनाए रखने और अपनी विकासात्मक आकांक्षाओं को प्राप्त करने की इसकी क्षमता इस बात पर निर्भर करेगी कि यह अपनी आर्थिक रणनीतियों को कितने प्रभावी ढंग से नया रूप देता है। साहसिक सुधारों को अपनाकर और घरेलू परिवर्तनशीलता को बढ़ावा देकर, भारत एक खंडित विश्व व्यवस्था की चुनौतियों का सामना कर सकता है और अपने नागरिकों के जीवन स्तर में प्रभावी

सुधार करना जारी रख सकता है।

निम्नलिखित खंडों में, हम चार प्राथमिकताओं में से प्रत्येक पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं और उनके महत्व तथा उन्हें सक्षम करने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहलों पर प्रकाश डाल रहे हैं।

विकास के लिए विनियमन

जैसा कि पहले बताया गया है, विनियमन विशेष रूप से 1991 के ऐतिहासिक सुधारों के दौरान भारत के आर्थिक परिदृश्य को आकार देने में एक महत्वपूर्ण शक्ति रहा है। भारत ने लाइसेंस और परमिट के जटिल जाल, जिसे सामूहिक रूप से लाइसेंस राज के रूप में जाना जाता है और जिसने पहले उद्यमशीलता की गतिविधि को रोक दिया था, उसे खत्म करके महत्वपूर्ण आर्थिक क्षमता के लिए रास्ता खोला है। इस बदलाव ने एक अधिक व्यापार-अनुकूल वातावरण को सुविधाजनक बनाया है और पर्याप्त विदेशी निवेश को आकर्षित किया है, जिससे आर्थिक विकास में तेज़ी आई। हालांकि, यह 'एक बार की' और पूर्ण रणनीति नहीं थी, बल्कि एक सतत प्रक्रिया थी जिसे भारत सरकार पिछले एक दशक से जारी रखे हुए है। भारत के नीतिगत फोकस ने व्यापक प्रक्रिया और शासन सुधारों के लिए आधार स्थापित करते हुए विनियमन की तात्कालिकता के बारे में भी जागरुकता का प्रदर्शन किया है।

2014 से, उच्च कीमत वाली कई वस्तुओं में सुधार किए गए हैं, जिनमें 20,000 से अधिक अनुपालन को तर्कसंगत बनाना, 300 क़ानूनों में दंड को हटाना/सरल बनाना और प्रमुख क्षेत्रों तथा समूहों को अद्वितीय लाभ प्रदान करके व्यवसायों को प्रोत्साहित करना शामिल है। केंद्र सरकार ने शासन और प्रक्रियात्मक सुधारों को लागू करके, कर क़ानूनों को सरल बनाकर, श्रम विनियमों को युक्तिसंगत बनाकर और व्यवसाय से संबंधित क़ानूनों को अपराधमुक्त करके विनियमन को आगे बढ़ाया है। उदाहरण के लिए, वन विनियमों में सुधार पेश किए गए हैं ताकि उन बाधाओं को दूर किया जा सके जो पहले व्यवसायों को बुनियादी गतिविधियों को करने से रोकती थीं, जैसे कि उनकी संपत्ति से मुख्य सड़क तक मार्ग का निर्माण करना। अन्य संरचनात्मक सुधारों में माल और सेवा कर (जीएसटी), दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) शामिल हैं, जिसने कॉर्पोरेट नवीनीकरण से निपटने के लिए एक रूपरेखा स्थापित की, रियल एस्टेट विनियमन अधिनियम (रेरा), जिसने रियल एस्टेट क्षेत्र को साफ करने में मदद की और इंडिया स्टैक (यूआईडी, यूपीआई, डीबीटी) की शुरुआत की, जिसने प्रक्रिया की अक्षमताओं को कम करने और सिस्टम में लीकेज को रोकने में मदद की। इन प्रयासों ने राज्यों के लिए सुधारों के अगले चरण को शुरू करने के लिए मंच तैयार किया है, जिनकी तत्काल आवश्यकता है और जो परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण क्षमता प्रदान करते हैं।

विनियमन निरंतर आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक है, जो एक ऐसा वातावरण विकसित करता है जहां व्यवसाय फल-फूल सकते हैं, निवेश स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सकते हैं, फर्म आसानी से बाज़ार में प्रवेश कर सकती हैं या बाहर हो सकती हैं और रोज़गार सृजन में तेज़ी आ सकती है। अत्यधिक विनियमन अक्सर व्यवसायों, विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों (एसएमई) पर उच्च लागत लगाता है, जो जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाओं का मार्गदर्शन करने के लिए संघर्ष करते हैं। उदाहरण के लिए, जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में उजागर किया गया है, एसएमई अपने औद्योगिक भूखंड का लगभग 50 प्रतिशत भवन मानकों के कारण खो सकते हैं, जबकि कड़े काम के घंटे निर्माताओं को त्यौहारों के दौरान मांग में वृद्धि को पूरा करने से रोकते हैं। अत्यधिक विनियमन न केवल हमारे उद्योगों को बाधित करता है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण मानव पूंजी के निर्माण को भी रोकता है। वर्तमान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के नियम संस्थानों को अपने डिग्री कार्यक्रमों के लिए अपने पाठ्यक्रम की पेशकश को लचीले ढंग से बदलने और बदलती

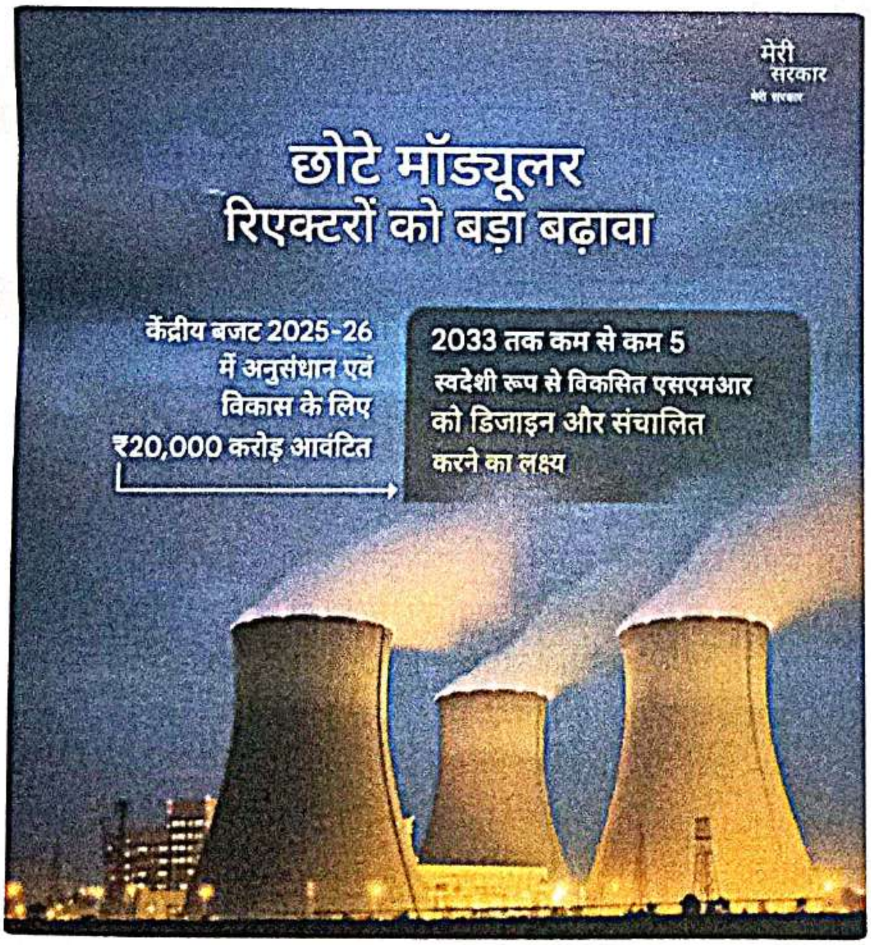

बाज़ार मांगों के लिए प्रदान की जाने वाली शिक्षा को अनुकूलित करने से रोकते हैं।

एक सुनियोजित विनियमन-मुक्ति रणनीति प्रतिस्पर्धा को बढ़ाती है, नवाचार को बढ़ावा देती है और निजी निवेश को आकर्षित करती है, जो दीर्घकालिक आर्थिक परिवर्तनशीलता के लिए आवश्यक है। यह किराए की मांग और भ्रष्टाचार की गुंजाइश को भी कम करता है, यह सुनिश्चित करता है कि संसाधनों को नियामक लालफीताशाही से निपटने में बर्बाद होने के बजाय कुशलतापूर्वक आवंटित किया जाए। विनियमन, व्यापार के अनुकूल माहौल बनाकर व्यापार करने में आसानी को प्राथमिकता देता है और उद्योगों को बाज़ार की मांगों तथा तकनीकी प्रगति के लिए गतिशील रूप से प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाता है। इसी तरह, हमारे शैक्षणिक संस्थानों, संकाय और विद्यार्थियों को उभरती चुनौतियों के लिए नए समाधान विकसित करने का जिम्मा सौंपना हमारे युवाओं में नवाचार और गुण-दोष विवेचन सोच की भावना को बढ़ावा देकर मानव पूंजी की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाने में योगदान देगा।

विनियमन-मुक्ति ने अतीत में काम किया है और भारत के नियामक वातावरण के व्यावहारिक पहलुओं को समझना, विकास को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अध्याय 7 ने इस परिकल्पना का समर्थन किया है, क्योंकि व्यापार करने में आसानी वाले उच्च स्कोर वाले राज्यों ने पिछले कुछ वर्षों में औद्योगिक गतिविधि के उच्च स्तर का प्रदर्शन किया है। ये निष्कर्ष विनियमन में अंतरराष्ट्रीय अनुभवों के अनुरूप हैं, जिनके कारण उपभोक्ता कल्याण में वृद्धि हुई है, उद्योगों में प्रतिस्पर्धा तथा नवाचार में बढ़ोतरी हुई है और आर्थिक विकास पर आम तौर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

बजट में की गई हाल की पहल सुधारों और विनियमन के माध्यम से विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आयकर अधिनियम को सरल बनाने से लेकर द्विपक्षीय निवेश संधियों को अधिक निवेशक-अनुकूल बनाना, व्यापार और जीवन सुगमता को बढ़ाना, अधिक विश्वास-आधारित शासन की दिशा में एक सराहनीय कदम है। इसके अलावा, सभी गैर-वित्तीय क्षेत्र के विनियमन और आवश्यकताओं की समीक्षा करने के लिए राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में नियामक सुधारों के लिए एक उच्चस्तरीय समिति की स्थापना देश के कारोबारी माहौल को बदलने और विकास के अवसरों को खोलने में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

ऐसे युग में जहां वैश्विक आपूर्ति शृंखलाएं बदल रही हैं और अर्थव्यवस्थाएं अपनी निर्भरता का पुनर्मूल्यांकन कर रही है, ऐसे देश जो परिवर्तशील और कुशल नियामक ढांचे को बढ़ावा देते हैं, वे प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल करने की स्थिति में हैं। विनियमन के माध्यम से आर्थिक स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करना घरेलू उद्योगों को मज़बूत करता है और किसी राष्ट्र को वैश्विक निवेश के लिए अधिक आकर्षक गंतव्य बनाता है। संक्षेप में, संधारणीय और समावेशी विकास अत्यधिक विनियमनों द्वारा लगाई जाने वाले रुकावटों को कम करने पर निर्भर करता है, जिससे व्यवसायों और व्यक्तियों को अपनी क्षमता को अधिकतम करने की क्षमता हासिल होती है।

बल गुणक के रूप में विनिर्माण

इतिहास में, विनिर्माण शक्ति किसी राष्ट्र की आर्थिक सक्षमता का प्रतीक रही है। विनिर्माण की धूम चोल या गुप्त जैसे प्राचीन साम्राज्यों, यूरोप भर में मध्ययुगीन साम्राज्यों, 19वीं सदी में ब्रिटेन और 20वीं सदी में अमरीका के केंद्र में थी। पूर्वी एशिया ने लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाया, युवा आबादी को कुशल बनाया और 1970 के दशक में शुरू हुई विनिर्माण लहर के बल पर उन्हें कार्यबल में शामिल किया। पूर्वी एशियाई चमत्कार के पोस्टर चाइल्ड के रूप में चीन के, 2030 तक अकेले ही अमरीका और उसके सहयोगियों की बराबरी करने या उन्हें पछाड़ने के लिए वैश्विक विनिर्माण में 45 प्रतिशत की

हिस्सेदारी हासिल करने की उम्मीद है। वर्ष 2000 में, चीन ने तीन दशक पहले, वैश्विक विनिर्माण में 6 प्रतिशत की हिस्सेदारी की थी।

विनिर्माण के तीन पहलू इसे एक बल गुणक बनाते हैं। सबसे पहले विनिर्माण विकास, संबंधों का एक नेटवर्क बनाता है जो ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज हो सकता है। एक ओर, ये संबंध एक आत्मनिर्भर ऊर्ध्वाधर रूप से जुड़े पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर सकते हैं, जैसे कि वियतनाम की 'फाइबर-टू-फैशन' फर्म या कोरिया की पोत निर्माण कंपनियां। दूसरी ओर, क्षैतिज संबंध कई औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्रों को जन्म देते हैं जो शामिल फर्मों और प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में परस्पर व्याप्त होते हैं। जैसा कि अब स्पष्ट है, कई परस्पर व्याप्त उद्योगों में चीन की ताकत ने इसके औद्योगिक नीति प्रयासों के लिए एक मिश्रित प्रभाव बनाने में मदद की है।

दूसरा, विनिर्माण विकास फर्म स्तर पर कौशल विकास को बढ़ावा देता है। इससे गरीब अर्थव्यवस्थाओं को लाभ होता है जो शिक्षा में भारी निवेश करने में सक्षम नहीं हैं। उदाहरण के लिए, फर्में पूर्वी एशिया में औद्योगिक शिक्षा के साधन थे, जिसके कारण इन देशों ने सीमित संसाधनों के बावजूद युवा, अकुशल जनसांख्यिकी की क्षमता का दोहन किया। तीसरा, एक बढ़ता हुआ विनिर्माण क्षेत्र, बदले में, दृढ़ बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए दबाव डालता है, शासन को सुचारु बनाता है और विनियामक बोझ को कम करता है। 19वीं सदी का इंग्लैंड औद्योगिक विकास का एक उदाहरण है, जिसने बदले में शासन सुधारों को बढ़ावा दिया। हर्नांडो डी सोटो ने अपनी पुस्तक 'द मिस्ट्री ऑफ कैपिटल' में लिखा है कि अंग्रेजों ने जब तक अपने संस्थानों, सार्वजनिक सेवा वितरण और बेहतर शासन में सुधार नहीं किया था तब तक औद्योगिक क्रांति का आगाज नहीं हुआ था।

भारत के लिए 2030 तक हर साल लगभग 80 लाख लोगों को रोजगार देने में सक्षम होने के लिए, विनिर्माण को बढ़ाना महत्वपूर्ण होने जा रहा है। भारत सरकार ने बाहरी निर्भरता को कम करने और रोजगार सृजन में विनिर्माण क्षेत्र, विशेष रूप से सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्यमों (एमएसएमई) की क्षमता को पहचाना है। यह घरेलू उत्पादन को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते विनिर्माण-विशिष्ट और संबद्ध क्षेत्र की नीतियों को महत्व देने में परिलक्षित होता है। एमएसएमई के लिए ऋण बाधाओं को एमएसई और टीआरईडीएस (व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली) के लिए ऋण गारंटी योजना जैसी पहलों के माध्यम से कम किया गया है, जिससे वित्त वर्ष 2024 तक 1.38 लाख करोड़ रुपये के वित्तपोषण की सुविधा मिली है। हाल ही में शुरू की गई यूएलआई का उद्देश्य वास्तविक समय के जोखिम मूल्यांकन के माध्यम से ऋण लागत को कम करना है। बुनियादी ढांचे की उन्नति ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, 2014 और 2024 के बीच भारतीय बंदरगाहों पर औसत प्रत्यावर्तन का समय आधा हो गया है, जिससे वे अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की तुलना में अधिक कुशल हो गए हैं। यह दक्षता लाभ विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में भारत की वृद्धि में परिलक्षित होता है, जो 2014 में 54वें स्थान से 2023 में 38वें स्थान पर पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2025-26 का बजट राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन, एमएसएमई सीमा में वृद्धि और उन्नत ऋण गारंटी कवर जैसी पहलों के माध्यम से विनिर्माण और एमएसएमई को और अधिक समर्थन प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, हाल ही में शुरू की गई म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना, 100 करोड़ रुपये तक की मशीनरी और उपकरण खरीदने वाले एमएसएमई को 60 प्रतिशत ऋण गारंटी प्रदान करती है, जो वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में की गई प्रतिबद्धता को पूरा करती है।

प्रौद्योगिकी-गहन क्षेत्र भी देश के भविष्य को आकार देंगे। वैश्विक अर्थव्यवस्था उद्योग 4.0 की ओर बढ़ रही है, जिसकी विशेषता ए आई यानी कृत्रिम मेधा, रोबोटिक्स, आटोमेशन, सेमिकंडक्टर, जैव प्रौद्योगिकी और हरित ऊर्जा समाधान हैं। भारत को 21वीं सदी में स्वयं को अग्रणी के रूप में स्थापित करने के लिए इन क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं का तेज़ी से विस्तार करना चाहिए। इस संबंध में, भारत ने

केन्द्रीय बजट 2025-26

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

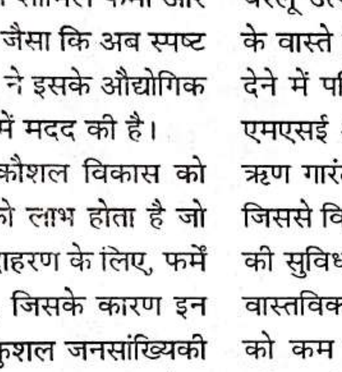

औद्योगिक वस्तुओं के लिए सीमा शुल्क टैरिफ संरचना का युक्तिकरण

- 2023-24 के बजट में हटाई गई सात टैरिफ दरों के अलावा सात टैरिफ दर हटाई जाएगी।
- कुछ वस्तुओं को छोड़कर प्रवासी शुल्क भार को व्यापक रूप से बनाए रखने के लिए उपयुक्त उपकर लागू किया जाएगा।
- सामाजिक कल्याण अधिभार से उन 82 टैरिफ लाइनों को छूट दी जाएगी जो उपकर के अधीन हैं।

वित्तीय क्षेत्र में सुधार और विकास

- बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत की जाएगी।
- पेंशन उत्पादों के विनियामक समन्वय और विकास के लिए फोरम की स्थापना की जाएगी।
- केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए 2025 में संशोधित केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री शुरू की जाएगी।

अच्छी शुरुआत की है और उच्च-प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना स्कोरकार्ड ने प्रभावशाली प्रदर्शन दिखाया है। सफेद वस्तुओं के लिए पीएलआई ने भारत में एयर कंडीशनर के लिए एक आत्मनिर्भर, पूर्ण मूल्य श्रृंखला बनाने में सहायता की है। साथ ही, दूरसंचार क्षेत्र में 60 प्रतिशत का आयात प्रतिस्थापन हासिल किया गया है। सौर फोटोवोल्टिक्स, बैटरी भंडारण और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे उद्योगों में उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं विनिर्माण को बढ़ावा देती हैं और भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाती हैं।

इन दिशाओं में प्रगति को बनाए रखने की आवश्यकता है, और ऐसा करने के लिए, सही औद्योगिक नीति महत्वपूर्ण है जो श्रम और पूंजी की खपत को संतुलित करती है। युवाओं के उच्च अनुपात के साथ भारत के जनसांख्यिकीय लाभ को देखते हुए, बड़े पैमाने पर रोज़गार और सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए श्रम-गहन विकास महत्वपूर्ण है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि प्रौद्योगिकी-गहन विकास की उपेक्षा की जानी चाहिए। प्रौद्योगिकी-गहन उद्योग, श्रम-गहन क्षेत्रों को पूरी तरह से बदलने के बजाय उनका पूरक हो सकते हैं और उन्हें ऐसा करना चाहिए। श्रम-गहन क्षेत्र बड़े कार्यबल को अवशोषित कर सकते हैं जबकि प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर नौकरियों को पूरी तरह से खत्म किए बिना विनिर्माण, रसद और आपूर्ति श्रृंखला दक्षता को बढ़ाया जा सकता है। यह विभिन्न क्षेत्रों में व्यवस्थित विनियमन के साथ, एक व्यवहार्य मित्तलस्टैंड, यानी भारत का एसएमई क्षेत्र तैयार करेगा।

सरकार हालांकि उद्योगों के लिए एक अनुकूल नीति पारिस्थितिकी तंत्र बनाती है, युवा भारत की उद्यमशीलता की भावना औद्योगिक विकास को गति प्रदान करेगी। दीर्घकालिक औद्योगिक विकास, न केवल फर्मों और उद्योग के लिए बल्कि उद्यमियों के लिए भी एक आत्म-नवीनीकरण प्रक्रिया है। यह नवीनीकरण 'जुगाड़' से आगे बढ़कर दीर्घकालिक उत्पादकता वृद्धि की ओर देखने से होता है। ऐसा तब होता है जब आकांक्षाएं वैश्विक होती हैं और उद्यमी अब छोटे तालाब में बड़ी मछली बनकर संतुष्ट नहीं रहते।

ऊर्जा सुरक्षा

जलवायु परिवर्तन और हरित ऊर्जा परिवर्तन भारत की आर्थिक वृद्धि को स्पष्ट रूप से प्रभावित करते हैं। पश्चिमी देशों द्वारा अपनाई गई ऊर्जा परिवर्तन नीतियों ने अक्सर अनपेक्षित आर्थिक परिणामों को जन्म दिया है, जिसमें विऔद्योगीकरण और ऊर्जा की बढ़ती कीमतें शामिल हैं। जीवाश्म ईंधन से दूर जाने की अपनी हड़बड़ी में, कई विकसित अर्थव्यवस्थाओं ने विश्वसनीय और किफायती नवीकरणीय विकल्प हासिल किए बिना पारंपरिक बिजली संयंत्रों को समय से पहले बंद कर दिया है। इसका परिणाम ऊर्जा लागत में वृद्धि, विनिर्माण को कम प्रतिस्पर्धी बनाना और उद्योगों को विदेश में स्थानांतरित करना रहा है। उदाहरण के लिए, यूरोप भू-राजनीतिक कारकों और नीतिगत गलतियों के कारण ऊर्जा संकट से जूझता रहा है, जो ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक मज़बूत ढांचे के बिना अचानक परिवर्तन के जोखिमों को उजागर करता है।

तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में, भारत को इन नुकसानों से बचना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका ऊर्जा परिवर्तन इसके दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों के अनुरूप हो। आर्थिक इतिहास से एक महत्वपूर्ण सबक यह भी है कि औद्योगीकरण ऊर्जा की उपलब्धता और सामर्थ्य से गहराई से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आर्थिक इतिहासकार प्रोफेसर पीटर टेमिन ने तर्क दिया, 'आधुनिक तकनीक ने उच्च मजदूरी और सस्ती बिजली के संदर्भ में औद्योगिक क्रांति के नवाचारों को आगे बढ़ाया है। हालांकि, ये कारक मूल्य अफ्रीका और एशिया के कई क्षेत्रों में विशिष्ट नहीं हैं और आधुनिक तकनीक वहां उतनी लाभदायक नहीं है जितनी दुनिया के अन्य उच्च मजदूरी वाले हिस्सों में है।' इस पर ध्यान से सोचें। 'उच्च मजदूरी और सस्ती बिजली'। भारत और अन्य विकासशील देशों के लिए

ऊर्जा परिवर्तन के क्या निहितार्थ हैं?

संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य औद्योगिक महाशक्तियों का उदय प्रचुर और सस्ती ऊर्जा के स्रोतों तक पहुंच पर आधारित था, जिससे बड़े पैमाने पर विनिर्माण और आर्थिक विस्तार संभव हुआ। भारत के लिए लागत प्रभावी ऊर्जा आपूर्ति बनाए रखना आवश्यक है, जिसका उद्देश्य उच्च विकास दर को बनाए रखना और मेक इन इंडिया जैसी पहलों के तहत अपने विनिर्माण आधार का विस्तार करना है। वैश्विक औसत का केवल एक तिहाई प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन होने के बावजूद, भारत कम कार्बन विकास पथ के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि, इसे अपने बदलाव को इस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए कि ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक प्रतिस्पर्धा को प्राथमिकता मिले। अक्षय ऊर्जा भंडारण की उच्च लागत, महत्वपूर्ण खनिजों तक सीमित पहुंच और अंतरराष्ट्रीय जलवायु वित्त के अपर्याप्त प्रवाह जैसी चुनौतियों के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। पश्चिमी देशों जिन्होंने अपने ऊर्जा बदलावों में सहयोग प्राप्त करने के लिए व्यापक सरकारी सब्सिडी और वित्तीय बाज़ारों पर भरोसा किया है, उसके विपरीत, भारत ने मुख्य रूप से अपने प्रयासों को घरेलू स्तर पर वित्त पोषित किया है, जिसमें अनुकूलन व्यय वित्त वर्ष 2016 और वित्त वर्ष 2022 के बीच सकल घरेलू उत्पाद के 3.7 प्रतिशत से बढ़कर 5.6 प्रतिशत हो गया है।

भारत की रणनीति चरणबद्ध और तकनीकी रूप से समावेशी दृष्टिकोण के इर्द-गिर्द बनाई जानी चाहिए। अक्षय ऊर्जा का विस्तार किया जाना चाहिए, लेकिन मौजूदा पारंपरिक ऊर्जा बुनियादी ढांचे को समय से पहले खत्म करने की कीमत पर ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। हाल ही में केंद्रीय बजट में परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए की गई पहल और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ प्रौद्योगिकी विनिमय की सुविधा देने वाले मौजूदा क़ानूनों में संशोधन, ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय हैं जो 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु क्षमता के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। ऊर्जा आपूर्ति को बनाए रखने के अलावा, पर्यावरण के लिए जीवनशैली (लाइफ) आंदोलन जैसी पहलों के माध्यम से मांग प्रबंधन, जो टिकाऊ खपत और चक्रिय अर्थव्यवस्था सिद्धांतों को बढ़ावा देता है, और देश भर में सार्वजनिक परिवहन पहुंच का विस्तार, भारत के परिवर्तन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं की गलतियों से सीखकर और संधारणीयता को सामर्थ्य के साथ संतुलित करने वाली, परिवर्तनशील रणनीति को लागू करके, भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि इसकी ऊर्जा नीतियां औद्योगिक विकास में बाधा न डालें बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक परिवर्तनशीलता के लिए उत्प्रेरक का काम करें।

समृद्ध भारत के लिए त्रिपक्षीय सहमति

मैथ्यू सी क्लेन और माइकल पेटिस ने अपनी रचना- 'ऑल ट्रेड वार्स आर क्लास वार्स' में इस बात पर प्रकाश डाला है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान ने किस तरह सरकार, निजी क्षेत्र और श्रमिकों के एक-दूसरे के प्रति दायित्वों की स्पष्ट मान्यता के कारण खुद को एक विकसित और औद्योगिक देश में सफलतापूर्वक बदल दिया। यह सरकार, निजी क्षेत्र और श्रमिकों के एक-दूसरे के प्रति दायित्वों की स्पष्ट मान्यता के कारण है।

पूंजी और श्रम के बीच एक निष्पक्ष और उचित आय वितरण दीर्घकालिक स्थिरता को सुरक्षित करने के लिए अनिवार्य है। यह, मांग को बनाए रखने और मध्यम से दीर्घ अवधि में कॉर्पोरेट राजस्व और लाभप्रदता वृद्धि का समर्थन करने के लिए आवश्यक है। फिर से, आर्थिक इतिहासकार पीटर टेमिन का हवाला देते हुए, औद्योगिक क्रांति की उत्पत्ति पर उनके शोधपत्र से पता चलता है कि ब्लैक डेथ के कारण श्रमिकों की कमी हुई जिससे वास्तविक मजदूरी में वृद्धि की गई और इसने श्रम की कमी वाले पश्चिम में प्रौद्योगिकी और पूंजी-आधारित विकास के पक्ष में तराजू को झुका दिया। दुर्भाग्य से, श्रम-समृद्ध समाजों ने भी विभिन्न ऐतिहासिक

केंद्रीय बजट 2025-26

कैसे खर्च होगा केंद्र सरकार का पैसा

pib

2025-26 के लिए बजट अनुमान, ₹ करोड़ में

कुल: **50,65,345**

ब्याज	12,76,338
परिवहन	5,48,649
रक्षा	4,91,732
प्रमुख सब्सिडी	3,83,407
पेंशन	2,76,618
ग्रामीण विकास	2,66,817
गृह (संघ राज्य क्षेत्र सहित)	2,33,211
कर प्रशासन	1,86,632
कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	1,71,437
शिक्षा	1,28,650
स्वास्थ्य	98,311
शहरी विकास	96,777
आईटी और दूरसंचार	95,298
ऊर्जा	81,174
वाणिज्य और उद्योग	65,553
वित्त	62,924
सामाजिक कल्याण	60,052
वैज्ञानिक विभाग	55,679
विदेश मामले	20,517
पूर्वोत्तर का विकास	5,915
अन्य	4,82,653

और सामाजिक कारणों से उसी टेम्पलेट का पालन किया है या उन्हें इसका पालन करना पड़ा है। हालांकि, सामाजिक स्थिरता और दीर्घकालिक लाभप्रदता इस बात पर निर्भर करती है कि निजी क्षेत्र पूंजी विनियोजन और श्रम रोज़गार के बीच सही संतुलन बनाए रखे। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि तकनीकी प्रगति विनिर्माण क्षेत्र को नया रूप देती है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग (3डी प्रिंटिंग) का एकीकरण भारतीय उद्योगों को अधिक कुशल और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बना रहा है। हालांकि, इस बदलाव के लिए रोज़गार पर इसके प्रभाव पर सावधानीपूर्वक विचार करना आवश्यक है। जबकि स्वचालन और एआई-संचालित प्रणालियां उत्पादकता बढ़ाती हैं, वे कम-कुशल श्रम की मांग को कम करती हैं, जिससे समावेशी आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए कार्यबल को फिर से प्रशिक्षित करने की पहल की आवश्यकता होती है। यदि भारत को उत्पादन के कारकों के बीच एक नाजुक संतुलन प्राप्त करते हुए अपने आंतरिक विकास चालकों को सफलतापूर्वक शक्ति प्रदान करनी है, तो निजी क्षेत्र, शिक्षा और सरकार के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि विकास समावेशी हो और इसकी बड़ी आबादी को व्यापक लाभ मिले।

सरकार को श्रम-गहन और प्रौद्योगिकी-संचालित उद्योगों को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों को लागू करना चाहिए, ताकि बड़े पैमाने पर नौकरी के नुकसान के बिना एक सहज परिवर्तन सुनिश्चित हो सके। स्किल इंडिया और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार, उभरते उद्योगों के लिए कार्यबल को सुसज्जित करेगा, जबकि स्वचालन, एआई और उन्नत विनिर्माण के लिए अनुसंधान और विकास में मज़बूत सार्वजनिक-निजी भागीदारी, नवाचार को बढ़ावा दे सकती है। एमएसएमई को किफायती ऋण और तकनीकी सहायता के साथ सहयोग देना उन्हें वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए आवश्यक है।

इस बीच, निजी क्षेत्र को कौशल विकास कार्यक्रमों में निवेश करना चाहिए, समावेशी स्वचालन रणनीतियों को अपनाना चाहिए जो बड़े पैमाने पर नौकरी के विस्थापन के बिना उत्पादकता को बढ़ाते हैं, और रोज़गार पैदा करने के लिए ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में विनिर्माण कार्यों का विस्तार करते हैं। स्थानीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को मज़बूत करने से विदेशी इनपुट पर निर्भरता भी कम होगी और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए निजी क्षेत्र की ओर से रणनीतिक, दीर्घकालिक सोच की आवश्यकता होगी। बेहतर कार्यस्थल संस्कृतियों को बढ़ावा देने पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि खराब स्थितियां नियोजित लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं।

शिक्षा और अनुसंधान को मज़बूत उद्योग-अकादमिक सहयोग के माध्यम से औद्योगिक जरूरतों के साथ जोड़ना महत्वपूर्ण है। 'स्टैम शिक्षा', व्यावसायिक प्रशिक्षण और अनुप्रयुक्त अनुसंधान पर अधिक ध्यान देने से श्रम-गहन और प्रौद्योगिकी-गहन दोनों उद्योगों का सहयोग होगा, जबकि उद्यमिता तथा नवाचार केंद्रों को बढ़ावा मिलेगा जो आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देंगे और नए रोज़गार के अवसर पैदा करेंगे। भारत एक सुव्यवस्थित दृष्टिकोण के माध्यम से आर्थिक विकास और रोज़गार सृजन का समर्थन करते हुए एक सहज औद्योगिक परिवर्तन सुनिश्चित कर सकता है।

निष्कर्ष

भारत की 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की यात्रा महज एक आकांक्षा नहीं है, बल्कि आर्थिक, जनसांख्यिकीय और भू-राजनीतिक वास्तविकताओं द्वारा निर्धारित एक आवश्यकता है। अतीत ने दिखाया है कि संरचनात्मक सुधारों और बाज़ार-उन्मुख नीतियों द्वारा संचालित समयबद्ध सुधार, अर्थव्यवस्था को उच्च विकास की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण रहे हैं। हालांकि, वैश्विक प्रतिकूलताओं और घरेलू चुनौतियों के लिए एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

आर्थिक विखंडन के युग में उच्च विकास को बनाए रखने के लिए आंतरिक विकास वाहकों पर नए सिरे से ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इसका मतलब है कि अधिक प्रतिस्पर्धी कारोबारी माहौल को बढ़ावा देने के लिए विनियमन को गहरा करना, बड़े पैमाने पर रोज़गार पैदा करने के लिए विनिर्माण को पुनर्जीवित करना, एक व्यावहारिक तथा स्थाई ऊर्जा परिवर्तन सुनिश्चित करना और सरकार, निजी क्षेत्र तथा शिक्षाविदों के बीच अधिक तालमेल बनाना। इनमें से प्रत्येक तत्व एक दूसरे पर निर्भर है - विनिर्माण शक्ति विनियामक सहजता पर निर्भर करती है, ऊर्जा सुरक्षा औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को रेखांकित करती है, और तकनीकी प्रगति को कार्यबल विकास के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए।

भारत एक निर्णायक क्षण पर खड़ा है। आज नीतिगत विकल्पों का परस्पर प्रभाव यह निर्धारित करेगा कि हम एक परिवर्तनशील, उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेंगे या मध्यम आय के जाल में फंसे रहेंगे। इस परिवर्तन को प्राप्त करने में एक स्थिर व्यापक आर्थिक ढांचा, विश्वसनीय शासन और नवाचार-संचालित निजी क्षेत्र महत्वपूर्ण होंगे। इतिहास से सबक स्पष्ट है कि जो राष्ट्र बदलते प्रतिमानों के साथ तेज़ी से अनुकूलन करते हैं, वे फलते-फूलते हैं, जबकि जो इसमें देरी करते हैं वे पीछे रह जाते हैं। इस वास्तविकता को अपनाने की भारत की क्षमता अगले दो दशकों और उससे आगे के लिए इसके विकास पथ को परिभाषित करेगी। ❑

मेक इन इंडिया 2.0

'मेक इन इंडिया' पहल 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया इसका उद्देश्य निवेश को बढ़ावा देना, नवाचार को बढ़ावा देना, अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचे का निर्माण करना और भारत को विनिर्माण, डिज़ाइन और नवाचार का केंद्र बनाना है। वर्तमान में, मेक इन इंडिया 2.0 विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों में कार्यान्वित **27 क्षेत्रों** पर केंद्रित है। मेक इन इंडिया 2.0 के अंतर्गत क्षेत्रों की सूची अनुलग्नक ए में दी गई है।

विनिर्माण क्षेत्र

1. एयरोस्पेस और रक्षा
2. ऑटोमोटिव और ऑटो घटक
3. फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरण
4. जैव-प्रौद्योगिकी
5. पूंजीगत माल
6. वस्त्र एवं परिधान
7. रसायन और पेट्रोरसायन
8. इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम)
9. चमड़ा एवं जूते
10. खाद्य प्रसंस्करण
11. रत्न एवं आभूषण
12. शिपिंग
13. रेलवे
14. निर्माण
15. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा

सेवा क्षेत्र

1. सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी-आधारित सेवाएं (आईटी और आईटीईएस)
2. पर्यटन और आतिथ्य सेवाएं
3. मेडिकल वैल्यू ट्रैवल
4. परिवहन और रसद सेवाएं
5. लेखा और वित्त सेवाएं
6. ऑडियो विजुअल सेवाएं
7. क़ानूनी सेवाओं
8. संचार सेवाएं
9. निर्माण और संबंधित इंजीनियरिंग सेवाएं
10. पर्यावरण सेवा
11. वित्तीय सेवाएं
12. शिक्षा सेवाएं

सरकार ने विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई नीतिगत पहल की हैं जिनमें आत्मनिर्भर भारत पैकेज, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) और राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) के तहत निवेश के अवसर, भारत औद्योगिक भूमि बैंक (आईआईएलबी), औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली (आईपीआरएस), राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) का सॉफ्ट लॉन्च आदि शामिल हैं। भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों में परियोजना विकास कक्षों (पीडीसी) के रूप में तेज़ी से निवेश के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया गया है। उपरोक्त सभी पहल/योजनाएं विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में लागू की गई हैं।

भारत के आत्मनिर्भर बनने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण उपायों में से एक, भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं की घोषणा की गई है। पीएलआई योजनाओं की घोषणा के साथ, अगले पांच वर्षों और उससे अधिक समय में उत्पादन, कौशल, रोज़गार, आर्थिक विकास और निर्यात में महत्वपूर्ण सुधार की उम्मीद है। अब तक, देश भर में 14 क्षेत्रों में 764 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं।

विभिन्न विभागों और मंत्रालयों की चल रही योजनाओं के अतिरिक्त, सरकार ने भारत में घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। वस्तु एवं सेवा कर की शुरूआत, कॉर्पोरेट कर में कमी, व्यापार करने में आसानी, एफडीआई नीति सुधार, अनुपालन बोझ में कमी के उपाय, सार्वजनिक खरीद आदेशों के माध्यम से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के उपाय, चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) और क्यूसीओ (गुणवत्ता नियंत्रण आदेश) आदि इनमें शामिल कुछ हैं।

मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत गतिविधियां सभी केन्द्रीय सरकारी मंत्रालयों/विभागों और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भी संचालित की जा रही हैं। मंत्रालय अपने अधीन आने वाले क्षेत्रों के लिए कार्य योजनाएं, कार्यक्रम, स्कीमें और नीतियां तैयार करते हैं, जबकि राज्यों के पास भी निवेश आकर्षित करने के लिए अपनी योजनाएं हैं। ❑

स्रोतः निवेश संवर्धन अनुभाग, डीपीआईआईटी

भारत का राजकोषीय संघवादः केंद्रीय बजट 2025-26 की भूमिका

डॉ सज्जन सिंह यादव | भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में अपर सचिव।
ईमेलः authorsajjan@gmail.com

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया 2025-26 का केंद्रीय बजट राजकोषीय संघवाद के माध्यम से 'विकसित भारत' पर ज़ोर देता है। बजट का आधार चार स्तंभ हैं: करों और शुल्कों का अधिक अंतरण, पूंजीगत व्यय के लिए विशेष सहायता, उच्च अनुदान सहायता और राज्यों के लिए उच्च उधार सीमा। केंद्र सरकार ने 2020-21 में पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता देने के लिए योजना शुरू की। योजना का असर अत्यधिक सकारात्मक रहा है। यही वजह है कि राजकोषीय घाटे को कम करने की चुनौती के बावजूद यह सहायता जारी है। 2025-26 के बजट में केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए 5,41,850 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। कृषि को विकास का प्रमुख इंजन मानते हुए इसके लिए महत्वपूर्ण पहलों की घोषणा की गई है। जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ा दिया गया है। शिक्षा सुधारों में नई अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं और आईआईटी के लिए विस्तारित बुनियादी ढांचा शामिल है। बजट केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं और प्रौद्योगिकी-आधारित विकास एजेंडे के माध्यम से राज्यों में युक्तिपूर्ण निवेश का समर्थन करता है। राज्यों के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.5% के अतिरिक्त उधार प्रावधान की घोषणा की गई है जिससे राज्यों के लिए 2 लाख करोड़ रुपये उपलब्ध होंगे। यह बजट सहकारी और प्रतिस्पर्धी राजकोषीय संघवाद के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को मज़बूती प्रदान करता है।

एक फरवरी, 2025 को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपने बजट भाषण के दौरान, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 'विकसित भारत' की परिकल्पना को आगे बढ़ाने और बनाए रखने के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप प्रस्तुत किया। भारत के विकास पथ पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि अगले पांच साल 'सबका विकास' को साकार करने और संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने का एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करते हैं।

वित्त मंत्री ने बार-बार इस बात पर जोर दिया कि 'विकसित भारत' की परिकल्पना को साकार करना केंद्र और राज्यों के बीच मज़बूत साझेदारी पर निर्भर करता है। यह सहयोग न केवल आर्थिक विकास के लिए बल्कि देश के विविध भौगोलिक परिदृश्य में संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। बजट में उल्लिखित अनेक विकासात्मक योजनाएं और रणनीतिक पहल इस बात को रेखांकित करती है कि राजकोषीय संघवाद इस लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रमुख साधन होगा।

राजकोषीय संघवाद

जर्मन अर्थशास्त्री रिचर्ड मुसग्रेव द्वारा विकसित अवधारणा 'राजकोषीय संघवाद' संघीय व्यवस्था में सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच वित्तीय संबंध और संसाधन आवंटन का वर्णन करती है। भारत में इसका तात्पर्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय शक्तियों और जिम्मेदारियों के बंटवारे से है।

राजकोषीय संघवाद भारत के आर्थिक शासन की रीढ़ है। भारतीय संविधान संघ और राज्यों की वित्तीय भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। यह विभाजन संविधान की सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से संरचित है जो प्रत्येक स्तर पर विधायी और कराधान शक्तियों को निर्दिष्ट करता है। कर संग्रह में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज असंतुलन को दूर करने के लिए कर हस्तांतरण, अनुदान सहायता और केंद्र से राज्यों को अन्य राजकोषीय अंतरण जैसे तंत्र वित्तीय स्थिरता और न्यायसंगत विकास सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

राजकोषीय संघवाद को मज़बूत करनाः प्रगति का एक दशक पिछले एक दशक में केंद्र सरकार ने राजकोषीय संघवाद के लिए एक मज़बूत नींव रखी है। राजकोषीय अनुशासन पर ज़ोर देते हुए भी इसने यह सुनिश्चित किया है कि राज्यों को संसाधन अंतरण से किसी प्रकार समझौता न किया जाए। यह प्रतिबद्धता केंद्र से राज्यों को संसाधनों के सकल अंतरण में पर्याप्त वृद्धि में परिलक्षित होती है।

सकल अंतरण 2013-14 में 5.35 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 (बीई) में 21.12 लाख करोड़ रुपये हो गया है। केंद्रीय बजट 2025-26 ने इसे और बढ़ाकर 25,59,764 करोड़ रुपये कर दिया है। ग्राफ-1 में दर्शाए गए वर्ष-वार आंकड़े इन अंतरण में लगातार बढ़ते रुझान को उजागर करते हैं। संसाधनों के सकल अंतरण में केंद्रीय करों और शुल्कों का हस्तांतरण, केंद्र से अनुदान और राज्यों को दिए गए सकल ऋण शामिल हैं। यह स्थिर वृद्धि सहकारी संघवाद और संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए केंद्र की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

केंद्रीय बजट 2025-26: राजकोषीय संघवाद का चार स्तंभ मॉडल

2025-26 का केंद्रीय बजट राजकोषीय संघवाद को मज़बूत करने और संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, प्रमुख क्षेत्रों का पोषण करना और मध्यम वर्ग को कर राहत प्रदान करना है। बजट राजकोषीय

भारत में राजकोषीय संघवाद से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 270:** संघ और राज्यों के बीच लगाए गए और वितरित किए जाने वाले करों से संबंधित है।
- **अनुच्छेद 275:** संघ से राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों से संबंधित है।
- **अनुच्छेद 279 एः** जीएसटी परिषद के गठन से संबंधित है। जीएसटी परिषद का दायित्व वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित मामलों पर संघ और राज्य सरकारों को सिफारिशें प्रदान करना है।
- **अनुच्छेद 280:** संघ और राज्यों के बीच कर आय के वितरण, राज्यों को अनुदान और राज्य और स्थानीय सरकार के कोष को बढ़ाने के उपायों की सिफारिश करने के लिए हर पांच साल में वित्त आयोग के गठन से संबंधित है।
- **अनुच्छेद 282:** बताता है कि संघ और राज्य किसी भी विशिष्ट उद्देश्य के लिए अनुदान दे सकते हैं भले ही वह संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए जा सकने वाले क़ानूनों के दायरे में न हो। यह विधायी प्राधिकरण के बरतरफ विभिन्न परियोजनाओं के वित्तपोषण में लचीलापन देता है।
- **अनुच्छेद 293:** राज्यों को राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर धन उधार लेने की कार्यकारी शक्ति प्रदान करता है जो कुछ मामलों में भारत सरकार की सहमति के अधीन है।

ग्राफ 1: केंद्र से राज्यों को सकल अंतरण

विकेंद्रीकरण को बढ़ाने और राज्यों को सशक्त बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए चार-स्तंभ मॉडल पर तैयार किया गया है। ये स्तंभ हैं:

i. राज्यों को करों और शुल्कों के अंतरण में वृद्धि
ii. पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता
iii. राज्यों को उच्च अनुदान सहायता
iv. राज्यों को उच्च उधार सीमा

स्तंभ-1: केंद्रीय करों और शुल्कों का उच्च अंतरण

राज्यों को केंद्रीय करों और शुल्कों का अंतरण भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित वित्त आयोग की सिफारिशों द्वारा निर्देशित होता है। यह समझते हुए कि मज़बूत राज्य एक मज़बूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं केंद्र सरकार ने 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार अंतरण में 31% से 42% तक की जबरदस्त वृद्धि को माना। 15वें वित्त आयोग ने इस सिद्धांत को बरकरार रखा और राज्यों के लिए 41% हिस्सेदारी की सिफारिश की, जिसमें जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठन के कारण 1% की कटौती की गई। इन सिफारिशों को केंद्र ने पूरी तरह से स्वीकार कर लिया।

उच्च कर अंतरण राजकोषीय संघवाद को मज़बूत करने और अधिक मुक्त संसाधन प्रदान करके राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह लचीलापन राज्यों को उनकी खास आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियों को नया रूप देने और लागू करने में सक्षम बनाता है जिससे क्षेत्रीय चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान होता है।

केंद्रीय बजट 2025-26 राज्यों को कुल 14,22,444 करोड़ रुपये (बीई) के करों और शुल्कों के अंतरण का प्रस्ताव करके इस प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। यह 2024-25 (बीई) में 12,47,211 करोड़ रुपये से 14.01 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है। यह भारत के विकास में राज्यों को समान भागीदार बनाने के लिए केंद्र की निष्ठा को दर्शाता है।

स्तंभ-2: पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता

पूंजीगत व्यय का उच्च गुणक प्रभाव होता है जो अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता को बढ़ाता है और दीर्घकालिक आर्थिक विकास को गति देता है। इसके महत्व को समझते हुए केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान राजकोषीय दबावों के बावजूद 2020-21 में पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता की योजना शुरू की। इस पहल के तहत राज्य सरकारों को 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता मिली जिसका उद्देश्य विशेष रूप से पूंजी निवेश को बढ़ावा देना था।

इस योजना का प्रभाव अत्यधिक सकारात्मक रहा है जिससे केंद्र सरकार को इसे आने वाले वर्षों में भी जारी रखने की प्रेरणा मिली। बढ़ते राजकोषीय अवरोधों के बावजूद सरकार ने इस पहल के तहत आवंटन का विस्तार किया है। इस योजना के तहत वर्ष-वार लागत और व्यय में लगातार वृद्धि देखी गई है जैसा कि तालिका-1 में दर्शाया गया है।

इस योजना ने राज्यों को मुक्त धनराशि प्रदान की है जिससे

उन्हें किसी भी क्षेत्र में पूंजी निवेश के लिए संसाधन आवंटित करने का अधिकार मिला है। इसके अतिरिक्त इसने राज्यों को शहरी नियोजन, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण, किसान रजिस्ट्री को लागू करना और पुराने वाहनों को हटाने सहित नागरिक-केंद्रित क्षेत्रों में प्रमुख सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया है।

2024-25 (बीई) में राजकोषीय घाटे को 4.9 प्रतिशत से घटाकर 2025-26 (बीई) में 4.4 प्रतिशत करने की कठिन चुनौती के बावजूद वित्त मंत्री ने इस पहल के प्रति अटूट प्रतिबद्धता दिखाई है। राज्यों की मांगों को स्वीकार करते हुए उन्होंने 2025-26 में इस योजना के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये के पर्याप्त परिव्यय का प्रस्ताव दिया है। यह आवंटन न केवल पूंजीगत व्यय को प्रेरित करेगा बल्कि राज्यों को महत्वपूर्ण सुधारों को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करेगा जिससे केंद्र सरकार के सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद की परिकल्पना को बल मिलेगा।

स्तंभ-3: केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान सहायता

केंद्र से राज्यों को अनुदान सहायता भारत में सहकारी राजकोषीय संघवाद को सुदृढ़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रणाली के रूप में कार्य करती है। इन अनुदानों में वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित आवंटन के साथ-साथ केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए धनराशि शामिल है। सीएसएस केंद्र द्वारा तैयार की जाती हैं और राज्यों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। इन योजनाओं की लागत केंद्र और राज्यों के बीच साझा की जाती है।

2025-26 के बजट अनुमानों में वित्त मंत्री ने न केवल सीएसएस के लिए परिव्यय में पर्याप्त वृद्धि का प्रस्ताव दिया है बल्कि कृषि, मत्स्य पालन और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे विशेष रूप से राज्य सूची या समवर्ती सूची में आने वाले क्षेत्रों में योजनाओं और कार्यक्रमों के एक आशाजनक संग्रह की भी घोषणा की है। 2025-26 के बजट में सीएसएस के लिए 5,41,850 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं जो पिछले वित्तीय वर्ष के बजट अनुमानों में आवंटित 5,05,978 करोड़ रुपये से काफी अधिक वृद्धि को दर्शाता है।

घोषित की गई कुछ सबसे महत्वपूर्ण नई पहलों पर नीचे चर्चा की गई है।

कृषि

कृषि को आर्थिक वृद्धि और विकास का मुख्य इंजन माना गया है जिस पर वित्त मंत्री का विशेष ध्यान है। किसानों को लाभ पहुंचाने और कृषि विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कई नई योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

क. प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना – कृषि जिलों का विकास कार्यक्रमः आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता से प्रेरित इस पहल का लक्ष्य 100 जिलों के 1.7 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाना है। यह कम उत्पादकता, सामान्य फसल सघनता और औसत से कम ऋण मापदंडों वाले जिलों को लक्षित करेगी। राज्यों के सहयोग से यह कार्यक्रम कृषि उत्पादकता बढ़ाने, फसल विविधीकरण और टिकाऊ प्रणालियों को बढ़ावा देने, सिंचाई में सुधार करने और अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण उपलब्धता का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

तालिका-1: पूंजीगत व्यय/निवेश के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता हेतु योजनाओं के अंतर्गत आवंटन एवं व्यय (करोड़ रुपये में)

वर्ष	आवंटन	व्यय
2020-21	12,000	11,830.29
2021-22	15,000	14,185.78
2022-23	1,00,000	81,195.35
2023-24	1,30,000	1,09,554.30
2024-25 (04.02.2025 तक)	1,50,000	1,11,001.30

उधार और अन्य देयताएं:	24 पैसे	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं:	8 पैसे
निगम कर:	17 पैसे	केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं:	16 पैसे
आय कर:	22 पैसे	ब्याज अदायगी:	20 पैसे
सीमा शुल्क:	4 पैसे	रक्षा:	8 पैसे
केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क:	5 पैसे	आर्थिक सहायता:	6 पैसे
जीएसटी और अन्य कर:	18 पैसे	वित्त आयोग और अन्य अंतरण:	8 पैसे
कर-भिन्न प्राप्तियां:	9 पैसे	करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा:	22 पैसे
ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियां:	1 पैसे	पेंशन:	4 पैसे
		अन्य व्यय:	8 पैसे

ख. दलहन में 'आत्मनिर्भरता': तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देते हुए छह- वर्षीय 'दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन' की घोषणा की गई है। इस पहल के लिए 1,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जिसमें केंद्र सरकार की एजेंसियां अगले चार वर्षों तक इन तीन दालों को उन किसानों से खरीदने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो उनके साथ समझौता करते हैं।

ग. सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम: इस पहल का उद्देश्य किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करते हुए सब्जियों और फलों के उत्पादन, आपूर्ति दक्षता और प्रसंस्करण को बढ़ाना है। केंद्र सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और सहकारी समितियों को शामिल करते हुए संस्थागत तंत्र स्थापित करेगी।

घ. कपास उत्पादकता मिशन: कपास की खेती की उत्पादकता और वहनीयता में उल्लेखनीय सुधार करने के लिए पंच-वर्षीय 'कपास उत्पादकता मिशन' की घोषणा की गई है। यह पहल कपास की अधिक लंबे रेशे वाली किस्मों को भी बढ़ावा देगी जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और भारत के पारंपरिक कपड़ा क्षेत्र को फिर से जीवंत करने के लिए गुणवत्तापूर्ण कपास की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

इस क्षेत्र की अन्य प्रमुख पहलों में उच्च उपज वाले बीजों पर मिशन और सतत मत्स्य पालन विकास के लिए एक सक्षम ढांचा शामिल है।

ग्रामीण विकास

क. 'ग्रामीण सम्पन्नता और क्षमता-निर्माण': वित्त मंत्री ने कृषि में अल्परोजगार से निपटने के लिए राज्यों के सहयोग से एक व्यापक बहु-क्षेत्रीय ''ग्रामीण सम्पन्नता और क्षमता निर्माण' कार्यक्रम की घोषणा की। यह कार्यक्रम कौशल, निवेश, प्रौद्योगिकी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। यह विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं, युवा किसानों, ग्रामीण युवाओं, सीमांत और छोटे किसानों और भूमिहीन परिवारों को लक्षित करेगा। इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त अवसर पैदा करना है और यह सुनिश्चित करना कि प्रवास एक आवश्यकता के बजाय एक विकल्प बन कर रह जाए।

ख. जल-जीवन मिशन: वित्त मंत्री ने कुल परिव्यय में वृद्धि के साथ 2028 तक जल जीवन मिशन के विस्तार का भी प्रस्ताव दिया है। इस मिशन का उद्देश्य 'जन भागीदारी' के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) का 100% कवरेज हासिल करना है।

शहरी विकास

बजट भाषण में शहरी बुनियादी ढांचे और आजीविका को बढ़ाने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई।

क. शहरी आजीविका को मज़बूत करना: शहरी श्रमिकों की आय में सुधार, स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने और उनके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए एक नई योजना की घोषणा की गई।

ख. पीएम स्वनिधि: इस योजना ने पहले ही 68 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडरों को उच्च ब्याज वाले अनौपचारिक क्षेत्र के ऋणों से राहत प्रदान करके लाभान्वित किया है। अब इसे बैंक ऋण में बढ़ोतरी , यूपीआई-लिंक्ड क्रेडिट कार्ड और क्षमता-निर्माण सहायता के साथ नया रूप दिया जाएगा।

ग. शहरी चुनौती निधि: वित्त मंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपये के शहरी चुनौती कोष की स्थापना की घोषणा की। यह कोष 'शहरों के विकास केंद्र', 'शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास' और 'जल एवं स्वच्छता' के तहत परियोजनाओं की सहायता करेगा जो बैंक योग्य परियोजना लागत का 25 प्रतिशत तक वित्तपोषण करेगा।

घ. ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना: बढ़ती गिग अर्थव्यवस्था को समझते हुए सरकार एक करोड़ गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने की योजना बना रही है। उन्हें ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत किया जाएगा और पीएम जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सेवा कवरेज प्राप्त होगी।

शिक्षा

केंद्रीय बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र में महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी सुधारों की रूपरेखा पेश गई है। छात्रों के बीच नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अगले पांच वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को भारतनेट परियोजना के तहत ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्राप्त होगी

जिससे अध्ययन संबंधी संसाधनों तक निर्बाध डिजिटल पहुंच सुनिश्चित होगी।

आईआईटी में छात्रों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बजट में इस वृद्धि को समायोजित करने के लिए बुनियादी ढांचे के विस्तार का भी प्रावधान किया गया है। भविष्य के लिए तैयार शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना है जिसके लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इन प्रयासों का उद्देश्य अत्याधुनिक तकनीक का लाभ उठाकर भारतीय छात्रों को ऐसे कौशल से लैस करना है जो उनकी रोज़गार क्षमता को बढ़ाएं और उन्हें वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाएं।

केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के माध्यम से विकास को बढ़ावा

केंद्रीय बजट 2025-26 केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के माध्यम से राज्यों में युक्तिपूर्ण निवेश के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ता प्रदान करता है जिसमें प्रस्तावित आवंटन 2024-25 (बीई) में 63,614.67 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 (बीई) में 76,758.45 करोड़ रुपये हो गया है। ये योजनाएं नवाचार, बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती हैं । ये ऐसे क्षेत्र हैं जो आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण प्रवर्तक के रूप में काम करते हैं।

प्रौद्योगिकी आधारित विकास एजेंडा इस बजट की एक निर्धारक खूबी है। निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान, विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ रुपये का कोष निर्धारित किया गया है। इसके अलावा डीप टेक फंड ऑफ फंड्स जैसी पहल का उद्देश्य अगली पीढ़ी के स्टार्टअप की सहायता करना है। आधारभूत भू-स्थानिक बुनियादी ढांचे और डेटा के विकास पर केंद्रित राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन भारत के डिजिटल परिवर्तन को और आगे बढ़ाएगा।

विमानन आधारित आर्थिक विस्तार की संभावनाओं को

समझते हुए सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) उड़ान 2.0 की घोषणा की है - जो हवाई संपर्क बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वाकांक्षी पहल है। अगले 10 वर्षों में इस योजना से 4 करोड़ से अधिक यात्रियों के लिए यात्रा की सुविधा मिलने की उम्मीद है जबकि 120 नए गंतव्यों को जोड़ने से पर्यटन, व्यापार और स्थानीय आर्थिक विकास के लिए नए मार्ग प्रशस्त होंगे।

समुद्री क्षेत्र में भारत की परिकल्पना के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए साहसिक प्रयास किए गए हैं। समुद्री विकास कोष की स्थापना, समुद्री जहाज निर्माण वित्तीय सहायता नीति का पुनर्गठन और एक नई क्षमता विकास योजना भारतीय समुद्री जहाज निर्माण उद्योग को पुनर्जीवित करने, इसे वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने और सतत विकास को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

स्तंभ-4: बढ़ी हुई उधारी के माध्यम से राज्य के वित्त को मज़बूत करना

राज्य-आधारित विकास में राजकोषीय लचीलेपन की महत्वपूर्ण भूमिका को मानते हुए वित्त मंत्री ने राज्यों के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.5% के अतिरिक्त उधार प्रावधान की घोषणा की जिससे राज्यों के लिए 2 लाख करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध हो गई। हालांकि यह राजकोषीय छूट एक रणनीतिक उद्देश्य -राज्यों को बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की वित्तीय स्थिति और परिचालन क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से बिजली क्षेत्र में सुधार लागू करने के लिए प्रोत्साहन के साथ मिलती है । यह पहल भारत के महत्वाकांक्षी ऊर्जा संक्रमण लक्ष्यों को हासिल करने में सक्षम स्थायी, वित्तीय रूप से सक्षम बिजली क्षेत्र सुनिश्चित करने के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है।

उपसंहार

भारत की निरंतर प्रगति के लिए एक सशक्त संघीय ढांचा अनिवार्य है। यह सिद्धांत केंद्र सरकार के आर्थिक दर्शन में गहराई से समाहित है जिसमें राष्ट्र की विकास यात्रा में राज्यों को समान स्तर पर रखने के निरंतर प्रयास किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय आकांक्षाओं के साथ शासन को जोड़ने के महत्व पर लगातार जोर दिया है क्योंकि उनका मानना है कि 'विकसित भारत' का सपना तभी साकार हो सकता है जब सभी राज्य एक साथ आगे बढ़ें। केंद्रीय बजट 2025-26 इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है क्योंकि यह प्रतिस्पर्धी और सहकारी राजकोषीय संघवाद को बढ़ावा देने के भारत के संकल्प को मजबूती प्रदान करता है। इस बजट का आधार सरकार की परिकल्पना को रेखांकित करता है - एक मजबूत, अधिक लचीला और आत्मनिर्भर भारत जो अपने राज्यों की सशक्त नींव पर निर्मित है। ❑

(सह-लेखिका प्रीति बालियान भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारी हैं और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में संयुक्त निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। ईमेलः preeti.balyan@nic.in)

बजट 2025: भारतीय अवसंरचना के अगले मोर्चे की ओर प्रस्थान

संजीव सान्याल | सदस्य, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम)। ईमेलः sanjeev.sanyal@gov.in

केंद्रीय बजट 2025-26 में शहरी विकास, नवीकरणीय ऊर्जा और जलपोत निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत को 2047 तक 300 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण पेश किया गया है। भारत की अवसंरचना की कहानी बदल चुकी है और हम अब वैश्विक मानदंड स्थापित कर रहे हैं। देश में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क, ग्रामीण सड़कों और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। बड़ी पहलकदमियों में 1 लाख करोड़ रुपये का शहरी चैलेंज कोष और किफायती आवास के लिए 2.2 लाख करोड़ रुपये शामिल हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 60 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। रियल एस्टेट नियमन और विकास अधिनियम 2016 से ज़मीन-जायदाद के बाज़ार में पारदर्शिता आई है। वर्ष 2017 में जीएसटी लागू किए जाने से टैक्स ढांचा सरल हुआ है। केंद्रीय बजट 2025 में जलपोत निर्माण को अवसंरचना का दर्जा दिया गया है ताकि भारत की समुद्री क्षमता मज़बूत हो और विकास के लिए एक समग्र परिवेश बन सके।

भारत की अवसंरचना की कहानी बदल चुकी है। पहले हम वैश्विक मानदंडों का पीछा करते थे मगर अब उन्हें निर्धारित कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्गों का नेटवर्क 60 प्रतिशत बढ़ चुका है। देश की 99 प्रतिशत आबादी ग्रामीण सड़कों से जुड़ चुकी है। नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता तेज़ी से बढ़ कर कुल ऊर्जा का 47 प्रतिशत हो गई है। केंद्रीय बजट 2025-26 और आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में भारत को 2047 तक 300 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण पेश किया गया है। सरकार ने अवसंरचना आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता की गति को आगे बढ़ाते हुए जलपोत निर्माण की ओर ध्यान दिया है। भारत की समुद्री क्षमता बढ़ाने और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में अत्यंत मूल्यवान रोज़गार पैदा करने के लिहाज़ से जलपोत निर्माण एक महत्वपूर्ण उद्योग है। बजट में भारत को एक प्रमुख अवसंरचना शक्ति के तौर पर स्थापित करने के लिए शहरी विकास,

नवीकरणीय ऊर्जा और जलपोत निर्माण में बड़े व्यय की बात कही गई है। यहां हम 2014 से किए गए ज़मीनी कार्य के आधार पर देश के भविष्य के विकास मार्ग और विकसित भारत के लिए रूपरेखा की पड़ताल करेंगे।

2014-2024 की विरासतः प्रगति की बुनियादें

2014 और 2024 के बीच रखी गई बुनियाद परिवर्तनकारी रही है। राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क में 60 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि हुई और यह 2014 में 91287 किलोमीटर से बढ़ कर 2024 में 146145 कि.मी. का हो गया। इससे माल ढुलाई के व्यय में 15 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी आई है। इस दौरान ग्रामीण संयोजकता में भी प्रभावशाली बढ़ोतरी हुई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 3.74 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया। इनसे 7.55 लाख बसावटें जुड़ीं और भारत के सबसे ज्यादा दूरदराज के क्षेत्रों में आर्थिक संभावनाएं पैदा हुईं। हमारे बंदरगाहों की माल निर्वहन क्षमता दोगुनी होकर 1630 मिलियन टन हो गई और वैश्विक जहाजरानी रैंकिंग में भारत का स्थान 44वें से चढ़ कर 22वें पर पहुंच गया। शहरों में आवासन की तंगी को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत 1.18 करोड़ रिहायशी इकाइयां कम आय वाले परिवारों को दी गईं। शहरी अवसरंचना में जबरदस्त वृद्धि हुई और मेट्रो नेटवर्क 248 किलोमीटर से चार गुना बढ़ कर 993 किमी हो गया। कोविड के बाद आर्थिक पुनरुत्थान में अवसंरचना पर पूंजीगत व्यय को सुनियोजित रणनीति के रूप में इस्तेमाल किया गया। वित्त वर्ष 2020 और 2024 के बीच अवसंरचना पर पूंजीगत व्यय की चक्रवृद्धि सालाना विकास दर 38.8 प्रतिशत रही। इन निवेशों ने बजट 2025 में वर्णित साहसिक लक्ष्यों के लिए मज़बूत बुनियाद तैयार की है।

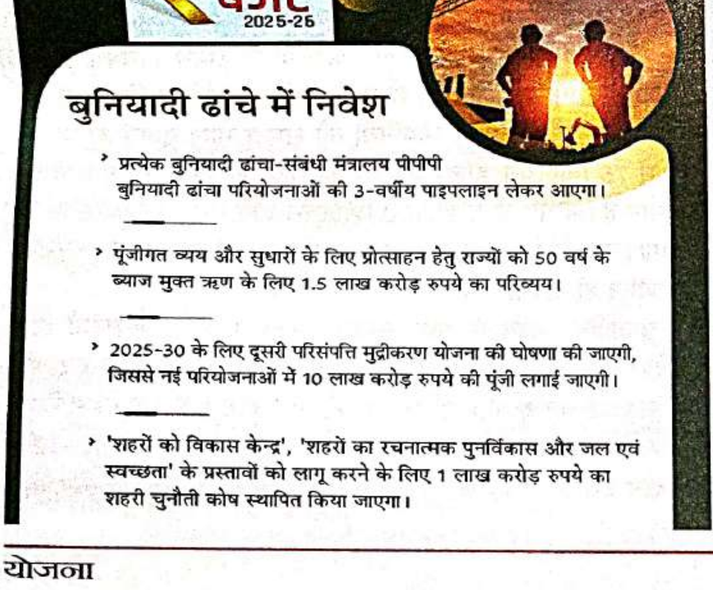

भारतीय अवसंरचना का नवयुगः नियामक सुधारों और अवसंरचना पर ज़ोर ने प्रगति गाथा को दिया नया स्वरूप (2014-2024)

2014 से भारतीय अवसंरचना के कायाकल्प को उन बुनियाद सुधारों से मदद मिली जिनसे रियल एस्टेट और निर्माण क्षेत्रों में क्रांति आई है। वर्ष 2016 का रियल एस्टेट नियमन और विकास अधिनियम (आरईआरए) एक युगांतरकारी क़ानून रहा जिससे अब तक अपारदर्शी रहे ज़मीन-जायदाद के बाज़ार में पारदर्शिता और जवाबदेही आई है। इस सुधार तथा वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) पर क्रियान्वयन ने संयुक्त रूप से बाज़ार की गतिकी को बदलने के साथ ही उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा दिया और समूची निर्माण मूल्य श्रृंखला को सुचारु बनाया है। राज्यों में रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरणों की स्थापना, परियोजना पंजीकरण की अनिवार्यता और अनुपालन के सख्त प्रावधानों ने एक ठोस ढांचा तैयार किया है। यह ढांचा संस्थागत निवेश आकर्षित करने और उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ाने में महत्वपूर्ण रहा है।

2017 में जीएसटी का क्रियान्वयन शुरुआत में चुनौतीपूर्ण रहा। लेकिन इसने जटिल टैक्स ढांचे से उत्पन्न होने वाले प्रभाव को घटाया है। साथ ही इस ढांचे का सरलीकरण कर अवसंरचना क्षेत्र के लिए यह परिवर्तनकारी साबित हुआ है। इस सुधार के साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट और ई-वे बिल प्रणाली जैसी पहलकदमियों ने मिल कर लॉजिस्टिक्स खर्चों को काफी घटाया और आपूर्ति श्रृंखला की प्रभावशीलता में सुधार किया है। निर्माणाधीन संपत्तियों और किफायती आवास परियोजनाओं के लिए जीएसटी दरों को तार्किक बनाए जाने से मांग को बल और सरकार के सबके लिए घर के मिशन को समर्थन मिला है। इन सुधारों के साथ ही नोटबंदी और बेनामी सौदा क़ानून जैसे अन्य महत्वपूर्ण बदलाव भी किए गए। इनसे निर्माण क्षेत्र को औपचारिक रूप देने और ज़मीन-जायदाद के सौदों में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिली है।

रियल एस्टेट बाज़ार का पहिया विकास के एक ठोस चरण में प्रवेश कर चुका है। इसका सबूत सभी बड़े बाज़ारों में रिकॉर्ड बिक्री और लगातार मूल्य वृद्धि है। इस उछाल का स्वरूप आरईआरए और जीएसटी जैसी मज़बूत नियामक बुनियादों तथा अवसंरचना में पूंजीगत व्यय में वृद्धि की वजह से पिछले चक्रों की तुलना में अलग है। रियल एस्टेट क्षेत्र में अभूतपूर्व संस्थागत निवेश देखने को मिला है। इसमें निजी इक्विटी का प्रवाह नई ऊंचाइयों तक पहुंचा है और रियल एस्टेट इनवेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी) निवेश के व्यावहारिक वाहक के तौर पर उभरे हैं। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन और पीएम गति शक्ति जैसी पहलकदमियों के जरिए सरकार ने अवसंरचना पर ज़ोर दिया है। इसके परिणामस्वरूप श्रेणी 1 और 2 के शहरों में संयोजकता मज़बूत हुई, परिवहन व्यय घटा और रियल एस्टेट विकास को फिर से मज़बूती मिली है। इन सुधारों ने भारत के रियल एस्टेट क्षेत्र को

- प्रत्येक बुनियादी ढांचा संबंधी मंत्रालय के लिए पीपीपी परियोजनाओं में 3 वर्षीय परियोजना पाइपलाइन।
- राज्यों को बंदरगाह संबंधी सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि से सहायता प्राप्त हो सके।

इस पर जोर:

- कार्गो हैंडलिंग बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण।
- मार्गों के निकट मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों का विकास।
- सड़क और रेल नेटवर्क के माध्यम से बंदरगाहों और भीतरी इलाकों के बीच संपर्क बढ़ाना।

केन्द्रीय बजट 2025-26

संवहनीय और दीर्घकालिक विकास की राह पर ला खड़ा किया है।

बजट 2025: भविष्य में प्रवेश का गतिवर्द्धन

संघीय बजट 2025-26 भारत की अवसंरचना यात्रा का एक युगांतरकारी पड़ाव है। इसमें की गई साहसिक पहलों और आवंटनों से राष्ट्र के विकास के एक नए युग में प्रवेश करने की संभावना है। इन साहसिक पहलों में जलपोत निर्माण को अवसंरचना का दर्जा देने का ऐतिहासिक फैसला एक बड़ा कदम है जिससे भारत के लिए एक नए औद्योगिक युग की शुरुआत होगी। बजट 2025 का एक अन्य महत्वपूर्ण स्तंभ शहरी कायाकल्प का कार्यक्रम है। इसमें एक लाख करोड़ रुपये का शहरी चैलेंज कोष बनाने की घोषणा की गई है जिससे स्मार्ट शहरों में 25 प्रतिशत बैंक ग्राह्य परियोजनाओं, जल और स्वच्छता अवसंरचना तथा परिवहन उन्मुख विकास के लिए धन की व्यवस्था की जाएगी। इस कोष से समूचे भारत में शहरी जीवन में परिवर्तन आएगा और शहरों की जीविका, संवहनीयता और आर्थिक मज़बूती बढ़ेगी। मेट्रो रेल विकास योजना में हर साल 300 किलोमीटर नई लाइनें बिछाने का लक्ष्य रखा गया है। इस महत्वाकांक्षी कदम से 2030 तक मेट्रो लाइनों की कुल लंबाई 1500 किलोमीटर हो जाएगी। इस विकास से मेट्रो प्रणालियों से जुड़े 23 शहरों में शहरी परिवहन में सुधार आएगा और सड़कों पर भीड़भाड़ घटेगी। सरकार आवासन को अब भी शीर्ष प्राथमिकता दे रही है। पीएम आवास योजना (शहरी) 2.0 में 80 लाख किफायती रिहायशी इकाइयों के निर्माण के लिए 2.2 लाख करोड़ रुपये की बड़ी रकम रखी गई है। इससे उपलब्ध शहरी आवासों का अभाव दूर होगा और लाखों शहरियों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगा।

बजट 2025: जहाज निर्माण के क्षेत्र में चुनौतियां बढ़ीं

अपने महाद्वीपीय भूभाग के बावजूद, भारत अनिवार्य रूप से एक द्वीप अर्थव्यवस्था के रूप में कार्य करता है। भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार का 95% से अधिक हिस्सा समुद्री मार्गों के जरिये होता है, जिसमें भूमि मार्ग का उपयोग बहुत सीमित है। हालांकि भारत और चीन की सीमा बहुत विस्तृत है और हिमालय एक व्यापार गलियारे के बजाय एक प्राकृतिक अवरोध की तरह है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ व्यापार लगभग न के बराबर है और अन्य पड़ोसी देशों के साथ भूमि मार्गों के माध्यम से व्यापारिक आदान-प्रदान बहुत कम होता है। भारत की यह भौगोलिक और भू-राजनीतिक स्थिति समुद्री मार्ग की क्षमता को न केवल मज़बूत बनाने की जरूरत पर ज़ोर देती है, बल्कि देश की आर्थिक सुरक्षा के लिए भी बहुत आवश्यक हो जाती है।

भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, लेकिन देश को नौवहन क्षेत्र में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि चर्चाएं अक्सर बंदरगाह लॉजिस्टिक तक ही सीमित रहती हैं, नौवहन क्षेत्र से जुड़े अन्य क्षेत्र जैसे जहाज निर्माण, जहाज स्वामित्व और जहाज पंजीकरण जैसे मसलों पर तत्काल ध्यान देने की रणनीति अपनाये जाने की आवश्यकता है। मौजूदा आंकड़े काफी चिंताजनक दीखते हैं: भारत के पास 13.75 मिलियन सकल टन क्षमता वाले सिर्फ़ 1,526 जहाज हैं, जिनमें से सिर्फ़ 487 जहाज ही विदेशी व्यापार में काम आते हैं। जहाज़ों के स्वामित्व में भारत की वैश्विक हिस्सेदारी सिर्फ़ 1.2% है, जबकि ग्रीस की 17.8%, चीन की 12.8% और जापान 10.8% की हिस्सेदारी है। जहाज निर्माण की स्थिति और भी ख़राब है, जहाज निर्माण में भारत के पास वैश्विक बाज़ार हिस्सेदारी का केवल 0.07% हिस्सा है, जबकि चीन का इस क्षेत्र में 46.6% हिस्सेदारी के साथ इस क्षेत्र में वर्चस्व कायम है, उसके बाद दक्षिण कोरिया (29.2%) और जापान (17.2%) का स्थान आता है। ये तीनों देश मिलकर वैश्विक जहाज निर्माण के 93% हिस्से को प्रभावी रूप से नियंत्रित करते हैं, जबकि कंटेनर निर्माण क्षेत्र में भी चीन का लगभग एकाधिकार है।

आर्थिक प्रभाव अत्यंत गंभीर हैं। भारत अपने लगभग 95% अंतरराष्ट्रीय माल ढुलाई के लिए विदेशी जहाजों पर निर्भर करता है। 2022-23 में विदेशी कंपनियों को समुद्री माल ढुलाई शुल्क के रूप में 75 बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा का भुगतान किया गया। अनुमान है कि यह जल्द ही 100 बिलियन डॉलर से अधिक पर पहुंच जायेगा। यह निर्भरता आर्थिक परिणाम से आगे जाकर गंभीर कमज़ोरी में तब्दील हो सकती है।

हालांकि, भारत के पास समुद्री प्रभुत्व के लिए बुनियादी लाभ हैं। देश ने परमाणु पनडुब्बियों और विमान वाहकों के डिज़ाइन और निर्माण में उन्नत क्षमता हासिल की है। भारत नाविक आपूर्ति में विश्व में तीसरे स्थान पर है, जो दुनिया भर में समुद्री कार्यबल का 10-12% योगदान देता है। यह भारत की स्थिति मज़बूत बनाता है, खासकर

तब जब प्रमुख जहाज निर्माण वाले देशों में वृद्ध आबादी बढ़ रही है और उन्हें कई तरह की जनसांख्यिकीय बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

एक ऐतिहासिक कदम के रूप में, भारत के बजट 2025 में बड़े जहाजों को हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट (एचएमएल) में शामिल करके उन्हें बुनियादी ढांचे का दर्जा देकर जहाज निर्माण को औद्योगिक नीति में सबसे आगे रखा है। यह रणनीतिक निर्णय नव स्थापित 25,000 करोड़ रुपये के समुद्री विकास कोष (एमडीएफ) जहाज निर्माण क्लस्टर और अनुसंधान पहलों के लिए महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करने के बेहतर वित्त पोषण के रास्तों को खोलता है। नीति की वित्तीय संरचना शिपयार्ड को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फ़ाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफ़सीएल) और पेंशन फंड जैसी संस्थाओं से दीर्घकालिक और कम ब्याज में ऋण लेने के लिए अनुकूल बनाती है। यह एक ऐसे उद्योग को लाभप्रद बनाती है जो पूंजीगत लागत वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। वर्तमान में मात्र 0.06% बाज़ार हिस्सेदारी के साथ भारत वैश्विक स्तर पर 22वें स्थान पर है, भारत ने 2030 तक शीर्ष के 10 जहाज निर्माण देशों में शामिल होने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है जो कि समुद्री-विनिर्माण उत्कृष्टता के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

नीतिगत ढांचा केवल वित्तीय प्रोत्साहनों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक दृष्टिकोण को भी शामिल करता है, जिसमें जहाज के घटकों पर लक्षित कस्टम ड्यूटी छूट और नवाचारी शिपब्रेकिंग क्रेडिट नोट्स शामिल हैं, जो घरेलू रीसायक्लिंग को प्रोत्साहित करने के लिए स्क्रैप मूल्य का 40% प्रतिपूर्ति करते हैं। यह बहुआयामी रणनीति तत्काल औद्योगिक आवश्यकताओं और दीर्घकालिक रोज़गार लक्ष्यों दोनों को पूरा करने के लिए तैयार की गई है और वर्तमान में यह क्षेत्र 2.1 लाख प्रत्यक्ष तथा 14 लाख अप्रत्यक्ष नौकरियों प्रदान करने में सहायक होगा। गुजरात, केरल और तमिलनाडु जैसे तटीय राज्यों को

लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 2030 तक 50 लाख नौकरियां सृजित करने के सरकार के लक्ष्य के साथ यह नीतिगत रणनीति औद्योगिक उन्नति और सामाजिक-आर्थिक विकास दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ये उपाय सामूहिक रूप से भारत को विश्व में जहाज निर्माण के क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने के साथ साथ घरेलू विनिर्माण क्षमताओं और रोजगार सृजन को मजबूत बनाने का भी एक सोचा-समझा प्रयास हैं।

इन चुनौतियों और अवसरों को पहचानते हुए, सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र में चार परिवर्तनकारी विधेयक पेश किए हैं। तटीय नौवहन विधेयक, 2024 का उद्देश्य तटीय व्यापार के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा तैयार करना, भारतीय ध्वज वाले जहाजों पर प्रतिबंध हटाना और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस स्थापित करना है। मर्चेंट शिपिंग विधेयक, 2024 के अंतर्गत प्रवासी भारतीयों, ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ़ इंडिया और भारतीय-पंजीकृत कंपनियों को शामिल करने के लिए पोत स्वामित्व पात्रता का विस्तार किया गया है जो बेयर बोट-कम-डेमिस चार्टर पद्धति के माध्यम से लचीले वित्तपोषण विकल्प पेश करता है।

समुद्री माल परिवहन विधेयक, 2024 क़ानूनी ज़िम्मेदारियों को स्पष्ट करने और विवादों के समाधान की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने पर केंद्रित है। बिल ऑफ लैडिंग विधेयक, 2024 औपनिवेशिक युग के क़ानून की जगह शिपिंग दस्तावेज़ों को आज के समय अनुसार बनाता है। इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य अनुपालन बोझ को कम करना और समुद्री क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना है।

ये व्यापक सुधार भारत के शिपिंग क्षेत्र में बड़े बदलाव का संकेत हैं, जो आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के लिए बहुत आवश्यक हैं। भारत के शिपिंग क्षेत्र में यह बदलाव न केवल एक आर्थिक अवसर बढ़ाने के लिए जरूरी हैं बल्कि यह एक रणनीतिक रूप से भी अनिवार्य हो जाते हैं।

भारत का 2025 का बजट, जहाज निर्माण और समुद्री बुनियादी ढांचे पर इसके खास फोकस की वजह से देश के विकास पथ का एक महत्वपूर्ण चरण कहा जा सकता है। जहाज निर्माण को बुनियादी ढांचे का दर्जा देकर, 25,000 करोड़ रुपये के समुद्री विकास कोष की स्थापना करके और व्यापक विनियामक सुधारों को लागू करके देश आज लाखों नौकरियों का सृजन करने की ओर अग्रसर है, भारत आज समुद्री क्षेत्र में अपनी कमज़ोरियों को दूर करने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। यह रणनीतिक मोड़ वैश्विक समुद्री व्यापार में भारत की स्थिति को मूल रूप से बदल सकता है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में इसकी गति में तेजी ला सकता है। ❑

(सह-लेखक, चिराग दुदानी, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सलाहकार (ईएसी-पीएम) हैं। ईमेल : chirag.dudani@nic.in)

बजट 2025-26: कर सुधारों की ओर

रवि अग्रवाल | अध्यक्ष, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी)। ई-मेलः chairmancbdt@nic.in

केंद्रीय बजट 2025-26 में अनुपालन में आसानी और करदाताओं की चिंता को दूर करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। व्यक्तिगत आयकर स्लैब के पुनः निर्धारण से मध्यम वर्ग को लाभ मिलता है। इन उपायों से प्रति वर्ष 12 लाख रुपये तक की आय वालों के लिए कर देयता कम हो जाती है। नवीनतम आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा 24 महीने से बढ़ाकर 48 महीने कर दी गई है। अनिवासी भारतीयों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण सुविधाओं से संबंधित सेवाओं के लिए अनुमानित कराधान के माध्यम से कर को लेकर और भी अधिक स्पष्टता प्रदान की गई है। स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) से जुड़े प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाया गया है। इससे कारोबारी के साथ-साथ अन्य लोगों के लिए एक सहज प्रक्रिया सुनिश्चित होती है। स्टार्टअप के लिए कर लाभ का 01 अप्रैल, 2030 तक विस्तार किए जाने से प्रगति और नवाचार को बढ़ावा मिलता है। भारतीय शिपिंग कंपनियों के लिए एक नई टन भार कर योजना के साथ शिपिंग उद्योग को भी बढ़ावा मिलता है। पंजीकरण अवधि को पांच वर्ष से बढ़ाकर दस वर्ष करके छोटे धर्मार्थ ट्रस्टों के लिए अनुपालन को सरल बनाया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित कर निर्धारण के माध्यम से कर प्रशासन के डिजिटलीकरण से दक्षता में सुधार होता है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का कर-से-जीडीपी अनुपात 11.9 प्रतिशत और प्रत्यक्ष कर-से-जीडीपी अनुपात 6.9 प्रतिशत है। इस विजन को को विवेकपूर्ण के साथ-साथ सकारात्मक, उत्तरदायी, उपयोगकर्ता के अनुकूल, डिजिटल रूप से सक्षम, समावेशी और पारदर्शी बताया गया है।

पिछले एक दशक के दौरान, भारत की कर प्रणाली को जटिलता के साथ-साथ अनुपालन संबंधी बोझ से मुक्त करके एक पारदर्शी, पूर्वानुमान योग्य और उपयोग में आसानी को प्राथमिकता देने वाली प्रणाली के रूप में विकसित किया गया है। कर अनुपालन को सरल बनाने, दरों को युक्तिसंगत बनाने और स्वैच्छिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केंद्रीय बजट 2025-26 में सुधार किए गए हैं।

आज, कर प्रशासन केवल राजस्व संग्रह के बारे में नहीं है। यह सरकार और करदाताओं के बीच विश्वास कायम करने के बारे में है। प्रवर्तन की दृष्टि से बोझिल की तुलना में कम-से-कम अवरोध के साथ अनुपालन को प्रोत्साहित करने वाले दृष्टिकोण में बदलाव एक महत्वपूर्ण कदम है। यह बजट एक आधुनिक, उत्तरदायी शासन-शैली को दर्शाता है। यह आर्थिक वास्तविकताओं और करदाताओं की चिंताओं को चिह्नित भी करता है।

अपने मूल में, 2025-26 वित्त विधेयक का उद्देश्य व्यक्तियों और व्यवसायों पर बोझ को कम करना, अनुपालन को सरल बनाना और अधिक निवेश-अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देना है। सरकार लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान करके और नीतियों को भारत के दीर्घकालिक विकास की महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप सुनिश्चित करके, एक निष्पक्ष और प्रभावी कर प्रणाली के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर ज़ोर दे रही है।

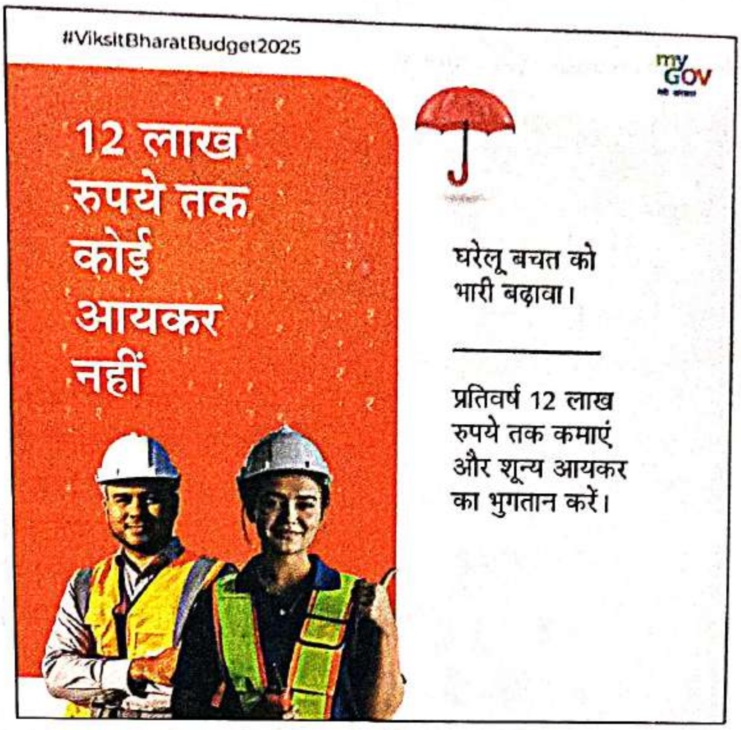

मध्यम वर्ग के लिए राहतः कर में कमी, आय में अधिक आसानी

व्यक्तिगत आयकर स्लैब का पुनः निर्धारण इस बजट की सबसे बड़ी विशेषताओं में शुमार है। इससे मध्यम वर्ग को निश्चित तौर पर लाभ होगा। कई व्यक्तियों के सामने आने वाले वित्तीय तनाव को समझते हुए, सरकार ने 12 लाख रुपये प्रति वर्ष तक की आय वालों के लिए कर देयता कम कर दी है। इसका मतलब है कि लोगों की जेब में अधिक पैसा आएगा - खर्च को बढ़ावा मिलेगा, मांग को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा। यह केवल कर की बचत के बारे में नहीं है - यह लोगों को वित्तीय सशक्तता देने के बारे में है।

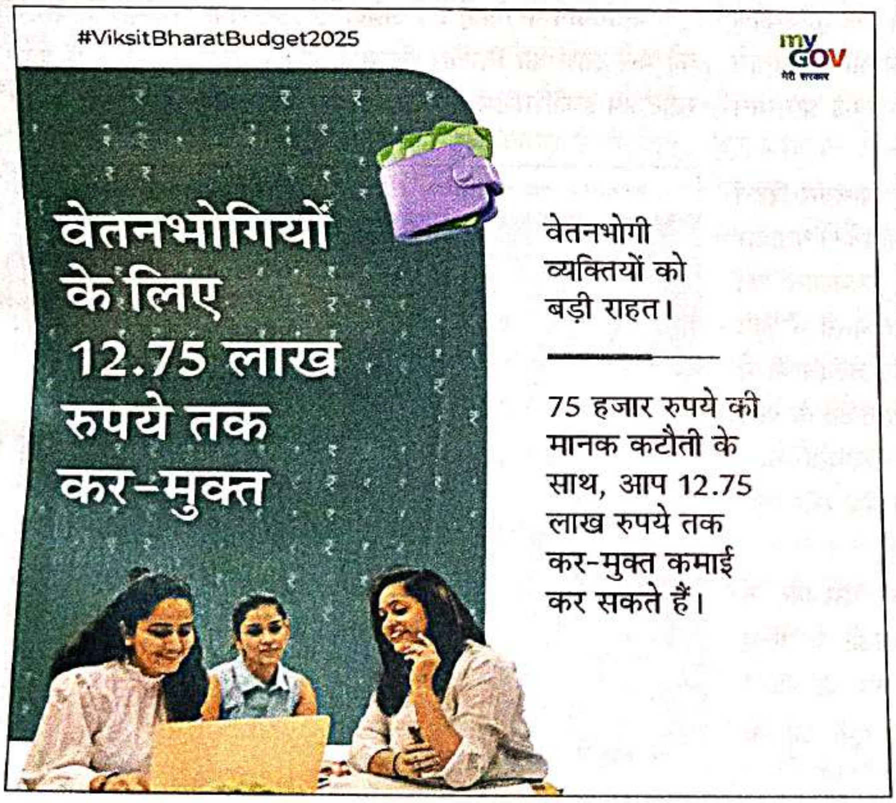

कर निर्धारण को और भी सरल बनाने के लिए, संशोधित कर स्लैब अनावश्यक जटिलता को समाप्त करते हैं। एक भ्रामक बहु-स्तरीय संरचना के बजाय, सरकार ने एक सरल, अधिक पूर्वानुमान योग्य संरचना प्रस्तुत की है, जो आधुनिक आय स्तरों के साथ तालमेल भी रखती है।

अपने कब्जे वाली संपत्ति के संदर्भ में कराधान पर पुराने प्रतिबंधों को हटाना इसका एक अन्य महत्वपूर्ण सुधार है। इससे पहले, घर के मालिकों को अपने कब्जे वाले दूसरे घर पर शून्य वार्षिक मूल्य का दावा करते समय अनावश्यक शर्तों के अधीन होना पड़ता था। इस बदलाव के साथ, जो लोग दो घरों के मालिक हैं और रोज़गार की

बाधाओं या व्यक्तिगत कारणों से उनका उपयोग या कब्जा नहीं कर सकते हैं, उन्हें अब अनुचित रूप से दंडित नहीं किया जाएगा।

कर अनुपालन में आसानी और तनाव में कमी

लोगों के लिए एक बेहतर कर प्रणाली होनी चाहिए। एक ऐसी प्रणाली हो, जो अनावश्यक बाधाओं से मुक्त हो। इस दृष्टिकोण पर जोर देते हुए, बजट 2025-26 में अनुपालन को आसान बनाने और करदाताओं की चिंता को कम करने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं।

एक बड़ी राहत यह है कि अपडेट किए गए आयकर रिटर्न (आइटीआर) दाखिल करने की समय-सीमा 24 महीने से बढ़ाकर 48 महीने कर दी गई है। इससे व्यक्तियों और व्यवसायों को अत्यधिक दंड के डर के बिना फाइलिंग से संबंधित किसी भी त्रुटि को ठीक करने के लिए अतिरिक्त समय मिलता है। जल्दबाजी में अनुपालन करने के दबाव में आने के बजाय, करदाताओं के पास अब पर्याप्त समय है। इससे एक ऐसी प्रणाली को मजबूती मिली है, जो वास्तविक गलतियों को दंडित करने के बजाय स्वैच्छिक सुधार को प्रोत्साहित करती है।

अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के लिए, सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण सुविधाओं से संबंधित सेवाओं के लिए अनुमानित कराधान शुरू किया है। यह कदम कर के संदर्भ में अधिक स्पष्टता प्रदान करता है, जिससे भारत एक अधिक आकर्षक निवेश गंतव्य बन जाता है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाया है। पहले, गैर-फाइलरों के लिए उच्च टीडीएस/टीसीएस दरों के कारण अत्यधिक कटौती होती थी और नकदी प्रवाह बाधित होता था। यह बजट उन अक्षमताओं को समाप्त करता है, जिससे व्यवसायों और व्यक्तियों दोनों के लिए एक सहज प्रक्रिया सुनिश्चित होती है।

व्यवसायों के लिए एक स्वागत योग्य कदम उठाते हुए, टीसीएस भुगतान में देरी अब आपराधिक दायित्व नहीं होगी। सरकार का यह मानना है कि अधिकांश देरी जानबूझकर चूक के बजाय संचालन संबंधी चुनौतियों के कारण होती है। इसे ध्यान में रखते हुए, सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि दंड उचित और युक्तिसंगत रहें। यह परिवर्तन जवाबदेही बनाए रखते हुए अनावश्यक भय को कम करता है।

निवेश और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन

कर नीति अब केवल राजस्व संग्रह के बारे में नहीं है। यह आर्थिक विस्तार को बढ़ावा देने का एक साधन है। बजट 2025-26 निरंतर निवेश आकर्षित करने, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और प्रमुख उद्योगों को मजबूत करने पर केंद्रित है।

स्टार्टअप के लिए, 01 अप्रैल, 2030 तक निगमित व्यवसायों को कर लाभ का विस्तार किया गया है। भारत के तेज़ी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को देखते हुए, यह कदम सुनिश्चित करता

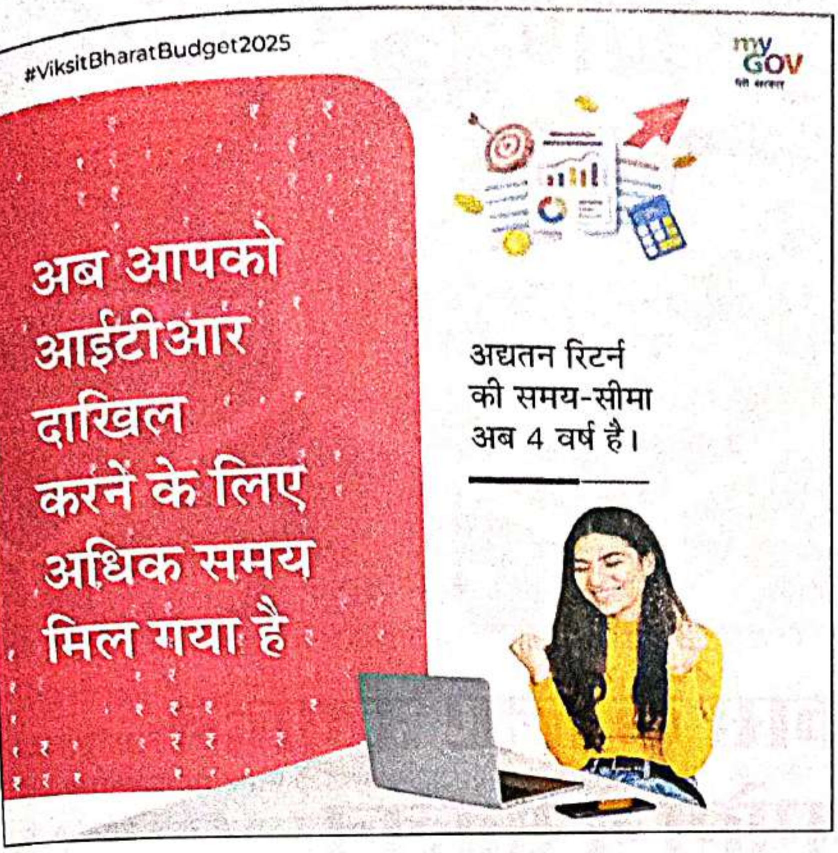

है कि नए उद्यमों को बढ़ने, नवाचार करने और रोज़गार सृजित करने के लिए आवश्यक समर्थन प्राप्त होना चाहिए।

भारतीय शिपिंग कंपनियों के लिए नई टन भार कर योजना के साथ शिपिंग उद्योग को भी बढ़ावा मिलता है, जिसमें अंतर्देशीय जहाज भी शामिल हैं। इन प्रोत्साहनों का उद्देश्य भारत के समुद्री क्षेत्र को मज़बूत करना, घरेलू शिपिंग को बढ़ावा देना और अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ाना है। यह सतत आर्थिक विकास में योगदान देता है।

इसके अतिरिक्त, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए लक्षित कर प्रोत्साहनों के साथ एक प्रमुख फोकस बना हुआ है। आईएफएससी में संचालित जहाज के पट्टे वाली इकाइयों के लिए पूंजीगत लाभ और लाभांश पर छूट भारत को एक अधिक आकर्षक वित्तीय केंद्र बनाएगी। इस कदम से अधिक पूंजी आएगी और अधिक लाभकारी रोज़गार पैदा होंगे।

एक बेहतर, निष्पक्ष कर प्रणाली

व्यक्तिगत कर लाभों से भी आगे बढ़कर, यह बजट विवादों को कम करने और कर प्रशासन में दक्षता में सुधार करने के लिए संरचनात्मक परिवर्तन करता है।

छोटे धर्मार्थ ट्रस्टों के लिए, पंजीकरण अवधि को पांच वर्ष से बढ़ाकर दस वर्ष करके अनुपालन को सरल बनाया गया है। छोटी-मोटी चूक के परिणामस्वरूप अब स्वतः पंजीकरण रद्द नहीं होगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि वास्तविक गैर-लाभकारी संस्थाएं वास्तविक चूक के बारे में चिंता किए बिना अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं।

एक और बड़ा सुधार हस्तांतरण मूल्य निर्धारण के लिए एक बहु-वर्षीय संरचना है। यह व्यवसायों को कई वर्षों में अपनी आर्म्स लेंथ प्राइस (एएलपी) निर्धारित करने की सुविधा प्रदान करता है। यह भारत में संचालित बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए बहुत आवश्यक पूर्वानुमान प्रदान करता है। इससे अनुपालन संबंधी कठिनाइयां और संभावित विवाद कम होते हैं।

कर प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाने में डिजिटलीकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सरकार प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने, सटीकता में सुधार करने और तेज़ी से विवाद समाधान सुनिश्चित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कर आकलन और तत्क्षण निगरानी का लाभ उठा रही है। इस बदलाव का मतलब है कि करदाता तेज़ी से रिफंड और कम त्रुटियों की उम्मीद कर सकते हैं। यह काफी समय से लंबित था।

निष्कर्षः एक संतुलित, विकासोन्मुख कर का विजन

भारत में प्रत्यक्ष कराधान की एक प्रगतिशील प्रणाली है। इसमें उच्च स्लैब वाले लोग प्रत्यक्ष करों में अधिक योगदान करते हैं। कर प्रशासन में सुधार के लिए पिछले कुछ वर्षों के दौरान किए गए सुधारों की श्रृंखला भारत के लगातार बढ़ते कर-से-जीडीपी अनुपात में परिलक्षित होती है, जो वित्त वर्ष 2024-25 (संशोधित अनुमान) में 11.9 प्रतिशत है। वित्त वर्ष 2024-25 (संशोधित अनुमान) के लिए जीडीपी में प्रत्यक्ष कर 6.9 प्रतिशत है। नाममात्र जीडीपी वृद्धि 10.1 प्रतिशत होने पर विचार करते हुए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कर उछाल 1.20 होने का अनुमान है।

केंद्रीय बजट 2025-26 एक ऐसी कर प्रणाली बनाने की दिशा में आगे बढ़ता है, जो निष्पक्ष, प्रभावी और भारत की आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप हो। इस परिवर्तन के केंद्र में एक ऐसा विजन है, जिसे विवेकपूर्ण के साथ-साथ सकारात्मक, उत्तरदायी, उपयोगकर्ता के अनुकूल, डिजिटल रूप से सक्षम, समावेशी और पारदर्शी के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों ने हाल के वर्षों में कर नीतियों को आकार दिया है। इससे यह सुनिश्चित हुआ है कि प्रणाली स्थिर, पूर्वानुमान योग्य और भारत की आर्थिक आकांक्षाओं के अनुरूप है। ❑

आर्थिक विकास के लिए उत्पादन और उपभोग में संतुलन

शिशिर सिन्हा | वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार। ईमेल : hblshishir@gmail.com

जहाँ नई आयकर व्यवस्था के पुनर्गठन का उद्देश्य उपभोग को बढ़ावा देना है, वहीं सीमा शुल्क तंत्र में बदलाव का उद्देश्य निर्माताओं को घरेलू माँगों को पूरा करने और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में मदद करना है। आखिरकार, आर्थिक विकास को केवल सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी (जो माँगों का प्रतिनिधित्व करता है) के संदर्भ में ही नहीं बल्कि सकल मूल्य वर्धित या जीवीए (जो आपूर्ति का प्रतिनिधित्व करता है) के संदर्भ में भी मापा जाता है और केंद्रीय बजट 2025-26 में कर सुधारों का उद्देश्य दोनों को संबोधित करना है।

कराधान में प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर शामिल रहते हैं। प्रत्यक्ष करों को प्रोग्रेसिव (आरोही) कर कहा जाता है जिसमें करयोग्य आय के अनुपात में कर भी बढ़ता है जबकि अप्रत्यक्ष करों को रिग्रेसिव (प्रतिगामी) कर कहा जाता है - जैसा कि वस्तु और सेवा कर सभी वर्गों के लिए समान रहता है। भारत में अप्रत्यक्ष करों में सबसे बड़ा सुधार 2016 में किया गया था जब वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को 1 जुलाई, 2017 से लागू किया गया था। अब 2025 में प्रत्यक्ष कर व्यवस्था में 1961 के बाद इसी तरह के बड़े बदलावों की उम्मीद है क्योंकि केंद्रीय वित्त मंत्री ने नई आयकर प्रणाली में व्यापक बदलाव लाने की घोषणा की है और 60 वर्ष से भी ज्यादा पुराने क़ानून की जगह नया आयकर विधेयक लाने का प्रस्ताव रखा है।

जीएसटी के अंतर्गत केंद्रीय बजट की भूमिका बहुत सीमित है (जैसा कि जीएसटी परिषद ने केंद्रीय जीएसटी क़ानून में विधायी बदलावों की सिफारिश की थी) इसलिए सीमा शुल्क तंत्र में कुछ बदलाव के साथ ही प्रत्यक्ष करों में दो मुख्य प्रस्ताव अपनाकर सुधारों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित रखा जाएगा।

''लोकतंत्र, जनसांख्यिकी (डेमोग्राफी) और मांग विकसित भारत की हमारी यात्रा में तीन बड़े आधार स्तंभ हैं। मध्यम वर्ग (मिडिल क्लास) भारत की वृद्धि को मजबूती देता है। प्रधानमंत्री

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली यह सरकार हमेशा से ही राष्ट्र निर्माण के कार्य में मध्यम वर्ग की सराहनीय ऊर्जा और योग्यता (क्षमता) में विश्वास करती आ रही है। उनके अहम योगदान को देखते हुए हमने समय-समय पर उनका कर-भार कम किया है......मुझे अब यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि नई कर व्यवस्था में 12 लाख रुपये (यानी औसतन 1 लाख रुपये प्रति माह) तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा।''

-वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

01 फरवरी, 2025 के बजट भाषण में

देश में मध्यम वर्ग के आयकरदाताओं की संख्या काफी कम होने के कारण (आकलन वर्ष 2024-25 में मध्यम वर्ग के कुल करीब 8.75 करोड़ लोगों ने ही आयकर रिटर्न फाइल की थी) कई लोगों को इसे बड़ी हेडलाइन बनाने के बारे में संदेह था परन्तु यह भी समझना होगा कि संख्या में कम होने के बावजूद कर-प्राप्ति में अपने योगदान के कारण ये लोग देश की आर्थिक प्रगति में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं।

इस संख्या पर ध्यान दें: वित्त वर्ष 2023-24 में कुल 34.5 लाख करोड़ रुपये के कर राजस्व में प्रत्यक्ष करों (निगमित कर और गैर-निगमित कर) का योगदान 19.50 लाख करोड़ रुपये रहा जो 56 प्रतिशत से भी ज्यादा था। प्रत्यक्ष करों में गैर-निगमित करों से प्राप्त राजस्व 10.45 करोड़ रुपये था जो 19.60 लाख करोड़ रुपये का लगभग 53 प्रतिशत होता है। इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि सकल आर्थिक वृद्धि में प्रत्यक्ष करदाताओं की भूमिका कितनी अहम है।

अब इस समीकरण को नई कर व्यवस्था में रखकर देखें तो हम देखेंगे कि करीब 1 करोड़ करदाताओं को अब आयकर नहीं देना होगा और वे उन 5 करोड़ लोगों में शामिल हो जाएंगे जो पहले ही, 2023 में आयकर लागू करने की सीमा बढ़ाकर 7 लाख रुपये किए जाने के कारण कर नहीं दे रहे। ऐसे में शेष लोगों के साथ क्या होगा? वास्तव में वित्त वर्ष 2025-26 (आकलन वर्ष 2026-27) के लिए नई कर व्यवस्था में कर दरों और कर-स्लैबों में बदलाव होने से उन्हें भी फायदा ही होगा और उन्हें कर के रूप में कम राशि देनी पड़ेगी।

सरकार पहले ही कह चुकी है कि कर छूट और कर दरों/स्लैबों में बदलाव के कारण होने वाला राजस्व घाटा एक लाख करोड़ रुपये के करीब होगा। या यों भी कहा जा सकता है कि यह राशि उन करदाताओं के हाथ में आ जाएगी जिनमें बड़ी संख्या मध्यम वर्ग के लोगों की है और जिन्हें खपत बढ़ाने में मुख्य कारक माना जाता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि करदाताओं के हाथ में अतिरिक्त आय होने का क्या लाभ होने वाला है? इसका सीधा-सा जवाब है कि इस राशि को चार प्रकार से इस्तेमाल किया जा सकता है-खर्च करके, विभिन्न जमाओं के रूप में बचत करके, निवेश करके या पुराने ऋणों का चरणबद्ध भुगतान करके।

इस चारों में से असल ध्यान खपत पर है जिससे एक सवाल यह उठता है-कितना भाग बाज़ार में आएगा जो कि आर्थिक दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण भी है। भारतीय स्टेट बैंक की शोध रिपोर्ट के अनुसार उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति-एमपीसी 0.07 मानकर उपभोग (खपत) में 3.3 लाख करोड़ रुपये का उछाल आने का अनुमान है। एमपीसी से यहां अभिप्राय उपभोक्ता के खर्च करने की इच्छा बढ़ाने के अनुपात से है। एमपीसी को 0.6 से 0.7 के बीच मान लें तो उक्त एक लाख करोड़ रुपये की राशि में से उपभोक्ता आगामी 12 महीनों में 65,000 से 70,000 करोड़ रुपये की राशि खर्च कर लेंगे।

उपभोग या खपत में इस वृद्धि का गुणक प्रभाव होगा जिससे उत्पादन और निवेश में तेज़ी आएगी अर्थात् एक प्रकार का आवृत्तिचक्र

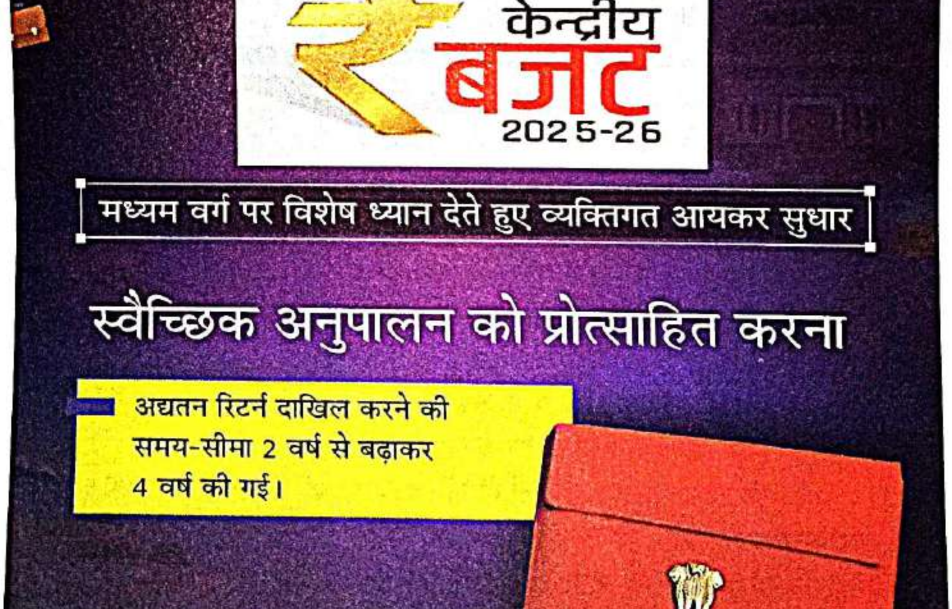

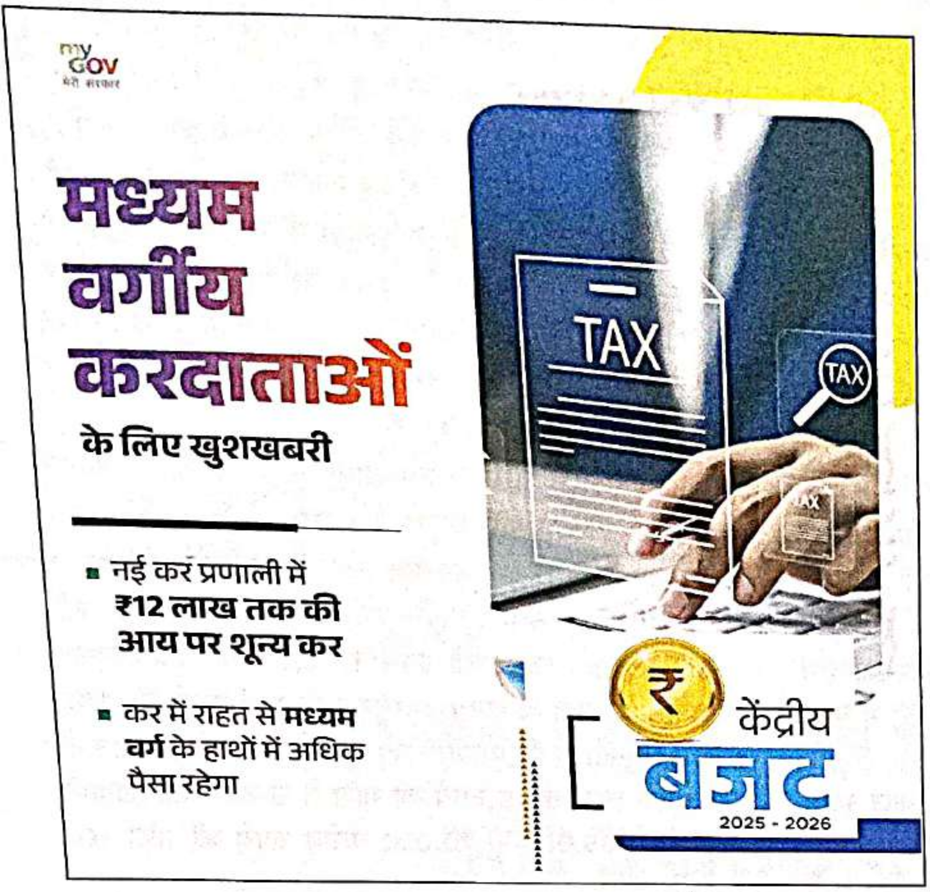

स्थापित हो जाएगा। कीन्स के फॉर्मूले के अनुसार राजकोषीय गुणक (एमपीसी 0.65 मानकर) लगभग 3 के आसपास पहुंच जाएगा। इसका अर्थ होगा कि 1 लाख करोड़ रुपये की खपत वृद्धि बढ़कर अर्थव्यवस्था पर करीब तीन गुणा प्रभाव डालेगी जिसके मायने होंगे मध्यावधि में यह बढ़ोतरी 3 लाख करोड़ रुपये से 3.30 लाख करोड़ रुपये के आसपास रहेगी।

फिर, नीति ब्याज दर, जिसे तकनीकी तौर पर रेपो दर कहते हैं, में 5 वर्ष के अंतराल के बाद भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा कटौती का प्रभाव भी जुड़ जाएगा जिससे इस समूचे विषम-चक्र को बड़ी तेज़ गति मिल जाएगी। इस चक्र की मूल धारणा यही है कि एक सार्थक या रचनात्मक बदलाव दूसरे सार्थक बदलाव को जन्म देता है। इसे समझने के लिए यह उदाहरण देखें कि जब लोगों के पास खर्च करने के लिए ज्यादा धन होता है तो उनकी मांग भी बढ़ जाती है। मांग बढ़ेगी तो कंपनियां अधिक उत्पादन करने में लग जाएंगी। उत्पादन बढ़ाने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत होगी। रोज़गार मिलने लगेगा तो लोगों के हाथ में ज्यादा धन आएगा जिससे मांग फिर बढ़ेगी और इस तरह यह समूचा चक्र चलता चला जाएगा।

अगला सवाल है कि लोग अपने हाथ में आया धन कहां खर्च करेंगे? अपेक्षा तो यही है कि वे इस धन से कार, दुपहिया वाहन, टेलीविजन सेट, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, मोबाइल फोन या अधिक पोषक तत्वों वाले खाद्य पदार्थों को प्राप्त करना चाहेंगे। अतिरिक्त खर्च की जा सकने वाली आय से निर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) और सेवाओं को भी लाभ होगा क्योंकि अतिरिक्त उपलब्ध राशि खाने के लिए बाहर जाने और स्थानीय पर्यटन वगैरह पर खर्च किए जाने की उम्मीद है।

क्वांटोइको की शोध रिपोर्ट में कहा गया है कि निजी अंतिम उपभोग (खपत) व्यय-पीएफएसई अर्थात् सकल घरेलू उत्पाद-जीडीपी में ही उपभोक्ता व्यय के बड़े भागों में होने वाली उच्च आय इलास्टिसिटी (लचीलापन) से राजकोषीय वृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन व्यय-श्रेणियों में परिवहन (वाहनों की खरीद), विविध वस्तुएं और सेवाएं (निजी देखरेख, आभूषण सामग्री) और कपड़े तथा जूते-चप्पल आदि शामिल हैं।

खर्च ज्यादा होने का एक लाभ और होगा तथा वह सरकार का होगा। जब लोग खर्च करते हैं तो सरकार को अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से मुनाफा होता है। 12 प्रतिशत की जीएसटी दर मानकर 3.3 लाख करोड़ रुपये के बढ़े हुए खर्च पर अप्रत्यक्ष करों के जरिये 40,000 करोड़ रुपये सरकार को मिलेंगे (इसमें से 20,000 करोड़ रुपये केंद्र को और 20,000 करोड़ रुपये राज्यों को प्राप्त होंगे)।

फिर, हस्तांतरण फॉर्मूले के तहत केंद की 20,000 करोड़ रुपये की 41 प्रतिशत या 8,000 करोड़ से ज्यादा की राशि राज्यों को हस्तांतरित की जाएगी। इस प्रकार राज्यों को नई कर प्रणाली के तहत कम से कम 28,0000 करोड़ रुपये का लाभ अवश्य मिलेगा। अप्रत्यक्ष कर राजस्व में इस वृद्धि से सरकारी वित्त और बढ़ेगा तथा आर्थिक गतिविधियों और सार्वजनिक व्यय की बढ़ोतरी का सतत चक्र बन जाएगा।

सरकार नया आयकर क़ानून लाने की पूरी तैयारी में है। वित्त मंत्री ने कहा था:

"विकसित भारत का हमारा स्वप्न पूरा करने की दिशा में कराधान सुधार प्रमुख हैं। आपराधिक क़ानून में हमारी सरकार भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता लागू कर चुकी है। इस सदन को और देश को यह बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि नए आयकर क़ानून में भी 'न्याय' की यही भावना निहित रहेगी। नए विधेयक का मसौदा मौजूदा क़ानून से लम्बाई में करीब आधा परन्तु अधिक स्पष्ट और सरल होगा, अध्यायों के हिसाब से भी और शब्दों के हिसाब से भी। करदाताओं और कर प्रशासकों के लिए यह समझने में आसान होगा जिससे करों में निश्चितता आएगी और मुकदमेबाजी बहुत कम होगी।"

पहले भी 2010 और 2013 में प्रत्यक्ष कर संहिता लाने का

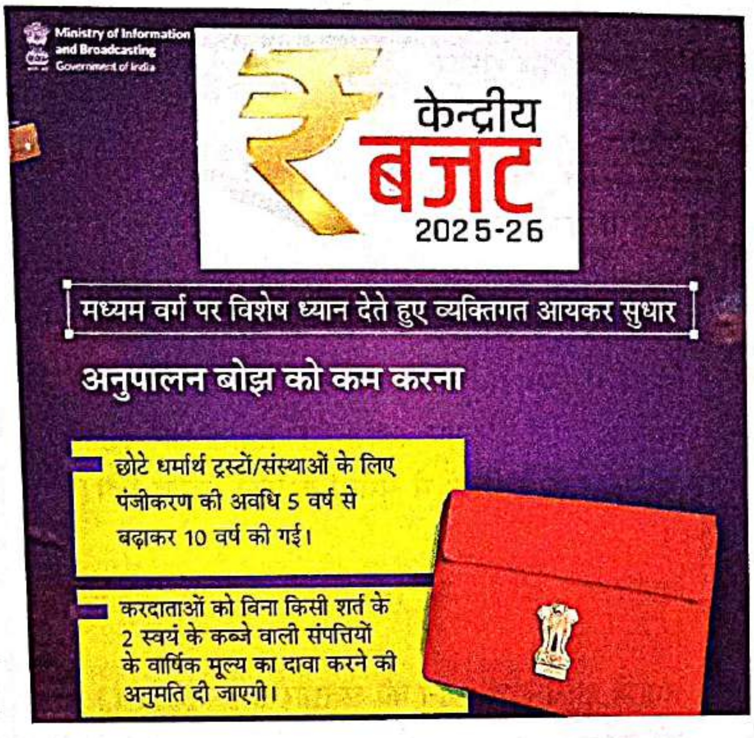

प्रयास हुआ था। उस विधेयक का मूल मंत्र 'सरलीकरण' था। हालांकि मसौदा विधेयक के सामान्य वंचनारोधी नियम-जीएएआर (सामान्य कर परिवहन नियम), अप्रत्यक्ष हस्तांतरण पर कर, छूट में उतार-चढ़ाव के जरिये निगमित करों में कटौती, जैसी व्यवस्थाएं आयकर क़ानून, 1961 में बदलाव करके ही लाई गई थीं।

जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में

कर सुधारों की सफलता की कहानी : जीएसटी से लाने-ले जाने की लागत घटी

परंपरागत रूप से भारत में लाने-ले जाने की लागत काफी ज्यादा मानी जाती है जिससे वैश्विक स्तर पर भारतीय उद्योगों को स्पर्धात्मक दृष्टि से पिछड़ा समझ लिया जाता है। लेकिन 1 जुलाई, 2017 से वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद यह लागत कम हुई है जिसे आर्थिक सर्वेक्षण (2023-24) में विशेष रूप से रेखांकित भी किया गया था। इसमें यही विशेषता है कि ''एक राष्ट्र, एक कर'' व्यवस्था लागू होने से ट्रकों को राज्यों की सीमाओं पर घंटों इंतजार नहीं करना पड़ता और कुल मिलाकर सामान पहुंचाने के समय में 30 प्रतिशत तक की कटौती संभव हो सकी है। इस तरह लाने-ले जाने का समय तो कम हुआ ही, साथ ही अब ट्रक एक दिन में 300 से 325 किलोमीटर चल लेते हैं जबकि जीएसटी आने से पहले ट्रक एक दिन में 225 किलोमीटर ही चल पाते थे। यह तथ्य सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट के आधार पर कहे जा रहे हैं।

यह बात महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे व्यापार में सुगमता बढ़ी है और देश के मैन्यूफैक्चरिंग (निर्माण) उद्योग में तेज़ी आई है। राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक शोध परिषद् एनसीएईआर के दिसम्बर, 2023 में किए अध्ययन में पता चला कि वित्त वर्ष 14 से वित्त वर्ष 22 के बीच लाने-ले जाने की लागत में जीडीपी के 0.8 से 0.9 प्रतिशत तक की कमी आई है।

विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (एलपीआई) में भारत जहां 2018 में 139 देशों में 44वें स्थान पर था वहीं 2023 में उसका स्थान 38वां हो गया। यह सुधार लाने-ले जाने की लागत में कमी और बेहतर व्यापार सुविधाओं से हो सका है। कार्गो ट्रैकिंग लागू हो जाने से विशाखापट्टणम के पूर्वी भाग में ट्रकों के रुके रहने का समय जहां 2015 में 32.4 दिन का था वहीं यह 2019 में घटकर 5.3 दिन का रह गया। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट में भारत जहां 2018 में 44वें स्थान पर था वहीं आधुनिकीकरण और डिजिटीकरण के आधार पर 2023 में वह 22वें स्थान पर पहुंच गया। इंफ्रास्ट्रक्चर स्कोर में भी भारत पांच स्थान ऊपर तथा लॉजिस्टिक्स कंपीटेंस एंड इक्वेलिटी में चार स्थान ऊपर होकर 48वें नंबर पर आ गया।

भारत का 2030 तक एलपीआई में चोटी के 25 देशों में पहुंचने का लक्ष्य है और इसकी पूर्ति में जीएसटी की भूमिका अहम रहेगी।

स्रोत : आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24

प्रमुख प्रत्यक्ष कर सुधार

2014

- स्विस बैंक खातों में जमा काले धन की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित
- डॉ. पार्चसारथी शोम के नेतृत्व वाले कर प्रशासन सुधार आयोग (टीएआरसी) ने विश्व की सर्वोत्तम पद्धतियों के संदर्भ में व्यावहार्य कर नीतियों और कर अधिनियमों की समीक्षा रिपोर्ट और कर प्रशासन को प्रभावी और दक्ष बनाने के लिए कर-प्रशासन में सुधारों के लिए सुझाव सौंपे।

2015

- संपत्ति-कर अधिनियम, 1957 में लगा संपत्ति कर समाप्त किया गया।
- प्रभावी प्रबंधन के स्थान की अवधारणा (पीओईएम) लागू की गई।

2016

- लेवी एक-सी रखने की व्यवस्था लागू की गई।
- आधार क्षरण और लाभ हस्तांतरण (वीईपीएस) उपाय लागू करने के वास्ते देशवार रिपोर्ट पेश की गई।
- पेशेवर लोगों के लिए आनुमानिक कराधान योजना शुरू की गई।
- पीएम गृह कल्याण योजना के लिए कोष एकत्र करने की आय घोषणा योजना शुरू की गई।

2017

- मूल देय तिथि निकल जाने के बाद आयकर रिर्टन दाखिल करने वाले करदाताओं पर शुल्क लगाने की योजना शुरू की गई।
- 2,50,000 रुपये से 5,00,000 रुपये के सबसे निचले स्लैब की कर-दर 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई।

2018

- वैतनिक व्यक्तियों के लिए मानक कटौती फिर लागू की गई।
- आकलन कार्यवाही को इलेक्ट्रोनिक ढंग से चलाने के लिए 'ई-प्रोसीडिंग' योजना शुरू की गई।

2019

- घरेलू कंपनियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था शुरू की गई।
- कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था की दिशा में बढ़ने के उद्देश्य से स्रोत पर कर कटौती की (टीडीएस) योजना शुरू की गई जो निर्धारित सीमा से अधिक नकद राशि की निकासी पर लागू होनी थी।
- पैन और आधार एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं।
- विभाग के कामकाज में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए दस्तावेज पहचान संख्या (डीआईएन) शुरू की गई।
- ई-आकलन योजना, 2019 शुरू की गई।

2020

- फेसलैस आकलन योजना 2020 और फेसलैस अपील योजना 2020 लागू की गईं।
- निजी करदाताओं के लिए नई आयकर व्यवस्था में रियायती कर दरें घोषित की गईं।
- लाभाशं वितरण कर (डीडीटी) समाप्त कर दिया गया।
- मुकदमेबाजी कम करके सरकारी राजस्व जुटाने के उद्देश्य से 'विवाद से विश्वास' योजना लाई गई।

2021

- नया ई-फाइलिंग पोर्टल शुरू किया गया।
- पुनआर्कलन और आकलन ढूंढने की नई योजना सर्च आकलन लागू की गई।
- आईटीएटी के समक्ष हाजिर हुए बिना फेसलैस कार्यवाही की व्यवस्था लागू की गई।
- अग्रिम व्यवस्था के लिए बोर्ड का गठन किया गया।
- समझौता (निपटान) आयोग समाप्त कर दिया गया।

2022

- वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों पर कर लगाने की व्यवस्था शुरू की गई।
- कोविड 19 से जुड़े मुआवजे पर कर-राहत लागू की गई।

आई तो प्रत्यक्ष कर में बदलावों के सुझाव देने के लिए 2017 में एक कार्यदल का गठन किया गया था। इस कार्यदल ने 2019 में दी अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया था कि वार्षिक आधार पर बदलाव लाने की जगह कर प्रणाली में स्थिरता लाने के उद्देश्य से व्यक्तिगत आय कर की दरों को अधिक तर्कसंगत बनाया जाए। जहां इन सुझावों को ही नए आयकर विधेयक का मूल आधार बनाया गया है और फिर जुलाई से दिसम्बर, 2024 के बीच और विचार-विमर्श भी हुआ। अब ऐसे संकेत हैं कि नया विधेयक एक प्रगतिशील कर व्यवस्था निर्धारित करेगा जिसमें सरल, निष्पक्ष, लचीला और लागू करने में आसान कर क़ानून लागू किया जा सकेगा। ऐसे प्रयास भी किए गए हैं कि कर-भुगतान आसान हो जाए तथा व्यापार करने में सुगमता हो।

- 'अपडेटिड रिटर्न' शुरू की गई जो रिटर्न दाखिल करने की संशोधित तिथि समाप्त होने के बाद भी दाखिल की जा सकती है।

2023
- नई आयकर व्यवस्था में आयकर से छूट की सीमा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये की गई।
- 15 प्रतिशत निगमित कर लाभ उन नई सहकारी समितियों को भी देने का फैसला किया गया जो 31 मार्च, 2024 तक उत्पादन शुरू करने लगेंगी।
- स्टार्ट-अप्स को आयकर लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उनकी स्थापना की तारीख एक वर्ष के लिए और बढ़ा दी गई।

2024
- सभी वर्गों के निवेशकों के लिए एंजिल कर समाप्त कर दिया गया।
- हीरे बेचने वाली विदेशी कंपनियों के लिए निगमित कर दर 40 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत की गई।
- वैतनिक कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये की गई।

2025
- 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वालों पर कोई आयकर नहीं (वैतनिक कर्मचारियों के लिए राशि 12.75 लाख रुपये होगी)।
- तीन वर्ष की अवधि के ब्लॉक के लिए अंतरराष्ट्रीय लेनदेन पर आर्म्स लेंग्थ प्राइस योजना का प्रस्ताव।
- सुरक्षित हार्बर नियमों के क्षेत्र का विस्तार किया गया ताकि मुकदमेबाजी कम हो और अंतरराष्ट्रीय कर व्यवस्था में निश्चितता आए।
- इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग योजनाओं के लिए कर निश्चितता।
- स्टार्टअप्स के लिए स्थापना की अवधि में 5 वर्ष का विस्तार।

स्रोतः आयकर विभाग, बजट दस्तावेज

आयकर क़ानून, 1961 में इसके लागू होने के बाद से अनेक संशोधन किए गए हैं जिससे यह अधिक गहन और व्यापक हो गया है। कर प्रणाली को अधिक व्यावहारिक बनाए रखने और उसकी खामियों को दूर करने के प्रयास करके मौजूदा क़ानून में बदलाव-सुधार करने जरूरी होते ही हैं। अब कर क़ानून वैश्विक स्तर के आ रहे हैं इसलिए 60 वर्ष से भी ज्यादा पुराने क़ानून से अपेक्षित परिणाम और उद्देश्य प्राप्त करना शायद संभव नहीं रह गया है।

अप्रत्यक्ष करों में सुधार : सीमा शुल्क

जुलाई, 2024 के बजट में घोषित कस्टम (सीमा शुल्क) दर ढांचे की व्यापक समीक्षा के तहत होने वाले उपायों की चर्चा किए बिना कर-प्रणाली में सुधारों की बात अधूरी ही रह जाएगी। इसी क्रम में सात शुल्क दरें समाप्त करने का प्रस्ताव लाया गया है जो 2023-24 के बजट में समाप्त की गई सात शुल्क दरों से अलग हैं। अब 'शून्य' दर सहित कुल आठ शुल्क दरें शेष रह जाएंगी।

कुछेक मदों को छोड़कर मोटे तौर पर प्रभावी शुल्क व्यवस्था रखने के लिए उपयुक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव है जिससे कुल मिलाकर एक ही शुल्क या सरचार्ज (अधिभार) रह जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए 82 शुल्क मदों को समाज कल्याण अधिभार से मुक्त कर दिया गया है। इस सारी प्रक्रिया का उद्देश्य अधिक पारदर्शिता और स्पर्धा की भावना बनाए रखना है।

एक अन्य बड़े प्रस्ताव के तहत विदेश व्यापार के तहत अस्थायी आकलन को अंतिम रूप से तय करने की समय सीमा 2 वर्ष कर दी जाएगी जिसे एक वर्ष और बढ़ाया जा सकेगा। इस समय सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत अस्थायी आकलनों को अंतिम रूप से तय करने की कोई समय-सीमा नहीं है जिससे अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है और व्यापार लागत भी बढ़ जाती है।

व्यापार में सुगमता लाने के उद्देश्य से दो और प्रस्ताव किए गए हैं जिनसे आयातक और निर्यातक, वस्तुओं की अनुमति मिलने के बाद, स्वेच्छा से असल तथ्य घोषित कर सकेंगे और उन पर पेनाल्टी की जगह ब्याज भी खुद ही तय कर पाएंगे। इस प्रकार नियमों के पालन को प्रोत्साहन मिलेगा। परन्तु यह व्यवस्था उन मामलों में लागू नहीं होगी जहां विभाग लेखा परीक्षा (ऑडिट) या जांच प्रक्रिया शुरू कर चुका है। दूसरा प्रस्ताव है कि आयातित आदानों को इस्तेमाल करने की समय-सीमा छः महीने से बढ़ाकर एक वर्ष की जाएगी। इससे सप्लाई की लागत और अनिश्चितता को देखते हुए क्रियान्वयन में लचीलापन लाया जा सकेगा। और फि, ऐसे आयातक को मासिक विवरणी के स्थान पर त्रैमासिक विवरणी भरनी होगी।

निष्कर्ष

जहां नई आयकर व्यवस्था का उद्देश्य खपत (उपभोग) को बढ़ावा देना है वहीं सीमा-शुल्क तंत्र में बदलाव निर्माताओं को घरेलू मांग पूरी करने और वैश्विक चुनौतियों का सामना प्रभावी ढंग से करने में सक्षम बनाना है। आखिर, आर्थिक वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद-जीडीपी से नहीं बल्कि सकल मूल्य संवर्धन-जीवीए से मानी जाती है और 2025-26 के केंद्रीय बजट में इन दोनों को ही ध्यान में रखा गया है। जीडीपी मांग को और जीवीए सप्लाई को दर्शाती है। ❑

पर्यावरण अनुकूल बजट

लाबन्या प्रकाश जेना | सतत वित्त विशेषज्ञ और शोधार्थी, जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट (एक्सएलआरआई), जमशेदपुर, झारखंड।
ईमेलः labanyajena@gmail.com

भारत का वित्त वर्ष 2025-26 का बजट जलवायु लक्ष्यों के प्रति अपनी वचनबद्धता को मज़बूत करता है। इसमें स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए राशि में वृद्धि की गई है। बजट में सौर ऊर्जा, पीएम-कुसुम योजना, परमाणु मिशन और शहरी चुनौती कोष पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसमें देश में स्वच्छ प्रौद्योगिकी निर्माण, चक्रीय अर्थव्यवस्था और जलवायु परिस्थितियां सहने में सक्षम कृषि को भी बढ़ावा दिया गया है, जिससे एक पर्यावरण अनुकूल यानी हरित और टिकाऊ अर्थव्यवस्था को समर्थन मिलेगा।

दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे बड़ा लोकतंत्र बनने की ओर अग्रसर, भारत ने अपने जलवायु लक्ष्यों के प्रति वचनबद्धता दिखाई है। भारत ने अपनी प्रतिबद्धता की समय-सीमा से एक दशक पहले ही सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में निहित कार्बन तीव्रता (किसी अर्थव्यवस्था की प्रति इकाई, आर्थिक उत्पादन या गतिविधि के लिए उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड) की मात्रा को 2005 के स्तर से 36 प्रतिशत तक कम कर दिया है। इसके अलावा, भारत ने अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के तहत 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में कमी के लक्ष्य को बढ़ाकर 45 प्रतिशत कर दिया है। पिछले साल के अंत तक, भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता बढ़कर लगभग 210 गीगावाट हो गई और 2030 तक 500 गीगावाट का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। भारत की सतत हरित नीतियों, जलवायु संबंधी क्षेत्रों में उदार बजट आवंटन और जलवायु कार्रवाई ने वैश्विक स्तर पर जलवायु कार्रवाई के अग्रणी के रूप में देश की बढ़ती प्रतिष्ठा को स्थापित किया है।

इसी संदर्भ में, 2025-26 के केंद्रीय बजट ने भारत के जलवायु लक्ष्यों की प्रतिबद्धता को और मज़बूती दी है और इसे देश की आर्थिक विकास योजनाओं का अभिन्न हिस्सा बना दिया है। इस बजट में स्वच्छ ऊर्जा, परिवहन और महत्वपूर्ण खनिजों सहित जलवायु कार्रवाई के सभी पहलुओं का समर्थन किया गया है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2025-26 के बजट ने जलवायु अनुकूलन पर भी आवश्यक ध्यान दिया है। भारत, जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली अत्यधिक विषम मौसमी घटनाओं से सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक है। विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। इस बजट में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए किसानों के लिए ठोस उपायों की घोषणा की गई है।

हरित क्षेत्रों की नीतियों के कार्यान्वयन और शासन में सुधार

वित्त मंत्रालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बजट में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि की है, जिससे इसका आवंटन पिछले बजट के 3,125.96 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3,412.82 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह हरित क्षेत्रों में नीतियों और प्रबंधन को सुधारने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत का ऊर्जा क्षेत्र तेजी से परिवर्तित हो रहा है। देश में इस्तेमाल होने वाले ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा हर वर्ष बढ़ रहा है, जिसका श्रेय उदार वित्तीय और राजकोषीय प्रोत्साहनों को जाता है। इस प्रगति को और आगे बढ़ाने के लिए, 2025-26 के बजट में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बजट में 39 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि करते हुए 19,100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 25,649 करोड़ रुपये कर दिया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा के लिए यह वृद्धि भारत की स्वच्छ ऊर्जा प्रणाली की ओर बढ़ने की नीति प्रतिबद्धता का स्पष्ट संकेत है।

वितरित सौर ऊर्जा पर ज़ोर

स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों में सबसे सस्ती होने के कारण, सौर ऊर्जा को बजट में अधिक आवंटन मिला है। घरों, कारोबारों, और सार्वजनिक संस्थानों में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके बिजली बनाने यानी वितरित सौर ऊर्जा को व्यापक रूप में अपनाना, ऊर्जा क्षेत्र को कम कार्बन-उत्सर्जक और समावेशी बनाने यानी लोगों की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में वितरित ऊर्जा क्षेत्र का आवंटन बढ़ाकर 22,600 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो कि वित्त वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान से 66 प्रतिशत अधिक है। फरवरी 2024 में शुरू की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 300 यूनिट तक मुफ्त सौर-उत्पन्न बिजली प्रदान की जाती है। इस योजना की शुरुआत के एक वर्ष के भीतर (दिसंबर 2024 तक) ही 6,30,000 से अधिक घरों में सौर उपकरण लगाए जा चुके हैं जिसकी औसत मासिक स्थापना दर 70,000 रही है। इस कार्यक्रम ने घरों को राष्ट्रीय जलवायु शमन योजनाओं से जोड़ने में सफलता प्राप्त की है और बिजली की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार किया है।

इसी प्रकार, पीएम-कुसुम योजना के लिए बजट आवंटन भी बढ़ाकर 2,600 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो वित्त वर्ष 2024-25 के अनुमान से 3 प्रतिशत अधिक है। इस योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के जरिए पानी के पंपों को संचालित को करना है। इस योजना के दो प्रमुख उद्देश्य हैं—डीजल और ग्रिड पर निर्भरता कम करना और साथ ही किसानों की आय बढ़ाना। ये नीतियां सभी के लिए लाभदायक हैं। इसमें जलवायु शमन के लक्ष्य सरकार की योजनाओं, परिवारों तथा किसानों की वित्तीय स्थिति के साथ सहजता से तालमेल बैठाते हैं।

स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और निर्माण: संतुलन और प्राथमिकताओं को सही से समायोजित करना

2025-26 का बजट औद्योगिक नीतियों को इस तरह से समायोजित करने के लिए तैयार किया गया है जिससे देश की स्वच्छ प्रौद्योगिकी निर्माण क्षमता मजबूत हो और जलवायु तकनीकों के लिए आयातित सामग्रियों पर निर्भरता कम हो। सौर सेल और ग्रिड-स्तरीय बैटरियां सहित संपूर्ण सौर मूल्य श्रृंखला पर लिए गए उपाय भारत को सौर क्षेत्र में एक मजबूत स्थिति दिला सकते हैं। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा अवसंरचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसमें विश्व स्तरीय बिजली संयंत्रों का विकास और कुशल बिजली प्रबंधन शामिल है। यही रणनीति अन्य सौर और बैटरी निर्माण कंपनियों पर लागू की जा रही है, जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

नवीकरणीय ऊर्जा के सुचारु ट्रांसमिशन के लिए ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण करने और इसे ग्रिड से जोड़ने से नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के और विकास में समर्थन मिलेगा। हरित ऊर्जा गलियारों (जीईसी) के लिए बजट आवंटन को बढ़ाकर 600 करोड़ रुपये कर दिया गया जिससे सौर एवं पवन ऊर्जा हेतु अवसंरचना का निर्माण और ट्रांसमिशन आसान हो सकेगा। इसके अलावा, बिजली वितरण कंपनियों के सुधारों के तहत राज्यों को अतिरिक्त ऋण लेने की अनुमति दी गई है, जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक संकेत है। बिजली वितरण कंपनियों की बेहतर वित्तीय स्थिति नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से ऊर्जा खरीदने वालों (ऑफ टेकर) से जुड़े वित्तीय जोखिम को कम कर सकती है। यह जोखिम कम होने से इस क्षेत्र की कंपनियों की क्रेडिट रेटिंग यानी साख में सुधार होगा और वे कम ब्याज दर पर ऋण जुटा सकेंगी। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर पूंजी जुटाना अब भी एक चुनौती बना

#ViksitBharatBudget2025

लिथियम-आयन बैटरी विनिर्माण

- ईवी बैटरी विनिर्माण के लिए 35 अतिरिक्त पूंजीगत सामान और मोबाइल फोन बैटरी विनिर्माण के लिए 28 अतिरिक्त पूंजीगत सामान को छूट प्राप्त पूंजीगत सामान की सूची में जोड़ा जाएगा।
- मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिक वाहनों दोनों के लिए लिथियम-आयन बैटरी के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा।
- कोबाल्ट पाउडर और अपशिष्ट, लिथियम-आयन बैटरी के स्क्रैप, सीसा, जस्ता और 12 महत्वपूर्ण खनिजों पर बीसीडी की पूर्ण छूट।

हुआ है। बजट ने हरित हाइड्रोजन क्षेत्र को भी बढ़ावा दिया है, जिसके तहत इसके लिए आवंटन को दोगुना कर 300 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 600 करोड़ रुपये कर दिया गया है। हरित हाइड्रोजन एक महत्वपूर्ण तकनीक है जो इस्पात, सीमेंट जैसे मुश्किल से होने वाले डिकार्बोनाइज़ क्षेत्रों में निर्माण और उत्पादन की प्रक्रिया तथा लंबी दूरी के परिवहन क्षेत्रों (जैसे जहाज़रानी, विमानन, लॉन्ग-हॉल ट्रक्स) को कार्बन का उत्सर्जन कम करने में मदद कर सकती है।

परमाणु ऊर्जा-भारत की ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा की दिशा में बढ़ने हेतु एक और दूरदर्शी कदम

भारत की स्वच्छ ऊर्जा विस्तार रणनीति मुख्य रूप से सौर ऊर्जा पर केंद्रित रही है, लेकिन स्वच्छ ऊर्जा के अन्य स्रोतों में विविधता लाने के लिए वैकल्पिक स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों पर भी विचार किया जा रहा है। परमाणु ऊर्जा चौबीसों घंटे स्वच्छ ऊर्जा प्रदान कर सकती है और इसके ऊर्जा भंडारण में भारी निवेश की आवश्यकता नहीं होती इसलिए इसे बड़े पैमाने पर अपनाना लाभदायक हो सकता है। 28वें अंतरराष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कॉप28) में कार्बन उत्सर्जन मुक्त होने के लक्ष्यों को प्राप्त करने में परमाणु ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया गया है।

वर्ष 2024 के मध्य तक भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता केवल 8.2 गीगावाट थी जबकि 2022-23 में कुल बिजली उत्पादन में इसका योगदान मात्र 2.8 प्रतिशत का था। हाल में घोषित परमाणु मिशन के अंतर्गत 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। यह ऊर्जा सुरक्षा हासिल करने की दिशा में एक दूरदर्शी पहल है जिसे सफल राष्ट्रीय सौर मिशन की तर्ज पर बनाया गया है। यह सौर और पवन ऊर्जा से आगे बढ़ते हुए स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढने को भी गति देगा। जापान और फ्रांस जैसे देशों में परमाणु प्रौद्योगिकी ने जबरदस्त सफलता पाई है, और अब यह तकनीक, जोखिमों को नियंत्रित करने तथा किफायती दरों पर ऊर्जा उत्पादन करने के लिए परिपक्व हो चुकी है।

स्वदेशी छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (एसएमआर) विकसित करने का प्रस्ताव कई आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, जैसे कि— कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में कार्बन-उत्सर्जक ऊर्जा संयंत्रों का प्रतिस्थापन, नवीकरणीय ऊर्जा को ग्रिड से जोड़ते समय ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित करना, समुद्री जहाजों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना आदि। मध्यम अवधि में पांच स्वदेशी एसएमआर विकसित करने का प्रस्ताव उन क्षेत्रों के लिए गैर-जीवाश्म ऊर्जा आपूर्ति के नए अवसर खोल सकता है, जिन्हें कम कार्बन विकल्पों में बदलाव करना मुश्किल हो रहा है।

इसके अलावा, अगले दशक में भारत में कई ऊर्जा-खपत वाले डेटा केंद्रों की संख्या में वृद्धि होगी, जिसका श्रेय समाज, व्यापार और सरकारी सेवाओं के तेज़ी से डिजिटल परिवर्तन को जाता है। इन केंद्रों की बिजली खपत 2030 तक बढ़कर भारत की कुल बिजली खपत के 1 प्रतिशत से 3 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। एसएमआर तकनीक, डेटा केंद्रों के लिए एक संभावित स्वच्छ ऊर्जा समाधान बन सकती है। अन्य देशों में कई प्रौद्योगिकी कंपनियां अपने डेटा केंद्रों से कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए एसएमआर तकनीक का परीक्षण कर रही हैं।

परमाणु क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने की घोषणा इस उद्योग के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण होगी। इसके अलावा अनुसंधान एवं विकास हेतु 20,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटन तकनीक के विकास और उसे उन्नत करने में महत्वपूर्ण होगा, जिससे कि निजी क्षेत्र इसमें निवेश के लिए आकर्षित हो सकेगा। इसके साथ ही, परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणु क्षति के लिए असैन्य दायित्व अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव से इस प्रौद्योगिकी से जुड़े दायित्व जोखिमों को कम किया जा सकता है। यह कदम निजी निवेशकों को परमाणु क्षेत्र की ओर आकर्षित करने में सहायक सिद्ध हो सकता है।

आवागमन

आवगमन हेतु इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग भारत के परिवहन क्षेत्र को पर्यावरण अनुकूल बनाने का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो वर्तमान में भारी मात्रा में आयातित ईंधनों पर निर्भर है। इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) का उपयोग करने से भारत की ऊर्जा सुरक्षा मज़बूत होगी और देश को वैश्विक तेल कीमतों में उतार-चढ़ाव से उत्पन्न विदेशी मुद्रा बाज़ार के जोखिमों से बचाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, तेल पर निर्भरता कम होने से सरकार मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में भी अधिक सक्षम होगी, क्योंकि यह अक्सर अंतरराष्ट्रीय तेल बाज़ार के उतार-चढ़ाव से जुड़ी होती है।

2025-26 के बजट ने इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण की घरेलू क्षमता को बढ़ाने और ईवी तंत्र में आपूर्ति शृंखला की अनिश्चितताओं

को कम करने हेतु इलेक्ट्रिक वाहनों के आपूर्ति पक्ष पर ज़ोर दिया है। इसके तहत कोबाल्ट, लिथियम-आयन बैटरी स्क्रैप, सीसा और जस्ता जैसी महत्वपूर्ण सामग्रियों पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) को हटाने से ईवी निर्माण लागत घटेगी और भारत में ईवी विनिर्माण आधार मज़बूत होगा। इसके अतिरिक्त उन्नत रसायन सेल बैटरी भंडारण पर उत्पादन से जुडी. प्रोत्साहन योजना के लिए बजट आवंटन बढ़ाया गया, जिससे ईवी क्षेत्र को और गति मिलेगी। ईवी बैटरियों के लिए आयातित 35 अतिरिक्त पूंजीगत सामानों पर सीमा शुल्क में छूट से ईवी आपूर्ति शृंखला को मज़बूती मिलेगी।

पुनर्चक्रण

भारत को विकसित के साथ-साथ हरित अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारी मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता होगी, लेकिन हरित अर्थव्यवस्था के लिए केवल अप्रयुक्त कच्चे माल पर निर्भर रहना व्यावहारिक नहीं है। चक्रीय अर्थव्यवस्था ऊर्जा खपत को 11 प्रतिशत तक कम कर सकती है। बजट में जहाज़ निर्माण क्षेत्र एवं अवशेषों से महत्वपूर्ण खनिजों की प्राप्ति हेतु वित्तीय लाभों की घोषणा की गई है जो देश में चक्रीय अर्थव्यवस्था का मार्ग प्रशस्त करेंगे।

कृषि क्षेत्र पर ध्यान

सरकार किसानों के समर्थन और उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। जलवायु परिवर्तन के दौर में, जब यह कृषि क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है, किसानों की आय घटा रहा है और उनकी आजीविका को खतरे में डाल रहा है, तब यह और भी आवश्यक हो जाता है। जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली विषम मौसमी घटनाओं जैसे अत्यधिक गर्मी और जल संकट से कृषि उपज और खाद्य उत्पादन में गिरावट आ सकती है। आर्थिक सर्वेक्षण में पहले ही इन्हें उजागर किया गया था। इसके समाधान के लिए 'उच्च उपज वाले बीजों के लिए राष्ट्रीय मिशन' की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य बदलती जलवायु परिस्थितियों को सहने में सक्षम बीजों का विकास करना है ताकि किसान अत्यधिक विषम मौसमी घटनाओं का सामना कर सकें और भारत की खाद्य सुरक्षा को मज़बूत मिले।

समग्र कार्रवाई

भारत की जैव विविधता के प्रति संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण आवश्यक है ताकि जैव विविधता बनी रहे और जलवायु को नियंत्रित किया जा सके। इन संसाधनों के संरक्षण से कमज़ोर समुदायों के लिए सतत आजीविका को भी समर्थन मिलेगा। जलीय पारिस्थितिक तंत्रों की सुरक्षा से स्वच्छ जल की उपलब्धता सुनिश्चित होती है, मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलता है और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचाव की क्षमता बढ़ती है। ये सभी प्रयास पर्यावरणीय संतुलन और पर्यावरण की दीर्घकालिक वहनीयता को बल देते हैं। वित्त वर्ष 2026 के बजट में प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण, जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों की सुरक्षा, 'प्रोजेक्ट टाइगर (बाघ)' और 'प्रोजेक्ट एलीफेंट (हाथी)' के लिए अधिक धनराशि आवंटित की गई है। यह दर्शाता है कि भारत पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता को बनाए रखने के लिए व्यापक उपायों के प्रति वचनबद्ध है।

सतत शहरी विकास हेतु शहरी विकास कोष की स्थापना

वित्त वर्ष 2026 के बजट में 'शहरी चुनौती कोष' स्थापित करने की भी घोषणा की गई है, जिसके तहत भारत के विकास वाहक के रूप में कार्य करने वाले शहरों के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे। जल और स्वच्छता शहरी क्षेत्रों के लिए प्रमुख चुनौतियां हैं, और बजट ने इस कोष में बहुत महत्व दिया है। बजट के तहत शहरों को लाभदायक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रोत्साहित किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से परियोजना लागत पर 25 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार के इस समर्थन को अपने स्वयं के वित्तीय संसाधनों के साथ मिलाकर, शहर जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजनाओं हेतु निजी पूंजी आकर्षित कर सकते हैं, जो इन दो सार्वजनिक सेवाओं में वित्तीय अंतर को पाटने के लिए आवश्यक है।

केंद्रीय बजट 2025-26 भारत की हरित और सतत अर्थव्यवस्था की महत्वाकांक्षा को सशक्त करता है और देश को अत्यधिक जलवायु परिस्थितियों को सहने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा जलवायु प्रौद्योगिकियों के लिए भारत को एक प्रतिस्पर्धी विनिर्माण केंद्र बनाने पर ध्यान केंद्रित करना देश को आत्मनिर्भर बनाएगा और वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने के साझा लक्ष्य को प्राप्त करने में अन्य देशों की भी सहायता करेगा। ❑

सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदम

सैयद सलमान हैदर | वरिष्ठ विज्ञान पत्रकार तथा उपनिदेशक, दूरदर्शन समाचार, पटना, विहार।
ईमेल : salman.haider2369@gmail.com

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के बजट में अबतक के सर्वाधिक 24,224 करोड़ का प्रावधान देश में सौर ऊर्जा से सम्बन्धित परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए किया गया है। अपने बजट भाषण में वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना की घोषणा की है। इससे 'मेक इन इंडिया' की अवधारणा को बल मिलेगा। इसका उद्देश्य घरेलू मूल्य-संवर्धन में सुधार करना और सोलर पीवी सेल्स, ई.वी. बैटरीज़, मोटर्स एवं कंट्रोलर्स, इलेक्ट्रोलाइज़र्स, पवन चक्की, अति-उच्च वोल्टेज पारेषण उपकरण और ग्रिड क्षमता बैटरियों के लिए एक परिस्थिति तंत्र तैयार करना है। यह सही है, कि सौर ऊर्जा या वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन में काम आने वाले कच्चे माल, तैयार उत्पाद और संबन्धित उपकरणों के लिए हम अधिकतर आयात पर ही निर्भर हैं। उत्पादन से जुड़े आर्थिक प्रोत्साहन और दूसरे उपायों के लागू हो जाने से यह आशा की जा सकती है कि हम न सिर्फ इस दिशा में आत्मनिर्भर होंगे, 300 मेगावाट सौर ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और हमारी आयात पर निर्भरता समाप्त होगी।

देश में सौर ऊर्जा क्रांति जन्म ले रही है। सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी देशों की सूची में भारत का नाम भी शामिल हो गया है। सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में भारत अक्तूबर 2024 तक विश्व में चौथे स्थान पर है। देश ने 2030 तक 300 गीगावाट स्थापित क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। लेकिन इसके लिए बड़े पैमाने पर जन-जागरुकता और सौर ऊर्जा के फ़ायदों को समझाना ज़रूरी है। लोगों को यह भी समझाना ज़रूरी है कि साल-दर-साल बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए भी हमें वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों का सहारा लेना होगा, जिनमें प्रमुख रूप से जल विद्युत, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा शामिल हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन सेल ईंधन पर भी शोध कार्य हो रहे हैं, ताकि पानी से इलेक्ट्रोलिसिस के जरिये कम लागत पर ग्रीन हाइड्रोजन तैयार की जा सके।

वैकल्पिक ऊर्जा के इन स्रोतों में सौर ऊर्जा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में पूरे वर्ष के अधिकतर दिनों में सूर्य का प्रकाश प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की दिसंबर 2024 तक कुल स्थापित क्षमता दो लाख 32 हज़ार मेगावाट या 232 गीगावाट से कुछ अधिक है। इसमें सौर ऊर्जा का हिस्सा 97864.72 मेगावाट यानी 97.86 गीगावाट है। वर्ष 2014 में जहां देश में स्थापित सौर क्षमता मात्र 2.8 गीगावाट थी, वहीं 2024 के दिसंबर में यह बढ़ कर 97.86 गीगावाट हो गयी। इसका अर्थ है, पिछले एक दशक में 3495% की कल्पनातीत वृद्धि!

सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयास

पीएम सूर्यघरः मुफ्त बिजली योजनाः वर्ष 2024 में, शुरू की गयी इस योजना का उद्देश्य मार्च, 2027 तक देश के एक करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से आच्छादित करना है। इस योजना में घर की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए 40 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है। इस काम के लिए 20,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

कुसुम (किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान) योजनाः इस योजना का मुख्य फोकस कृषि सिंचाई पंपों को सौर ऊर्जीकृत करने और किसानों को स्वयं सौर पम्प उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। इससे सतत् कृषि को जहां एक ओर बढ़ावा मिलेगा, वहीं ग्रिड पर पड़ने वाला बोझ भी कम होगा। इस योजना के लिए 2,600 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाः सौर सेल, मॉड्यूल और अन्य महत्वपूर्ण उपकरणों के देश में विनिर्माण को बढ़ावा देने, आयात पर निर्भरता कम करने और स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई योजना का विस्तार किया गया है।

चूंकि लोगों की भागीदारी के बिना लक्ष्य हासिल करना संभव नहीं है इसलिए, सरकार द्वारा लोगों को अपनी छतों पर पीवी सोलर पैनल लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य सरकारें भी इस दिशा में तेज़ी से काम कर रही हैं। नीचे दी गई तालिका में उन शीर्ष दस राज्यों के नाम दिए गए हैं जिन्होंने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की हैः-

क्र.	राज्य	*31 दिसंबर, 2024 तक सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता (एमडब्ल्यू)
1	राजस्थान	26,489.65
2	गुजरात	16,795.77
3	तमिलनाडु	9,518.37
4	महाराष्ट्र	8,989.36
5	कर्नाटक	8,986.94
6	मध्य प्रदेश	4,973.58
7	तेलंगाना	4,842.10
8	आंध्र प्रदेश	4,730.27
9	उत्तर प्रदेश	3,346.99
10	हरियाणा	1,986.96

*स्रोतः नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार

संस्थागत स्तर पर सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा

संस्थागत और घरेलू स्तर पर बढ़ते सौर ऊर्जा के उत्पादन और इसके प्रयोग से इसे निरंतर प्रोत्साहन मिल रहा है। केंद्र और राज्यों के लगभग सभी सरकारी कार्यालयों में 'ग्रीन एनर्जी' को बढ़ावा दिया जा रहा है। उत्पादन लागत कम होने और अनुवर्ती खर्च नगण्य होने के कारण बड़े पैमाने पर निजी संस्थान भी इसे अपनाते जा रहे हैं। सरकारी कार्यालयों में रूफ टॉप सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, जिससे वे अपनी ऊर्जा जरूरतों का कुछ हिस्सा सौर ऊर्जा से पूरा कर पा रहे हैं। कुछ स्थानों पर तो 70 से 90 प्रतिशत तक बिजली आवश्यकता वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों से पूरी हो पा रही है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान–मद्रास (आईआईटीएम) से जुड़ा रिसर्च पार्क ऐसा ही परिसर है, जहां कुल बिजली आवश्यकता का 90 प्रतिशत सौर व पवन ऊर्जा से पूरा हो रहा है। 'रूफ टॉप' सोलर पैनल के साथ ही रिसर्च पार्क का अपना सोलर और विंड मिल फॉर्म भी है।

नवीकरणीय ऊर्जा का बैटरियों में भंडारण

सौर ऊर्जा का भंडारण 24x7 बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की सफलता की कुंजी है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में ग्रीड स्केल बैटरियों के विकास का भी उल्लेख किया जो बड़े पैमाने पर ऊर्जा संग्रहित कर सकती है। ऐसी बैटरियों को विकसित करने के लिए अनुसंधान और विकास प्रक्रिया पहले से ही सरकारी स्वामित्व

आईआईटीएम रिसर्च पार्क में सोलर रूफ टॉप

वाले संस्थानों में चल रही है। चेन्नई-स्थित आईआईटी-एम रिसर्च पार्क ने इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। रिसर्च पार्क में स्थित सेंटर फॉर बैटरी इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लगातार इसकी लागत कम करने पर काम कर रहा है। संस्थान ने बिजली चालित वाहनों के लिए ऐसी बैटरी विकसित की है, जिसकी लागत 40 प्रतिशत तक कम है। आमतौर पर घरों में इस्तेमाल होने वाले इनवर्टरों में लेड-एसिड बैटरियों का इस्तेमाल होता है, जबकि बिजली चलित वाहनों में लिथियम-आयन बैटरियां प्रयोग की जाती हैं। इसके अलावा सोडियम सल्फर, निकेल-क्लोराइड और रेडॉक्स बैटरियों की लागत कम करने का भी प्रयास चल रहा है।

आईआईटी-एम रिसर्च पार्क के वैज्ञानिकों ने भंडारण के सस्ते विकल्प पर काम किया है और परिसर में एक कंटेनर में एक मेगावाट की स्टोरेज क्षमता विकसित की है। इससे अभी 4 घंटे तक का बैकअप मिलता है, जिसकी क्षमता आगे चलकर तीन गुना तक बढ़ायी जा सकती है। परिसर का कुल बिजली उपभोग लगभग 50 मेगावाट ऑवर प्रतिदिन है, जिसमें से 45 एमडब्ल्यूएच नवीकरणीय ऊर्जा (सौर व पवन) से पूरा होता है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) का अनुमान है कि भारत 2030 तक 34 गीगावाट या 136 गीगावाट घंटा बैटरी ऊर्जा भंडारण क्षमता हासिल कर लेगा। इस पहल का उद्देश्य बिजली ग्रिड में अक्षय ऊर्जा एकीकरण को बढ़ाना है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के 'भारत ऊर्जा आउटलुक 2021' का अनुमान है कि भारत 2030 तक 140-200 गीगावाट बैटरी ऊर्जा भंडारण क्षमता हासिल कर सकता है। 2040 तक की अवधि के लिए, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) को दुनिया में सबसे अधिक लक्ष्य माना जा रहा है। बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के व्यापक एकीकरण को सक्षम करने के लिए एक स्तम्भ के रूप में उभरी है।

*स्रोत : सीईए

ग्रामीण क्षेत्रों का सौर विद्युतीकरण

हमारी कृषि तेज़ी से यंत्र-आधारित हुई है। इनमें से अधिकतर यंत्रों के संचालन में डीज़ल का प्रयोग होता है। बिहार में आग़ा खान फाउंडेशन ने कुछ किसानों को प्रयोग के तौर पर सोलर पंपिंग सेट

आईआईटीएम-रिसर्च पार्क द्वारा विकसित सौर ऊर्जा भंडारण हेतु बैटरी कंटेनर

पीवी सोलर पैनल निर्माण

प्रदान किए हैं। ये किसान अब अपने खेतों की सिंचाई करने के बाद दूसरे किसानों के खेतों की सिंचाई कर रहे हैं। डीज़ल पंपिंग सेट से सिंचाई का खर्च जहां 200 से 300 रुपये प्रति घंटे आता है, वहीं सोलर पंपिंग सेट से सिंचाई, मालिक किसान के लिए बिलकुल मुफ्त है। जबकि, दूसरे किसानों को पंपिंग सेट किराए पर देकर मालिक किसान 50 से 65 रुपये प्रति घंटा की अतिरिक्त कमाई भी कर रहा है, जिससे उसकी स्थापना लागत कुछ वर्षों में निकल आती है।

सम्पूर्ण ग्रामीण विद्युतीकरण की दिशा में भी सौर ऊर्जा का योगदान कम नहीं है। ऐसे दुर्गम व पर्वतीय गाँवों में, जहां विद्युत लाइनें बिछा पाना संभव नहीं था, सोलर प्लांट लगाकर बिजली पहुंचाई गयी है। इससे भी पहले, गाँवों में पंचायत स्तर पर सोलर पैनल आधारित (बैटरी युक्त) स्ट्रीट लाइटें लगाने का काम बड़े पैमाने पर किया गया है।

घरेलू स्तर पर सौर ऊर्जा भंडारण

बाज़ार में उपलब्ध सौर इन्वर्टर में पारंपरिक लेड-एसिड बैटरी का व्यक्तिगत/घरेलू स्तर पर, उपयोग किया जा रहा है। हालांकि, उच्च भंडारण क्षमता वाली उन्नत बैटरियां भी बाज़ार में आ गई हैं। भारतीय सौर विद्युत प्रणाली और इन्वर्टर बाज़ार सर्वेक्षण के अनुसार, भारत का सौर विद्युत प्रणाली और इन्वर्टर बाज़ार 2023 में 84.4 गीगावाट था। 2032 तक इसके 609.5 गीगावाट तक बढ़ने की उम्मीद है।

देश में पीवी सोलर सेल का उत्पादन

भारत में पीवी सोलर सेल उत्पादन भी तेज़ी से बढ़ रहा है। इससे पहले, पीवी सोलर सेल का बड़े पैमाने पर आयात किया जा रहा था। भारत सरकार उच्च दक्षता वाले सोलर पीवी मॉड्यूल बनाने के लिए प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव स्कीम के तहत प्रोत्साहन दे रही है। यह योजना 'आत्मनिर्भर भारत' पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और भारत को एक ग्लोबल मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाना है।

बजट में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई नीतिगत सुधार प्रस्तावित हैं, जैसे- आयातित सौर सेल और मॉड्यूल पर टैरिफ कम करना और सरकारी परियोजनाओं के लिए देश में उत्पादित मॉड्यूल के उपयोग को अनिवार्य बनाना।

सौर सेल, मॉड्यूल और अन्य महत्वपूर्ण घटकों के स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई योजना का और विस्तार किए जाने की संभावना है।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार सौर पीवी मॉड्यूल क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना कुल बजट 24,000 करोड़ रुपये है। इसके प्रथम चरण का बजट 4,500 करोड़ रुपये है। इससे घरेलू सोलर सेल उत्पादन क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना के द्वितीय चरण का बजट आवंटन 19,500 करोड़ रुपये है। इसमें 65 गीगावाट सोलर पीवी की उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य है। इस योजना से आयातित सौर उपकरणों पर भारत की निर्भरता कम होने और घरेलू उत्पादन के अधिक प्रतिस्पर्धी बनने की उम्मीद है।

सौर ऊर्जा को एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत में स्थापित करने में सरकार तो मुख्य साझीदार है ही, निजी क्षेत्र की भागीदारी भी इस सेक्टर में लगातार बढ़ते रहने से यह क्षेत्र तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। यह कदापि संभव है, कि भारत सौर ऊर्जा की 300 गीगावाट की स्थापित क्षमता का लक्ष्य 2030 के पहले ही प्राप्त कर लें। ❑

महिला सशक्तीकरण : समावेशिता की दिशा में व्यावहारिक पहल

प्रो रोली मिश्रा
प्रोफ़ेसर, अर्थशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
ईमेल: Email: misra_roli@lkouniv.ac.in

जेंडर बजटिंग को लागू करने का प्राथमिक लक्ष्य स्त्री-पुरुष असमानता को कम करना और महिलाओं को बाधाओं को तोड़ने में अपनी क्षमता को पहचानने के लिए सशक्त बनाना है। जेंडर बजटिंग एक संरचित विधि है, जिसके द्वारा यह विश्लेषण किया जाता है कि बजट आवंटन और व्यय पुरुषों और महिलाओं दोनों को कैसे प्रभावित करते हैं। जेंडर बजटिंग पहल का लक्ष्य सरकार की राजकोषीय नीति और वित्तीय प्रबंधन प्रक्रियाओं में जेंडर -विशिष्ट चिंताओं और मुद्दों को शामिल करना है। इस लेख का उद्देश्य देश में स्त्री-पुरुष असमानताओं को समाप्त करने और महिलाओं को सशक्त बनाने की कार्यनीति के रूप में जेंडर बजटिंग की दक्षता का मूल्यांकन करने के अलावा, वर्तमान जेंडर बजट (जीबी) 2025-26 में विभिन्न विभाग/मंत्रालय शीर्षों के तहत किए गए आवंटन का विश्लेषण करना है। इस लेख में देश में स्त्री-पुरुष असमानताओं को कम करने के साधन के रूप में जेंडर बजटिंग की प्रभावशीलता का भी मूल्यांकन किया गया है।

स्त्री-पुरुष समानता किसी देश के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण कारक है और इसे राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। विश्व बैंक की रिपोर्ट 2023 के अनुसार, भारत में, महिलाएं जनसंख्या का 48.4 प्रतिशत हिस्सा हैं, जबकि वैश्विक स्तर पर यह संख्या 49.7 प्रतिशत है। पुरुषों के साथ मिलकर, वे किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, और अर्थव्यवस्था की उन्नति तथा सुधार के लिए उनके प्रयास महत्वपूर्ण हैं। अपने पूरे

जीवन में, महिलाओं और लड़कियों को जन्म से पहले या बाद में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें लिंग चयनात्मक गर्भपात, हमला या उपेक्षा शामिल है, जो उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से शोषण तथा भेदभाव का शिकार बनाता है। इस प्रकार, जोखिम को कम करने के लिए, सरकार महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की दिशा में क़ानूनों, नियमों और विनियमों के कार्यान्वयन के माध्यम से सक्रिय रूप से आगे बढ़ रही है। इस पृष्ठभूमि में, देश में स्त्री-पुरुष असमानता को कम करने में जेंडर बजटिंग (जीबी) महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

जेंडर बजटिंग की अवधारणा

जेंडर बजटिंग सरकार के हाथों में एक शक्तिशाली अधिकार है जो स्त्री-पुरुष भेदभाव को कम करता है और विभिन्न योजनाओं के लिए बजट के आवंटन के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाता है। यूरोपीय परिषद के अनुसार, जेंडर बजटिंग बजटीय प्रक्रिया में जेंडर को मुख्यधारा में लाने का कार्य है। स्त्री-पुरुष समानता को आगे बढ़ाने के लिए, इसमें आय और व्यय को पुनर्गठित करना, जेंडर के आधार पर बजट का मूल्यांकन करना और बजटीय प्रक्रिया के सभी चरणों में जेंडर परिप्रेक्ष्य को एकीकृत करना शामिल है। जेंडर बजटिंग पहल का लक्ष्य सरकार की राजकोषीय नीति और वित्तीय प्रबंधन प्रक्रियाओं में जेंडर -विशिष्ट चिंताओं और मुद्दों को शामिल करना है। जेंडर बजटिंग को सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 1984 में अपनाया था और फिर 1993 में कनाडा ने इसे अपनाया, उसके बाद 1995 में फिलीपींस और दक्षिण अफ्रीका में भी इसका चलन शुरू किया गया। 1995 में बीजिंग में महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन में इसे शामिल किए जाने के बाद यह और भी लोकप्रिय हो गया। भारत में, जेंडर बजटिंग को आधिकारिक तौर पर 2005-06 में केंद्रीय बजट के विवरण 19 के तहत पेश किया गया था ताकि बजटीय आवंटन के माध्यम से महिला-केंद्रित या महिला-समर्थक योजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। बाद में 2006-07 में इसे 2017-18 तक विवरण 20 में स्थानांतरित कर दिया गया और 2017-18 से जेंडर बजटिंग को केंद्रीय बजट के विवरण 13 में प्रस्तुत किया गया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत में जेंडर बजटिंग के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। बजट तैयार करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सभी मंत्रालयों तथा विभागों को एक परिपत्र जारी करता है, और प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को जेंडर संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए अपनी योजनाओं और मांगों को निर्दिष्ट प्रारूप में प्रस्तुत करना होता है, ताकि जेंडर बजटिंग की जा सके। 2023-24 तक बजट में आवंटन को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया था, अर्थात भाग 'क' और भाग 'ख', लेकिन 2024-25 से बजट में एक नई श्रेणी, भाग 'ग' को जोड़ा गया है। इसके आवंटन की तीन श्रेणियां हैं:

भाग क में महिला-केंद्रित योजनाएं शामिल हैं, जिनमें महिलाओं और लड़कियों के लिए 100 प्रतिशत प्रावधान है।

भाग ख में महिला-समर्थक योजनाएं शामिल हैं, जिनमें महिलाओं और लड़कियों के लिए कम से कम 30 प्रतिशत प्रावधान है।

भाग ग में महिला-समर्थक योजनाएं शामिल हैं, जिनमें महिलाओं और लड़कियों के लिए 30 प्रतिशत से कम प्रावधान है।

वित्त मंत्रालय (2023) के अनुसार, जेंडर बजट, बजट नियोजन और इसकी तैयारी की प्रक्रिया के माध्यम से सभी मंत्रालयों और विभागों में जेंडर संबंधी चिंताओं की पहचान करने, उन्हें प्राथमिकता देने और उनका समाधान करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, यह प्रक्रिया मौजूदा प्रणालियों और कार्यक्रमों को स्त्री-पुरुष समानता के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए एक अवसर प्रदान करती है और जेंडर लैंस के चश्मे के माध्यम से असमानताओं को दूर करने में भी मदद करती है।

जेंडर बजटिंग में रुझान (2005-06 से 2025-26)

2005-06 में जब भारत में जेंडर बजटिंग लागू किया गया था, तब केवल नौ मंत्रालयों ने जेंडर के आधार पर आवंटन को शामिल किया था, और पहली बार, केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जेंडर बजटिंग के लिए 14,378.68 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जो कुल केंद्रीय बजट का 2.8 प्रतिशत था। हालांकि, ग्रामीण विकास मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में अधिक आवंटन के कारण, जेंडर बजटिंग ने 2011-12 में कुल केंद्रीय बजट का 6.37 प्रतिशत आवंटन किया, जिसमें जेंडर बजटिंग में आवंटन के लिए 29 मंत्रालय/विभाग शामिल थे (तालिका 1 और रेखाचित्र 1 देखें)। फिर 2011-12 के बाद, केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं की खराब निगरानी और मूल्यांकन के कारण जेंडर बजटिंग में आवंटन कम हो गया, जिसने समग्र बजट में खर्च और प्रतिस्पर्धा प्राथमिकताओं की प्रभावशीलता के बारे में चिंता उठाई, जिसके कारण जेंडर बजटिंग फोकस से बाहर हो गया। हालांकि, सरकार

ने 2014-2015 के केंद्रीय बजट में जेंडर बजटिंग पर अपना ध्यान केंद्रित किया, लेकिन यह राशि कुल केंद्रीय बजट का मात्र 5.6 प्रतिशत थी (रेखाचित्र 1 देखें), फिर भी 36 मंत्रालयों/विभागों को जेंडर बजट के लिए फंड मिला। इस अवधि में, जेंडर बजट पर ध्यान बढ़ा है और जेंडर बजट 2024-25 ने 2014-15 के जेंडर बजट के बाद से अपने आवंटन में ऐतिहासिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है, जो 233.73 प्रतिशत है। पिछले वर्ष, यानी 2024-25 में जेंडर बजट में 43 मंत्रालयों/विभागों को समायोजित करते हुए कुल आवंटन 3.27 लाख करोड़ रुपये था, जो अब तक का सबसे अधिक है (तालिका 1 और रेखाचित्र 1 देखें)।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आठवां बजट, जेंडर बजटिंग के संदर्भ में मील का पत्थर साबित हुआ है। जेंडर बजटिंग 2025-26 के लिए रिकॉर्ड तोड़ 4,49,028.68 करोड़ रुपये (कुल केंद्रीय बजट का 8.86 प्रतिशत) आवंटित किए गए हैं। यह पिछले वर्ष की तुलना में 37.25 प्रतिशत अधिक है। जेंडर बजटिंग 2025-26 में 56 मंत्रालयों/विभागों को उनके संबंधित आवंटन मिले हैं। बजट में इस तरह का आवंटन स्त्री-पुरुष असमानता को कम करने के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। महिलाओं

तालिका 1: जेंडर बजट के तहत विभागों/मंत्रालयों के आवंटन की संख्या

वर्ष	विभागों/ मंत्रालयों	बजट अनुमान (करोड़ रुपये में)					जीबी के तौर पर केंद्रीय बजट प्रतिशत
		जेंडर बजट				केंद्रीय बजट	
		भाग क	भाग ख	भाग ग	कुल		
2005-06	9	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	14,378.68	514343.8	2.8
2006-07	18	9575.82	19160.71	लागू नहीं	28736.53	563991.13	5.1
2007-08	27	8795.47	22382.49	लागू नहीं	31177.96	680520.51	4.58
2008-09	27	11459.61	16202.06	लागू नहीं	27661.67	750883.53	3.68
2009-10	28	15715.68	41141.93	लागू नहीं	56857.61	1020837.68	5.57
2010-11	28	19266.05	48483.75	लागू नहीं	67749.8	1108749.24	6.11
2011-12	29	20548.35	57702.67	लागू नहीं	78251.02	1257728.83	6.37
2012-13	29	22968.93	65173.87	लागू नहीं	88142.80	1490925.29	5.91
2013-14	30	27248.19	69885.51	लागू नहीं	97133.70	1665297.32	5.83
2014-15	36	21887.61	76142.23	लागू नहीं	98029.84	1794891.96	5.46
2015-16	35	16657.11	62600.76	लागू नहीं	79257.87	1777477.04	4.46
2016-17	31	17412.01	73212.75	लागू नहीं	90624.76	1978060.45	4.58
2017-18	25	31390.80	81935.85	लागू नहीं	113326.65	2146734.78	5.28
2018-19	28	29377.73	95051.10	लागू नहीं	124428.83	2442213.30	5.09
2019-20	31	27420.03	109514.07	लागू नहीं	136934.10	2786349.45	4.91
2020-21	34	28568.32	114893.40	लागू नहीं	143461.72	3042230.09	4.71
2021-22	34	25260.95	128065.33	लागू नहीं	153326.58	3483235.63	4.41
2022-23	35	26772.89	144233.58	लागू नहीं	171006.47	3944908.67	4.33
2023-24	36	88044.21	135175.54	लागू नहीं	223219.75	4503097.45	4.95
2024-25	43	112396.15	199762.29	15000.00	327158.44	4820512.00	6.79
2025-26	56	105535.40	326672.00	16821.28	449028.68	5065345.00	8.86

स्रोतः लेखिका द्वारा विभिन्न वर्षों के बजट से की गई गणना

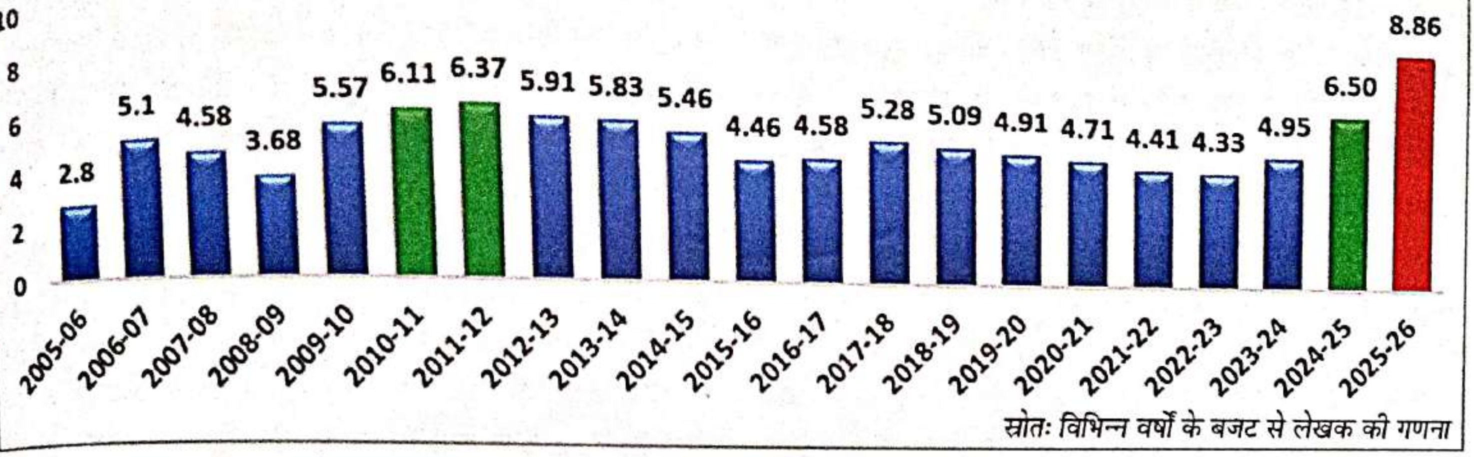

रेखाचित्र-1: 2005-06 से केंद्रीय बजट में जेंडर बजट का प्रतिशत

की भागीदारी और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, जेंडर बजटिंग 2025-26 में 13 नए मंत्रालय/विभाग शामिल किए गए हैं, जिनके नाम हैं पशुपालन एवं डेयरी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, मत्स्य पालन विभाग, भूमि संसाधन विभाग, फार्मास्यूटिकल्स विभाग, जल संसाधन विभाग, नदी विकास तथा गंगा कायाकल्प, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, बंदरगाह, पोत परिवहन तथा जलमार्ग मंत्रालय और रेल मंत्रालय।

जेंडर बजटिंग 2025-26 का विवरण

जेंडर बजटिंग का लक्ष्य सभी क्षेत्रों में जेंडर-विशिष्ट बाधाओं की पहचान करने और उन्हें दूर करने के लिए वित्तीय माध्यमों का उपयोग करना है। आर्थिक विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का सरकार का घोषित लक्ष्य जेंडर बजटिंग 2025-26 में परिलक्षित होता है, जो पूरी तरह से महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के इर्द-गिर्द संरचित है, जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास में तेजी लाने की जरूरतों को पूरा करना है। आर्थिक विकास में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, जेंडर बजट के भाग 'क' के तहत महिला-विशिष्ट आवंटन किए गए हैं जो 1,05,535.40 करोड़ रुपये है, जिसमें 26 विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में जेंडर बजट का 23.50 प्रतिशत हिस्सा समायोजित किया गया है। रोजगार को बढ़ावा देने और कृषि क्षेत्र में महिला कार्यबल का उपयोग करने के उद्देश्य से, हाल ही में शुरू की गई 'नमो ड्रोन दीदी' योजना को पिछले बजट में 500 करोड़ रुपये की तुलना में जेंडर बजट 2025-26 में 950.85 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके बाद, जेंडर बजट 2025-26 में 19,005 करोड़ रुपये के बेहतर बजट के साथ, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), गरीब ग्रामीण महिलाओं को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करके उनकी पूरी क्षमता विकसित करने में मदद करने में सक्षम होगा। साथ ही, संपत्ति के स्वामित्व के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, जेंडर बजट के भाग 'क' के तहत पर्याप्त मात्रा में धन आवंटित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी और ग्रामीण दोनों के लिए धनराशि एकत्रित करते हुए, 78,126 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो जेंडर बजट के भाग 'क' के कुल आवंटन का 74.02 प्रतिशत है। इसके अलावा जेंडर बजट 2025-26 में, महिला और बाल विकास मंत्रालय की महिला-केंद्रित योजनाओं को पिछले बजट के समान ही राशि प्राप्त हुई है, जबकि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन के लिए जेंडर बजट 2024-25 में आवंटित 9,094 करोड़ रुपये के मुकाबले केवल 0.01 करोड़ रुपये का मामूली पुनः आवंटन प्राप्त हुआ है।

पिछले वर्ष की तुलना में, जेंडर बजट 2025-26 के भाग 'ख' में आवंटन में 63.53 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इसलिए, 1,26,909.71 करोड़ रुपये के आवंटन में वृद्धि के साथ, भाग 'ख' का कुल आवंटन 3,26,672 करोड़ रुपये है, जो महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत निधि आवंटन वाली योजनाओं को शामिल करते हुए महिला-समर्थक योजनाओं के लिए किया गया है, जो कुल मौजूदा जेंडर बजट का 72.75 प्रतिशत है। देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत नए जोड़े गए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को 1,07,638.78 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसके अलावा, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को 26,458.18 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें से 12,375 करोड़ रुपये (विभागीय आवंटन का 46.72 प्रतिशत) समग्र शिक्षा योजना के लिए आवंटित किए गए हैं, जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं और लड़कियों को बेहतर शिक्षा प्रदान करना और उनके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। साथ ही, पशुधन और डेयरी विकास के माध्यम से संबद्ध गतिविधियों में ग्रामीण महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए, पशुपालन और डेयरी विभाग के तहत पहली बार 540 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। जबकि महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के तहत

39,436.43 करोड़ रुपये (जेंडर बजटिंग के कुल भाग 'ख' का 12.07 प्रतिशत) का फंड आवंटित किया है। आवंटन में मुख्य रूप से एम्स और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए धन के साथ-साथ बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रावधान किया गया है। जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के अलावा, भारत सरकार ने जेंडर बजट 2025-26 में 23,380.36 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसके तहत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) को 2904.36 करोड़ रुपये और जल जीवन मिशन के लिए 20,476 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। रूफटॉप सोलर योजना के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए 9,600 करोड़ रुपये का दोगुना आवंटन प्राप्त हुआ है, जबकि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत 4555.83 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था।

ग्रामीण विकास विभाग को जेंडर बजटिंग 2025-26 के भाग 'ख' को निधियों का दूसरा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बनाते हुए 47,604.85 करोड़ रुपये का आवंटन प्रदान किया गया है, जो भाग 'ख' के कुल आवंटन का 14.57 प्रतिशत है। इस मंत्रालय के तहत कुल आवंटन में से 40,000 करोड़ रुपये (84.02 प्रतिशत) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (मनरेगा) के लिए आवंटित किए गए हैं, जबकि शेष 7604.85 करोड़ रुपये राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को आवंटित किए गए हैं। मनरेगा के तहत इतना अधिक आवंटन नौकरी के अवसरों तक बेहतर पहुंच प्रदान करेगा, जिससे पलायन में कमी आएगी। हालांकि, भारत में जेंडर बजटिंग के लिए नोडल एजेंसी होने के बावजूद, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को छह विभिन्न योजनाओं के लिए केवल 18,459.91 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, और बच्चों तथा महिलाओं में कुपोषण की चुनौतियों से निपटने के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 को जेंडर बजट 2024-25 में 15,900 करोड़ रुपये की तुलना में 17,207.22 करोड़ रुपये का अधिकतम आवंटन प्राप्त हुआ है। इसके अलावा, सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ जुड़े विकास और बाल संरक्षण प्राथमिकताओं को प्राप्त करने के लिए मिशन वात्सल्य को 1050 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा आदिवासी लोगों की प्रगति और शिक्षा के क्षेत्र में, जनजातीय मामलों के मंत्रालय को 4175.26 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

वर्ष 2024-25 से नव परिभाषित अनुभाग, अर्थात् जेंडर बजट के भाग 'ग' पर अधिक ज़ोर देने और उसे विस्तार प्रदान करने के लिए, सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों को इस अनुभाग के तहत वित्त पोषण का अनुरोध करने के लिए आमंत्रित किया है। भाग 'ग' में, 22 अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों को जेंडर बजट 2025-26 में धन प्राप्त हुआ, हालांकि जेंडर बजट 2024-25 में, केवल कृषि और किसान कल्याण विभाग को उपयोग के लिए धन आवंटित किया गया था। जेंडर बजट 2025-26 में, भाग 'ग' को कुल 16,821.28 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले बजट से 12.14 प्रतिशत की वृद्धि है, जिसमें से कृषि और किसान कल्याण विभाग ने सबसे अधिक 15,000 करोड़ रुपये (89.17 प्रतिशत) आवंटित किए हैं, जो विशेष रूप से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए हैं। इसके अलावा, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किए जा रहे सिंचाई लाभ कार्यक्रमों और जल प्रबंधन में तेज़ी लाने के लिए 455 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। इसके साथ ही, विदेश मंत्रालय को 171.30 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को जेंडर बजट 2025-26 के भाग 'ग' में 169.16 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

आगे की राह

विभिन्न विभागों/मंत्रालयों द्वारा अधिक महिला-केंद्रित और महिला-समर्थक योजनाओं को शामिल करने के बाद आजकल जेंडर बजटिंग बहुत अधिक ध्यान आकर्षित कर रही है, लेकिन इस बात पर ज़ोर देना अधिक महत्वपूर्ण है कि जेंडर बजटिंग अनिवार्य रूप से सरकार की जेंडर योजनाओं की रिपोर्टिंग और लेखा-जोखा रखने का कार्य है और यह महिलाओं के लिए एक अलग या पृथक बजट नहीं है। देश में जेंडर बजटिंग की शुरूआत स्त्री-पुरुष समानता प्राप्त करने और समाज के सभी क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करती है। जेंडर बजटिंग के विवरण से यह स्पष्ट है कि जेंडर बजटिंग 2025-26 के तहत किए गए आवंटन मुख्य रूप से महिलाओं और हाशिए के समूहों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने वाले निवेशों को प्राथमिकता देकर महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर केंद्रित हैं। जेंडर बजट 2025-26 का उद्देश्य न केवल मौजूदा अंतर को पाटना है, बल्कि एक समावेशी वातावरण को बढ़ावा देना भी है, जहां हर कोई फल-फूल सकता है। सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आर्थिक सशक्तीकरण कार्यक्रमों के लिए बजटीय आवंटन के माध्यम से संसाधनों का वितरण संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने और सभी को समान अवसर प्रदान करने में सरकार के समर्पण को दर्शाता है। ऐसा करके, भारत सरकार ने एक स्थायी ढांचा स्थापित किया है जो महिलाओं को लाभान्वित करता है और देश के समग्र विकास तथा समृद्धि को आगे बढ़ाता है। जेंडर बजट 2025-2026 सिर्फ एक बजट से कहीं अधिक है; यह अधिक समान भविष्य का खाका है जिसमें स्त्री-पुरुष समानता सिर्फ एक विचार के बजाय एक वास्तविकता है। ❑

(सह-लेखक, विष्णु कुमार, लखनऊ विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश के अर्थशास्त्र विभाग में रिसर्च स्कॉलर हैं। ईमेलः rs2019eco_vishnu@lkouniv.ac.in)

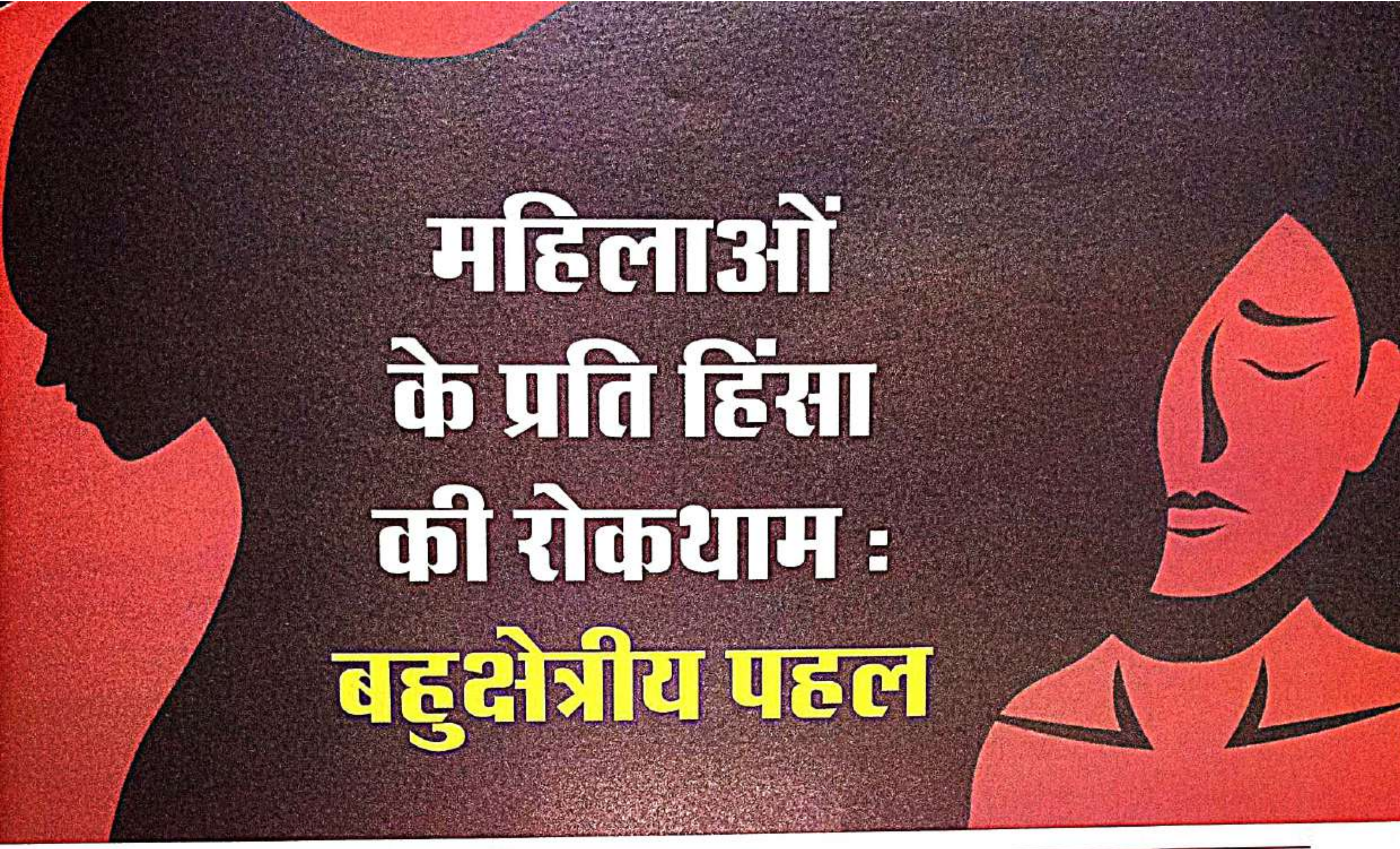

महिलाओं के प्रति हिंसा की रोकथाम : बहुक्षेत्रीय पहल

विजया किशोर रहाटकर | अध्यक्षा, राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली। ईमेल : chairperson-ncw@nic.in

भारत में महिलाओं के प्रति हिंसा बहुत गंभीर मुद्दा बना हुआ है और इससे निपटने के लिए व्यापक बहुक्षेत्रीय पहल की जरूरत है। राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) नीति सुधार लाने और जागरुकता कार्यक्रम चलाने की बात करता है। मज़बूत क़ानूनी ढांचा होने के बावजूद इन्हें क्रियान्वित करने में कठिनाइयां आ रही हैं। समुदायों को सशक्त बनाने के लिए इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए शिक्षा और टेक्नोलॉजी पर प्रमुखता से ध्यान देना जरूरी है। आर्थिक स्वतंत्रता और स्टेम (एसटीईएम) अर्थात् विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में महिलाओं की संख्या बढ़ना और डिजिटल अर्थव्यवस्था इसमें बड़े बाधक पहलू बने हुए हैं। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी और सुरक्षित परिवहन की पहल भी अहम हैं। टकराव वाले या विवादित क्षेत्रों में लिंग-आधारित आपदा नीतियां आवश्यक हैं। सभी क्षेत्रों के समन्वित प्रयासों से ही भारत में महिलाओं के लिए समानता पर आधारित भविष्य बन सकता है।

महिलाओं के प्रति हिंसा भारत में सबसे अहम सामाजिक-क़ानूनी चुनौतियों में से है। लगातार सुधरे हुए क़ानूनी प्रारूप और नीतिगत प्रयासों के बावजूद महिलाओं को यहां अब भी घरेलू हिंसा, यौन प्रताड़ना, यौन-तस्करी, सम्मान के नाम पर हत्या, साइबर हिंसा और कार्यस्थल में प्रताड़ना जैसे विभिन्न प्रकार के अत्याचार झेलने पड़ते हैं। इस मुद्दे को समझने और हल करने के लिए ऐसी बहुक्षेत्रीय पहल अपनानी होगी जिसमें क़ानूनी, सामाजिक, शैक्षिक, टेक्नोलॉजी संबंधी और आर्थिक हस्तक्षेप भी शामिल हों।

राष्ट्रीय महिला आयोग इस मोर्चे पर सबसे आगे है; वह नीतिगत सुधारों, जागरुकता अभियानों और सभी संबद्ध हितार्थियों के साथ नज़दीकी तालमेल से काम करके महिलाओं के लिए अधिक सुरक्षित

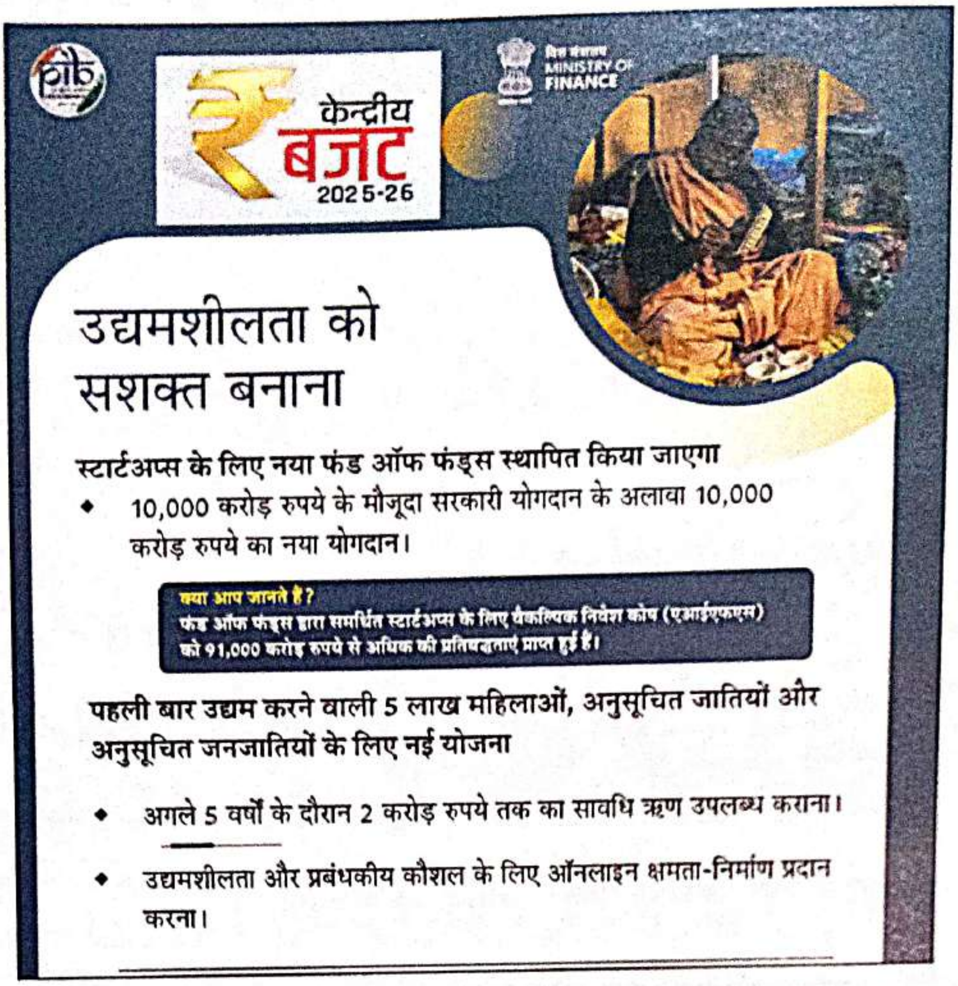

वातावरण के निर्माण में सहयोग कर सकता है। इस लिंग आधारित हिंसा पर प्रभावी नियंत्रण पाने के लिए नीति-निर्माताओं, क़ानून लागू करने वाली एजेंसियों, सभ्य समाज के संगठनों और निजी क्षेत्र के बीच भरपूर समन्वय बेहद जरूरी है।

क़ानूनी और संस्थागत ढांचे को मज़बूत बनाना

- भारत में महिलाओं के प्रति हिंसा की समस्या से निपटने के वास्ते मज़बूत क़ानूनी ढांचा मौजूद है जिसमें महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने का क़ानून, कार्यस्थल में महिलाओं का यौन शोषण रोकने का क़ानून और आपराधिक क़ानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 शामिल हैं।
- **महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने वाला क़ानून, 2005-** इसके तहत घरेलू हिंसा झेलने वाली महिलाओं को तुरन्त सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है।
- **कार्यस्थल में महिला यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और क्षति पूर्ति) क़ानून, 2013-** यौन प्रताड़ना (शोषण) रोकने के लिए कार्यस्थलों में आंतरिक शिकायत समितियां (आईसीसी) बनाना अनिवार्य है।
- आपराधिक क़ानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 (निर्भया क़ानून)- यौन अपराधों से जुड़े क़ानूनों को मज़बूती मिली है तथा दुष्कर्म और तेज़ाब फेंकने जैसे अपराध के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है।
- **दहेज निषध क़ानून, 1961-** इसके तहत दहेज लेने-देने और दहेज के करण उत्पीड़न को अपराधा माना जाता है।
- **बाल शोषण अपराध संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो), 2012-** इस क़ानून का उद्देश्य नाबालिग बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाना है।

हालाँकि, उनके कार्यान्वयन में चुनौतियाँ बनी हुई हैं। मामलों के त्वरित निपटान के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों जैसे संस्थागत तंत्र को मजबूत करना और महिला पुलिस अधिकारियों की बढ़ती भर्ती से इन कानूनों के कार्यान्वयन में सुधार हो सकता है। लिंग-संवेदनशील मामले से निपटने में कानून प्रवर्तन कर्मियों और न्यायपालिका सदस्यों को प्रशिक्षण देना भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, आश्रय, कानूनी सहायता और ट्रॉमा परामर्श सहित पीड़ित सहायता सेवाओं का विस्तार, जीवित बचे लोगों को जरूरी राहत प्रदान करेगा।

राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) मामलों की निगरानी, कानूनी सहायता प्रदान करने और न्यायिक और पुलिस अधिकारियों के लिए लिंग संवेदरण कार्यक्रम आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एजेंसियों के बीच सख्त प्रवर्तन और बेहतर समन्वय सुनश्चित करने से अधिक प्रतिक्रियाशील कानूनी प्रणाली बन सकती है।

समुदाय आधारित सहायता प्रणाली का विस्तार

दीर्घावधि बदलाव की दृष्टि से महिलाओं के प्रति हिंसा से निपटने के लिए समुदायों को अधिकार देकर सशक्त बनाना जरूरी है। ग्राम स्तर पर महिला संगठन और स्व-सहायता समूहों के गठन जैसी पहलों से घरेलू हिंसा झेलने वाली महिलाओं को समर्थन और साधन मिल जाते हैं। वन स्टॉप सेंटर स्कीम और महिला हेल्पलाइन-181 के लागू होने से पीड़िताओं को सहायता प्राप्त करने में बहुत मदद मिलने लगी है।

फिर, पड़ोस निगरानी कार्यक्रम और लिंग-संवेदी शहरी नियोजन जैसी पहलों से समुदाय-आधारित हस्तक्षेपों से सार्वजनिक स्थानों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने में सहायता मिलती है। साथ ही, धार्मिक और सामुदायिक नेताओं को बाल-विवाह जैसी कुरीतियों के कारण होने वाले हानिकारक

परिणामों से लोगों को अवगत कराने के लिए प्रेरित करके भी समाज की सोच और मानसिकता बदली जा सकती है। जिलास्तर के संकट हस्तक्षेप केंद्रों में भी मनोवैज्ञानिक, क़ानूनी और सामाजिक समर्थन उपलब्ध रहना चाहिए ताकि पीड़िताओं की भरपूर देखभाल की जा सके।

सोच या मानसिकता बदलने में शिक्षा की भूमिका

लिंग आधारित हिंसा का प्रमुख कारण बनने वाली पुरुष-प्रधान मान्यताओं को जड़ से मिटाने में शिक्षा बहुत सशक्त साधन है। वास्तविक बदलाव तो कक्षा में ही शुरू होता है जहां प्रारंभिक अवस्था से ही बच्चों के मस्तिष्क में लिंग संवेदना विकसित करना जरूरी है। स्कूल के पाठ्यक्रम में समानता के बारे में चर्चाएं और वाद-विवाद प्रतियोगिताएं कराके लड़कों और युवकों को सक्रिय भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाए तो समय के साथ समाज की मानसिकता बदलना भी संभव हो जाएगा। अध्यापकों की विशेष भूमिका होती है इसलिए उन्हें समग्र शिक्षण का वातावरण बनाने की ट्रेनिंग दी जाए जिससे वे रूढ़िवादी सोच को खत्म करके सम्मान और आदर की भावना का संचार करें।

युवा महिलाओं में कक्षा की पढ़ाई के साथ ही आत्मरक्षा का भी प्रशिक्षण दिया जाए तो उनमें सुरक्षा की भावना बढ़ेगी और उनमें आत्मविश्वास भी आएगा। समाज की सोच बदलने में मीडिया (प्रचार माध्यम) की भी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है - फिल्म निर्माण और विज्ञापन से जुड़े लोगों से सहयोग करके भ्रामक धारणाओं की अभिव्यक्ति रोकने और प्रगतिशील लिंग-भूमिका को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। माता-पिता और अभिभावक भी घरेलू कामकाज और व्यवस्था में पुत्र-पुत्रियों को समान रूप से देखने और उनमें आपसी सम्मान, आदर और अहिंसा की भावनाएं विकसित करने में अहम योगदान कर सकते हैं। विभिन्न पीढ़ियों के स्तर पर लगातार प्रयास करके ही शिक्षा से लिंग-आधारित हिंसा समाप्त करने में कामयाबी हासिल की जा सकती है।

महिलाओं की सुरक्षा में टेक्नोलॉजी का योगदान

महिलाओं के प्रति हिंसा की चुनौती से निपटने में टेक्नोलॉजी बहुत अहम भूमिका निभा सकती है। निर्भया, शेरोज़ और हिम्मत प्लस जैसी मोबाइल एप्लीकेशंस से महिलाओं को बल मिलता है जिससे वे तुरन्त सहायता प्राप्त कर सकती हैं। प्रौद्योगिकी कंपनियों के सहयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग एआई आधारित सुरक्षा उपकरणों, साइबर जागरुकता अभियानों और डिजिटल साक्षरता पहलों की मदद से इस दिशा में प्रयास कर रहा है।

साइबर अपराधों को रोकने वाले ऑनलाइन तंत्र का विस्तार और डिजिटल सुरक्षा के बारे में जागरुकता बढ़ाना भी साइबर प्रताड़ना और ऑनलाइन स्टॉकिंग (पीछा करना) की घटनाएं रोकने की दिशा में काफी महत्वपूर्ण उपाय हैं। एआई आधारित एहतियाती पुलिस प्रबंध करने से ऐसे अपराधों की अत्यधिक आशंका वाले इलाकों को पहचाना जा सकता है जबकि शरीर पर पहने जाने वाले सुरक्षा उपकरणों से आपात् स्थिति में तुरन्त पुलिस को सावधान किया जा सकता है। इन डिजिटल समाधानों को सशक्त बनाकर सार्वजनिक और निजी, सभी स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा की व्यवस्था का विस्तार किया जा सकता है।

आर्थिक सशक्तीकरण -हिंसा रोकने वाला कवच

आर्थिक स्वतंत्रता लिंग-आधारित हिंसा रोकने का सबसे सशक्तिशाली माध्यम है। महिलाएं अक्सर आर्थिक तंगी के कारण ही यौन-प्रताड़ना झेलने पर मजबूर होती है और वे शोषण का प्रतिरोध भी नहीं कर पातीं। महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर और उन्हें आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाकर हम निश्चित ही उन्हें शोषण और

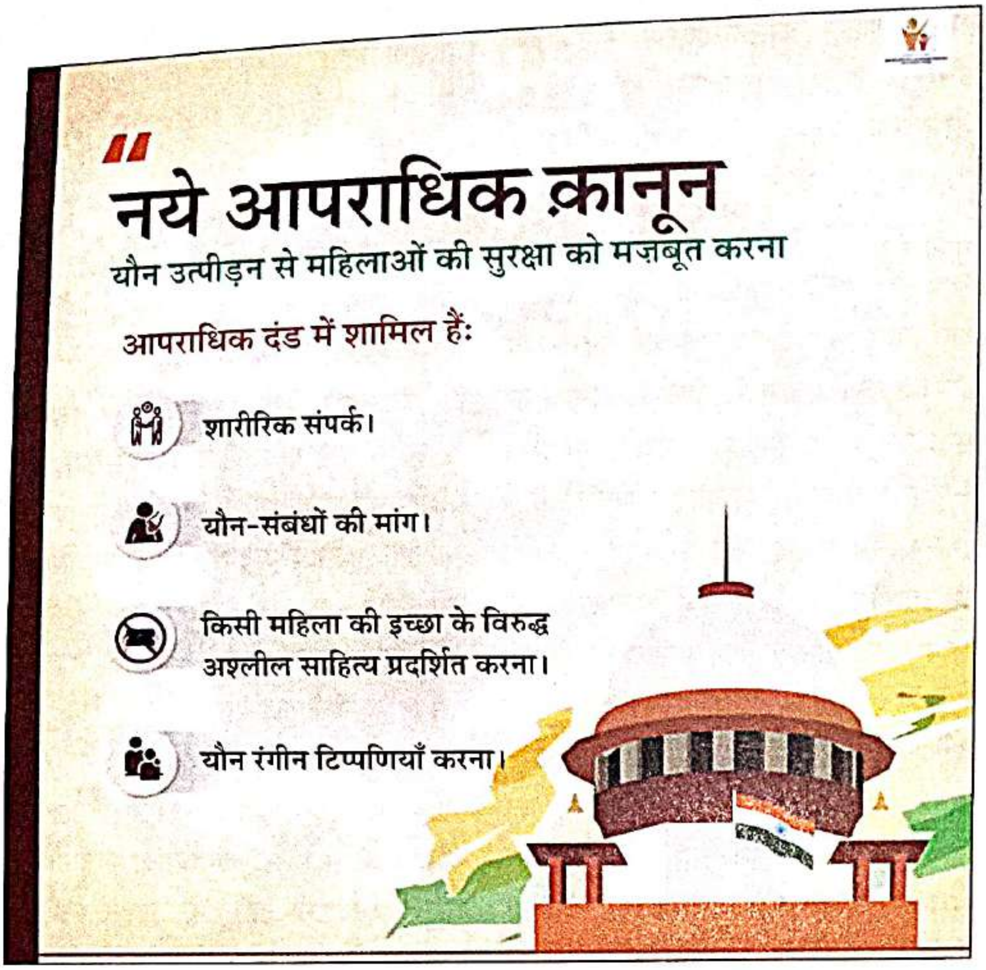

प्रताड़ना के चंगुल से मुक्त होकर अपने ढंग से स्वतंत्रतापूर्वक जीवन जीने में मदद कर सकते हैं।

स्किल इंडिया जैसी सरकारी पहलों से रोज़गार देने की क्षमता बढ़ती है जबकि **मुद्रा योजना** और **स्टैंडअप इंडिया** जैसी योजनाओं से उन्हें आर्थिक समर्थन मिलता है और वे अपना कारोबार शुरू करने और उनका विस्तार करने में समर्थन बनती हैं। बदलाव लाने में आर्थिक सुरक्षा के प्रभाव को मानते हुए, **लखपति दीदी योजना** लागू की गई, जिसका उद्देश्य स्वसहायता समूहों की 2 करोड़ महिलाओं को लखपति उद्यमी बनाना था। इस पहल से लचीलापन बढ़ता है क्योंकि महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण, वित्तीय साक्षरता देकर और उन्हें ऋण उपलब्ध कराके आय का निश्चित और स्थायी साधन मुहैया किया जाता है।

स्टेम में महिलाओं की अधिक भागीदारी और डिजिटल अर्थव्यवस्था मिलकर उच्च आय वाले और भविष्य के लिए उपयुक्त करियर बनाने का रास्ता खुल जाएगा। फिर, समान वेतन देने की व्यवस्था अपनाकर और सुरक्षित तथा शोषण-मुक्त कार्यस्थल स्थापित करके आर्थिक शोषण रोकने के साथ ही अधिक समावेशी व्यावसायिक परिवेश बनाया जा सकेगा। महिलाओं को आर्थिक शक्ति मिलेगी तो वे ऐसे विकल्प चुनने में स्वतंत्र हो जाएंगी जिनसे उन्हें अधिक सुरक्षित, सशक्त और ज्यादा स्वतंत्र जीवन जीने का मौका मिलेगा।

महिलाओं के प्रति साइबर हिंसा का समाधान

डिजिटल पैठ बढ़ने के साथ ही साइबर हिंसा नए युग की चुनौती बनकर उभरी है जिसमें ऑनलाइन उत्पीड़न, साइबर स्टॉकिंग और बिना सहमति के चित्र शेयर करने जैसे अपराध बढ़े हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं की साइबर सुरक्षा के प्रति जागरुकता बढ़ाने के उद्देश्य से डिजिटल शक्ति कार्यक्रम जैसी पहलें शुरू की हैं। ऑनलाइन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए क़ानूनी तंत्र को मज़बूत किया जाएगा, यौन कदाचार रोकने के वास्ते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के साथ मिलकर प्रयास किए जाएंगे और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देकर महिलाओं को सुरक्षित ढंग से ऑनलाइन कार्यक्रम प्रयोग करने की आज़ादी मिल जाएगी। युवा महिलाओं को डिजिटल कुशलता विकसित करने का प्रोत्साहन देकर उन्हें साइबर खतरों से सुरक्षित रहने में मदद मिलेगी।

लिंग-आधारित हिंसा से निपटने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारों को मज़बूत करना

महिलाओं के प्रति हिंसा को रोकने में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) भी सहयोग कर रही है। सरकार, निगमित संगठन, स्वैच्छिक संगठन (एनजीओ) और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां नवाचार पहलें शुरू कर सकती हैं ताकि महिलाओं के लिए अधिक सुरक्षित परिवेश, आर्थिक सशक्तीकरण और क़ानूनी सहायता उपलब्ध कराए जा सकें।

निजी कार्यस्थल सुरक्षा की व्यवस्था में निश्चित रूप से अहम भूमिका निभा सकता है। कंपनियों और सरकारी कार्यालयों में **लिंग-ऑडिट** (लेखा-जोखा) शुरू करने से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि कार्यस्थल में **महिलाओं के यौन शोषण (वितरण, निषेध और समाधान) अधिनियम, 2013** का सही प्रकार से परिपालन किया जा रहा है। **भारतीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू)** जैसे संगठनों के साथ समन्वय करके कई **कंपनियां आंतरिक शिकायत समितियां (आईसीसी)** बनाने की योजना लागू कर रही हैं और प्रताड़ना-मुक्त कार्यस्थलों की स्थापना करके कर्मचारी संवेदीकरण कार्यक्रम चला रही हैं।

परिवहन को सुरक्षित बनाना भी अहम पहलू है। कंपनियां कई महानगरों में शुरू

की गई **'सुरक्षित नगर परियोजनाओं'** जैसी पहलों को समर्थन देकर तथा बेहतर निगरानी प्रणालियों में निवेश करके, परिवहन सेवाएं जुटाकर और महिलाओं के अनुकूल बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करके योगदान कर सकती हैं। ऐप आधारित कैब सेवाओं में प्रमाणित ड्राइवर, जीपीएस ट्रैकिंग और आपात् प्रतिक्रिया बटन जैसे फीचर लगाए जा चुके हैं परंतु अभी सुरक्षा तंत्र के अधिक विस्तार तथा जवाबदेही तय करने की व्यवस्था करने की जरूरत है।

निजी क्षेत्र के समर्थन से चलाए जा रहे आर्थिक सशक्तीकरण कार्यक्रम बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। **स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया** के सहयोग से चलाई जाने वाली निगमित संरक्षण और कौशल विकास पहलें हिंसा पीड़ितों को प्रशिक्षण और रोज़गार के अवसर मुहैया कराके उन्हें फिर से आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में सहायक बन सकती हैं। 'इंटरनेट साथ' जैसे उपायों से लाखों ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल कुशलता प्राप्त करने और वित्तीय स्वायत्तता को बढ़ावा देने में मदद मिल चुकी है।

अनुसंधान और विकास पर निवेश भी उतना ही ज़रूरी है। टेक फर्में और स्टार्टअप कंपनियां सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर **एआई चालित उपकरण** विकसित करने, पहने जाने वाले सुरक्षा उपकरण तैयार करने और **लीगल टेक समाधान** खोजने में कामयाबी पा सकती हैं जिससे अपराधों की रिपोर्टिंग आसानी से की जा सकेगी। फिर, निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) कोष में **वन स्टॉप सेंटर (ओएससी)** स्थापित किए जा सकेंगे जिनसे **निर्भया कोष** की व्यवस्था के तहत सुरक्षित बचने वाली पीड़िताओं को मनोवैज्ञानिक, क़ानूनी और चिकित्सा सहायता दी जा सकेगी। ये केंद्र शरण और न्याय मांगने वाली महिलाओं की सहायता का बड़ा साधन हैं।

मज़बूत सार्वजनिक-निजी सहयोग जुटाकर हम ऐसी बहु-आयामी पहल विकसित कर सकते हैं जो महिलाओं के प्रति हिंसा की समस्या से निपटने के साथ ही उन्हें आत्मनिर्भरता और सुरक्षा के आवश्यक उपकरण भी उपलब्ध कराएगी। महिलाओं के लिए सुरक्षित तथा अधिक समानता पर आधारित भविष्य का निर्माण करने में समाज के वर्गों को भरपूर सहयोग करना चाहिए।

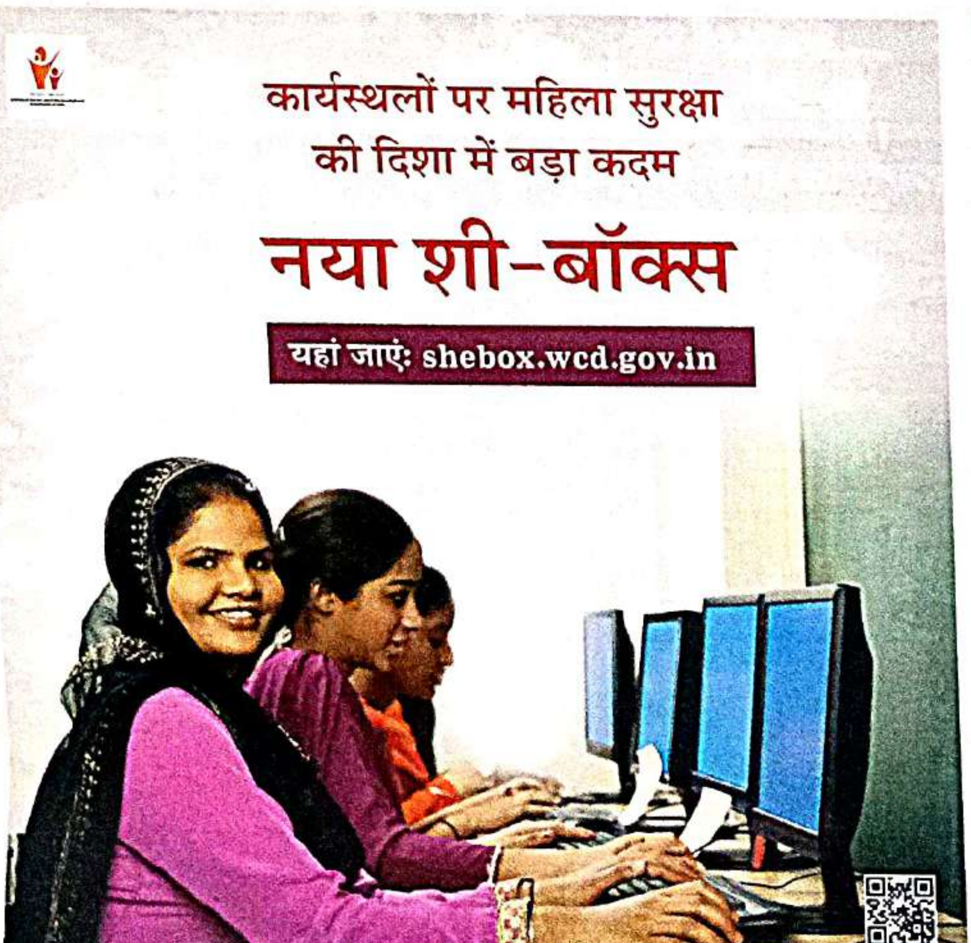

संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में लिंग-आधारित हिंसा (जीबीवी) से निपटना

संघर्षग्रस्त और आपदा की आशंका वाले क्षेत्रों की महिलाओं के लिए लिंग-आधारित हिंसा की शिकार बनने की ज्यादा संभावना रहती है और इसीलिए आपदा प्रतिक्रिया नीतियों में संरक्षण तंत्र को भी समाहित करना जरूरी है। **लिंग-आधारित हिंसा** रोकने वाली **आपदा नीतियों** में क़ानून लागू करने वाली एजेंसियों और मानवीय सहायता कार्यकर्ताओं के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश होने चाहिए कि वे हिंसा रोकने और उससे निपटने के लिए क्या करें। **महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने वाले क़ानून** और **पोक्सो क़ानून** तथा **अनैतिक कारोबार निवारण अधिनियम** जैसे मौजूदा क़ानूनों को लागू करने की व्यवस्था मज़बूत करना संकट की स्थिति में फंसी कमजोर महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा देने की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है।

व्यापक योजना में **आपात शरणस्थलों का विस्तार** और वन स्टॉप सेंटरों की संख्या बढ़ाना जरूरी है ताकि पीड़ित महिलाओं को तुरन्त सुरक्षा, चिकित्सा सहायता और काउंसलिंग (परामर्श) सेवा प्रदान की जा सके। संवेदनशील मामलों में ऐसी स्थितियों से निपटने में विशेष रूप से प्रशिक्षित **महिला सुरक्षा कार्यबल तैनात** करने से

'यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक-बॉक्स (शी-बॉक्स)'

- एक शिकायत प्रबंधन प्रणाली
- हर महिला को एक ऑनलाइन मंच प्रदान करता है, चाहे उसकी कार्य स्थिति कुछ भी हो
- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों का पंजीकरण।

पीड़ितों में सुरक्षा की भावना बढ़ेगी। फिर, **क़ानून लागू करने वाले अधिकारियों** और **मानवीय कार्यकर्ताओं** को **मिशन शक्ति** जैसे कार्यक्रमों के तहत प्रशिक्षित किया जाए ताकि वे हर मामले को पूरे ध्यान और सावधानी से संभालें। महिलाओं के **नेतृत्व वाली सामुदायिक पुलिस** व्यवस्था पहलों को बढ़ावा देने से विश्वास बढ़ाने और स्थानीय सुरक्षा नेटवर्क को मज़बूत करने में मदद मिलेगी।

सामूहिक कार्यवाही की आवश्यकता

भारत में महिलाओं के प्रति हिंसा से निपटने के लिए ऐसी बहुक्षेत्रीय पहल जरूरी है जिसमें क़ानूनी, सामाजिक, आर्थिक, टेक्नोलॉजिकल और शिक्षण का समेकित हस्तक्षेप शामिल हों। राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवेश बनाने के उद्देश्य से सरकारी एजेंसियों, सिविल सोसाइटी और निजी क्षेत्र से सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। इस अभियान के प्रमुख स्तम्भ हैं - क़ानून लागू करने की मज़बूत व्यवस्था, टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग, सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहन और महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण।

महिलाओं के प्रति हिंसा केवल क़ानून और पुलिस का मुद्दा नहीं है; यह नैतिक और सामाजिक अनिवार्यता है। सामूहिक प्रयासों से हम ऐसे भारत का निर्माण कर सकते हैं जहां हर महिला सम्मान के साथ, सुरक्षित रूप से और हिंसा-मुक्त वातावरण में रह सकती है। ❑

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

नई दिल्ली	पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011-24367260
पुणे	ग्राउंड फ्लोर, कैरियर बिल्डिंग, महादाजी शिंदे, बीएसएनएल, टीई कंपाउंड, क्लब के पास, कैंप	411001	
कोलकाता	8,एस्प्लेनेड ईस्ट	700069	033-22488030
चेन्नई	'ए' विंग, राजाजी भवन, बेसेंट नगर	600090	044-24917673
तिरुवनंतपुरम	प्रेस रोड, गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471-2330650
हैदराबाद	कमरा सं 204, दूसरा तल, सीजीओ टावर, कवाड़ीगुड़ा, सिकंदराबाद	500080	040-27535383
बेंगलुरू	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला	560034	080-25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	0612-2675823
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज	226024	0522-2325455
गुजरात	4-सी, नेप्च्यून टावर, चौथी मंजिल, आश्रम रोड, अहमदाबाद	380009	079-26588669
गुवाहाटी	असम खादीएंड विल्लेज इंडस्ट्रीज बोर्ड कॉम्प्लेक्स, पो.-सिल्पुखुरी, चांदमारी	781003	0361-4083136

कृषि: विकास का मूल आधार

योजना टीम

कृषि की वृद्धि और उत्पादकता को बढ़ावा देना केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रस्तावित विकास उपायों में से एक है। कृषि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई), निवेश और निर्यात के साथ चार शक्तिशाली इंजनों में से एक है। केंद्रीय बजट में कृषि में उत्पादकता और लचीलापन बढ़ाने के लिए प्रस्तावित विशिष्ट उपाय इस प्रकार हैं:

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना - कृषि जिलों का विकास कार्यक्रम

आशापूर्ण जिलों के कार्यक्रम की सफलता से प्रेरित होकर, सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर 'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना' शुरू करेगी। मौजूदा योजनाओं और विशिष्ट उपायों के संयोजन से, यह कार्यक्रम 100 जिलों को कवर करेगा, जिनकी उत्पादकता कम है, फसल की घनता मध्यम है और जो औसत से नीचे के क्रेडिट मापदंडों वाले हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, फसल विविधीकरण और स्थायी कृषि प्रथाओं को अपनाना, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर बाद की फसल भंडारण क्षमता बढ़ाना, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना और दीर्घकालिक और शॉर्ट-टर्म क्रेडिट की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाना है। यह कार्यक्रम 1.7 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाने की संभावना है।

ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन

राज्यों के साथ साझेदारी में एक व्यापक बहु-क्षेत्रीय 'ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन' कार्यक्रम लॉन्च किया जाएगा। यह कृषि में कम रोजगार को कुशलता, निवेश, प्रौद्योगिकी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करके हल करेगा। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त अवसर उत्पन्न करना है ताकि प्रवासन एक विकल्प बने, लेकिन आवश्यकता न हो। यह कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं, युवा किसानों, ग्रामीण युवाओं, छोटे और सीमांत किसानों और भूमिहीन परिवारों पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के लिए उद्यमिता विकास, रोजगार और वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देना; युवा किसानों और ग्रामीण युवाओं के लिए नए रोजगार और व्यवसायों का निर्माण तेजी से करना; उत्पादकता सुधार और गोदामों के लिए कृषि को बढ़ावा देना, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए और भूमिहीन परिवारों के लिए अवसरों का विविधीकरण करना है। वैश्विक और घरेलू सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल किया जाएगा और उपयुक्त तकनीकी और वित्तीय सहायता बहुपक्षीय विकास बैंकों से प्राप्त की जाएगी। चरण-1 में 100 विकासशील कृषि जिलों को कवर किया जाएगा।

पल्सेस (दलहन) में आत्मनिर्भरता

सरकार ने खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल बीज मिशन को लागू किया है। सरकार ने दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास किए और लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त की। किसानों ने आवश्यकतानुसार 50 प्रतिशत अधिक क्षेत्र में फसल उगाई और सरकार ने खरीद और लाभकारी मूल्य की व्यवस्था की। इसके बाद, बढ़ती आय और बेहतर सस्ती

दरों से दालों की खपत में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार 6 साल की 'दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन' लॉन्च करेगी, जिसका विशेष ध्यान तूर, उड़द और मसूर पर होगा। मिशन का उद्देश्य जलवायु प्रतिरोधक बीजों का विकास और वाणिज्यिक उपलब्धता; प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना; उत्पादकता में वृद्धि; बाद की फसल भंडारण और प्रबंधन में सुधार और किसानों को लाभकारी मूल्य की गारंटी देना है। केंद्रीय एजेंसियां भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) अगले 4 वर्षों में किसानों से इन 3 दालों को खरीदने के लिए तैयार रहेंगी, जो इन एजेंसियों के साथ पंजीकरण करवा कर समझौते करती हैं।

सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम

यह उत्साहजनक है कि लोग अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के प्रति अधिक जागरूक हो रहे हैं। यह एक स्वस्थ समाज के बनने का संकेत है। बढ़ती आय स्तर के साथ, सब्जियों, फलों और श्री-अन्न की खपत में महत्वपूर्ण वृद्धि हो रही है। एक व्यापक कार्यक्रम को राज्यों के साथ साझेदारी में उत्पादन, कुशल आपूर्ति, प्रसंस्करण और किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लॉन्च किया जाएगा। कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त संस्थागत तंत्र और किसान उत्पादक संगठनों और सहकारी समितियों की भागीदारी स्थापित की जाएगी।

पीआईबी एक्सप्लेनर

कृषि वित्त में परिवर्तन

केंद्रीय बजट 2025-26 में किसान क्रेडिट कार्ड सुधार

- कृषि और संबद्ध गतिविधियों में भारतीय जनसंख्या का 48.1% हिस्सा कार्यरत है।
- केंद्रीय बजट 2025-26 विशेष रूप से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के माध्यम से कृषि वित्तपोषण को मजबूत करता है।
- केसीसी योजना किसानों को खेती, फसल कटाई के बाद के खर्चों, घरेलू जरूरतों और संबद्ध गतिविधियों के लिए आसान और किफायती ऋण उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है।
- संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत ऋण सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की गई।
- पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के लिए 1.60 लाख रुपये तक के जमानत-मुक्त ऋण का समर्थन करता है।

1/2

ग्रामीण क्रेडिट स्कोर

केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 'ग्रामीण क्रेडिट स्कोर' ढांचा विकसित करेंगे, ताकि स्वयं सहायता समूहों, सदस्यों और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की क्रेडिट आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। ❑

स्रोत : पत्र सूचना कार्यालय

हमारी पत्रिकाएं

योजना
विकास को समर्पित मासिक
(हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू व 10 अन्य भारतीय भाषाओं में)

प्रकाशन विभाग
सूचनाएवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

कुरुक्षेत्र
ग्रामीण विकास पर मासिक
(हिंदी और अंग्रेज़ी)

आजकल
साहित्यएवं संस्कृति का मासिक
(हिंदी तथा उर्दू)

बाल भारती
बच्चों की मासिक पत्रिका
(हिंदी)

घर पर हमारी पत्रिकाएं मंगाना है काफी आसान...

आपको सिर्फ नीचे दिए गए 'भारत कोष' के लिंक पर जा कर पत्रिका के लिए ऑनलाइन डिजिटल भुगतान करना है-
https://bharatkosh.gov.in/Product/Product

सदस्यता दरें

प्लान	योजना या कुरुक्षेत्र या आजकल		बाल भारती	
वर्ष	साधारण डाक	ट्रैकिंग सुविधा के साथ	साधारण डाक	ट्रैकिंग सुविधा के साथ
1	₹ 230	₹ 434	₹ 160	₹ 364

ऑनलाइन के अलावा आप डाक द्वारा डिमांड ड्राफ्ट, भारतीय पोस्टल आर्डर या मनीआर्डर से भी प्लान के अनुसार निर्धारित राशि भेज सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट, भारतीय पोस्टल ऑडर या मनीआर्डर **"अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय"** के पक्ष में नई दिल्ली में देय होना चाहिए।

अपने डीडी, पोस्टल आर्डर या मनीआर्डर के साथ नीचे दिया गया "सदस्यता कूपन" या उसकी फोटो कॉपी में सभी विवरण भरकर हमें भेजें। भेजने का पता है-
संपादक, सर्कुलेशन (प्रसार) एकांश, प्रकाशन विभाग, कक्ष सं. 779, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
अधिक जानकारी के लिए ईमेल करें- pdjucir@gmail.com
हमसे संपर्क करें- फोन : **011-24367453** (सोमवार से शुक्रवार सभी कार्य दिवस पर प्रातः साढ़े नौ बजे से शाम छह बजे तक)

कृपया नोट करें कि सदस्यता शुल्क प्राप्त होने के बाद सदस्यता शुरू होने में कम से कम आठ सप्ताह लगते हैं। कृपया इतने समय प्रतीक्षा करें और पत्रिका न मिलने की शिकायत इस अवधि के बाद करें।

सदस्यता कूपन (नई सदस्यता/नवीकरण/पते में परिवर्तन)

कृपया मुझे 1 वर्ष के प्लान के तहत .... पत्रिका .... भाषा में भेजें।

नाम (साफ व बड़े अक्षरों में) ....

पता : ....

.... ज़िला .... पिन ....

ईमेल .... मोबाइल नं. ....

डीडी/पीओ/एमओ सं. .... दिनांक .... सदस्यता सं. ....

एनईपी 2020 के बढ़ते कदम : सुगम्यता और समावेशिता को बढ़ावा

न्यू इंडिया समाचार रिसर्च टीम

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 बच्चों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास के लिए एक प्रेरणादायी वातावरण बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है जिसमें बुनियादी शिक्षा और आवश्यक जीवन कौशल पर ज़ोर दिया जाता है। 'निपुण भारत मिशन' स्पष्ट लक्ष्य, अभिनव शिक्षाशास्त्र, ग्रामीण प्रभावशीलता और शिक्षक प्रशिक्षण को शामिल करके इसको बढ़ावा देता है। वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (एएसईआर) 2024 बुनियादी कौशल में महत्वपूर्ण सुधारों पर प्रकाश डालता है जिसमें सरकारी स्कूलों की तीव्र प्रगति और दाखिला दर का उच्चतम स्तर शामिल है। ग्रामीण किशोर वर्ग में बेहतर बुनियादी ढांचा और डिजिटल साक्षरता इन उपलब्धियों में योगदान करती है। उच्च आंगनवाड़ी दाखिला वाले राज्य बेहतर आरंभिक बाल्यावस्था विकास दर्शाते हैं। एनईपी और निपुण भारत मिशन अध्ययन की कमियों को दूर करने और विकसित भारत@2047 के लिए भारत की मानव पूंजी प्रतिस्पर्धात्मकता को सुनिश्चित करने के लिए युक्तिपूर्ण निवेश हैं।

प्रारंभिक शिक्षा में बच्चों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास के लिए एक प्रेरणादायी परिवेश उनकी भावी सफलता को अत्यंत प्रभावित करता है। हालांकि शोध इस बात को रेखांकित करते हैं लेकिन भारत ऐतिहासिक रूप से इस तरह का आधारभूत अवलंब प्रदान करने में विफल रहा है।

इस अंतर को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 ने मज़बूत आधारभूत शिक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया। यह छात्रों को रटने से परे महत्वपूर्ण जीवन कौशल से लैस करने पर केंद्रित है।

लक्ष्य स्पष्ट है: दीर्घकालिक शैक्षिक और सामाजिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए समय पर और समझदारी से निवेश करें, कम उम्र से ही शिक्षा की समावेशिता और पहुंच के प्रति प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करें।

इस समग्र दृष्टिकोण का उद्देश्य पिछली कमियों को दूर करना है, ऐसे वातावरण को बढ़ावा देना है जहां हर बच्चा फल-फूल सके। एनईपी का उद्देश्य शैक्षिक असमानताओं के चक्र को भंग करना है विशेष रूप से वंचित छात्रों के लिए।

इसका परिणाम दोनों पक्षों के लिए जीत है – सशक्त छात्र और कुशल मानव पूंजी वाला एक मज़बूत राष्ट्र जो तेज़ी से विकसित हो रही जटिल वैश्विक अर्थव्यवस्था की मांगों को पूरा कर रहा है।

एनईपी की सफलता को बेहतर दाखिला दर, अध्ययन के परिणामों और कुशल कार्यबल के आधार के रूप में मापा जा सकता है। ये नतीजे वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट(एएसईआर) सर्वेक्षण में भी दर्ज किए गए हैं जो देश भर के घरों में सर्वेक्षण करता है और ग्रामीण भारत में बच्चों के दाखिले और अध्ययन के नतीजों की स्थिति को दर्शाता है। एएसईआर का अंतर्दृष्टिपूर्ण विश्लेषण

अतीत में बुनियादी कौशल पर एनइपी के फोकस को लागू करने की तत्काल आवश्यकता की ओर इशारा करता रहा है।

परिणाम

एएसईआर 2024 यह रेखांकित करता है कि प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में छात्र महामारी के व्यवधान से उबरने के अलावा आधारभूत कौशल में अपने महामारी-पूर्व के साथियों से भी आगे निकल गए हैं।

सरकारी स्कूलों ने निजी स्कूलों की तुलना में आधारभूत कौशल में तेज़.प्रगति का प्रदर्शन किया है।

20 वर्षों में 6-14 आयु वर्ग के दाखिल हुए बच्चे 2024 में 98.1% पर अपने उच्चतम स्तर पर हैं।

2024 में कक्षा एक में अल्पवय के बच्चों की संख्या एनईपी आचार के अनुरूप **16.7% पर अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई है।**

इस परिवर्तन को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण योगदान निपुण भारत मिशन का रहा है। इसमें शामिल हैं:

- **स्पष्ट लक्ष्यः** विशिष्ट आधारभूत कौशल संबंधी उपलब्धियां हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **अभिनव शिक्षाशास्त्रः** शिक्षा को आकर्षक बनाने के लिए खिलौना-आधारित और अनुभवजन्य अध्ययन को प्रोत्साहित करता है।
- **ग्रामीण प्रभावशीलताः** अध्ययन के अंतर को पाटता है जहां पारंपरिक तरीके कम पड़ते हैं।
- **शिक्षक प्रशिक्षणः** शिक्षकों को संदर्भ-विशिष्ट, प्रभावी शिक्षण युक्तियों से लैस करने के लिए गहन कार्यक्रम प्रदान करता है।

मुख्य रुझान

1. **मज़बूत जड़ेंः प्री-प्राइमरी दाखिले में लगातार वृद्धि**

- प्रीस्कूल स्तर पर **3-5 आयु वर्ग के लिए कवरेज में काफ़ी सुधार हुआ है जो 70% से अधिक है ।**
- यह सुनिश्चित करता है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा का कोई न कोई प्रकार सभी के लिए सुलभ है जो एक उल्लेखनीय उत्साहजनक प्रवृत्ति है।
- महामारी के बाद दाखिले की दर में स्थिरता आ गई है जो **3-5 आयु वर्ग में 2018-24 से स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या में गिरावट से प्रकट** होता है।

2. **आंगनवाड़ी की अगुवाईः प्रारंभिक शिक्षा का आधार**

- यह प्रवृत्ति अद्भुत है क्योंकि आंगनवाड़ी माता-पिता के लिए अधिक प्रत्यक्ष संबंध सुनिश्चित करती है। **यह पोषण, टीकाकरण और स्वस्थ बाल्यावस्था तक बेहतर पहुंच की गारंटी देता है।**
- ऐसे राज्य जहां आंगनवाड़ी दाखिला दर बहुत अधिक हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास को मज़बूत करने के लिए बेहतर स्थिति में हैं।

3. **स्मार्ट और सुरक्षितः किशोर डिजिटल साक्षरता को अपना रहे हैं**

- उपरोक्त घटक को मापने का पहला प्रयास दिखाता है कि **90% से अधिक ग्रामीण किशोरों के पास स्मार्टफोन की सुविधा** है।
- वे शिक्षा से संबंधित ऑनलाइन जानकारी खोजने जैसे कार्यों को करने में सहज हैं और सुरक्षा फीचरों के बारे में जानते हैं।

4. **मज़बूत स्कूलः बुनियादी ढांचे में सुधार की दिशा में काम चल रहा है**

- महामारी के मद्देनजर स्कूलों में बेहतर स्वच्छता और सफाई सुविधाएं उपलब्ध हैं।
- बेहतर बुनियादी ढांचे और कक्षा के हालातों ने उपस्थिति में सुधार किया है और शिक्षकों और छात्रों के बीच बेहतर संबंधों को बढ़ावा दिया है। परिणामस्वरूप अध्ययन परिणामों में सुधार हुआ है।

5. **डबल इंजन राज्यों में उल्लेखनीय प्रदर्शन**

- उत्तर प्रदेश ने 20 वर्षों में साक्षरता और पठन कौशल में उल्लेखनीय सुधार दिखाया।
- मध्य प्रदेश ने साक्षरता और संख्यात्मकता में वृद्धिपरक प्रगति दिखाई, **2024 तक स्कूलों में बिजली की पहुंच लगभग 90% तक बढ़ गई।**
- गुजरात ने लगातार बुनियादी स्तरों पर मज़बूत प्रदर्शन किया।

निष्कर्ष

इन परिणामों ने भारत को प्रगति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने में सक्षम बनाया है। अगले पांच वर्षों में वंचित बच्चों को प्रदान की गई सहायता अगले पच्चीस वर्षों के लिए राष्ट्र की दिशा तय करेगी। महामारी के बाद स्कूलों के फिर से खुलने से राज्यों में उत्साहपूर्ण प्रयास देखने को मिले जिससे पहुंच, समावेशिता और बुनियादी अध्ययन के परिणाम बढ़े।

चुनौतीपूर्ण समय के दौरान बच्चों को स्कूल में रखने का दृढ़ संकल्प सरकार की कारगर नीतियों के प्रभाव को रेखांकित करता है। यह दर्शाता है कि निपुण भारत मिशन के साथ एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में एनइपी केवल एक शिक्षा सुधार ही नहीं है बल्कि अध्ययन की कमियों को दूर करने, **विकसित भारत@2047** के लिए भारत की मानव पूंजी प्रतिस्पर्धात्मकता को सुरक्षित करने के लिए युक्तिपूर्ण निवेश हैं। ❑

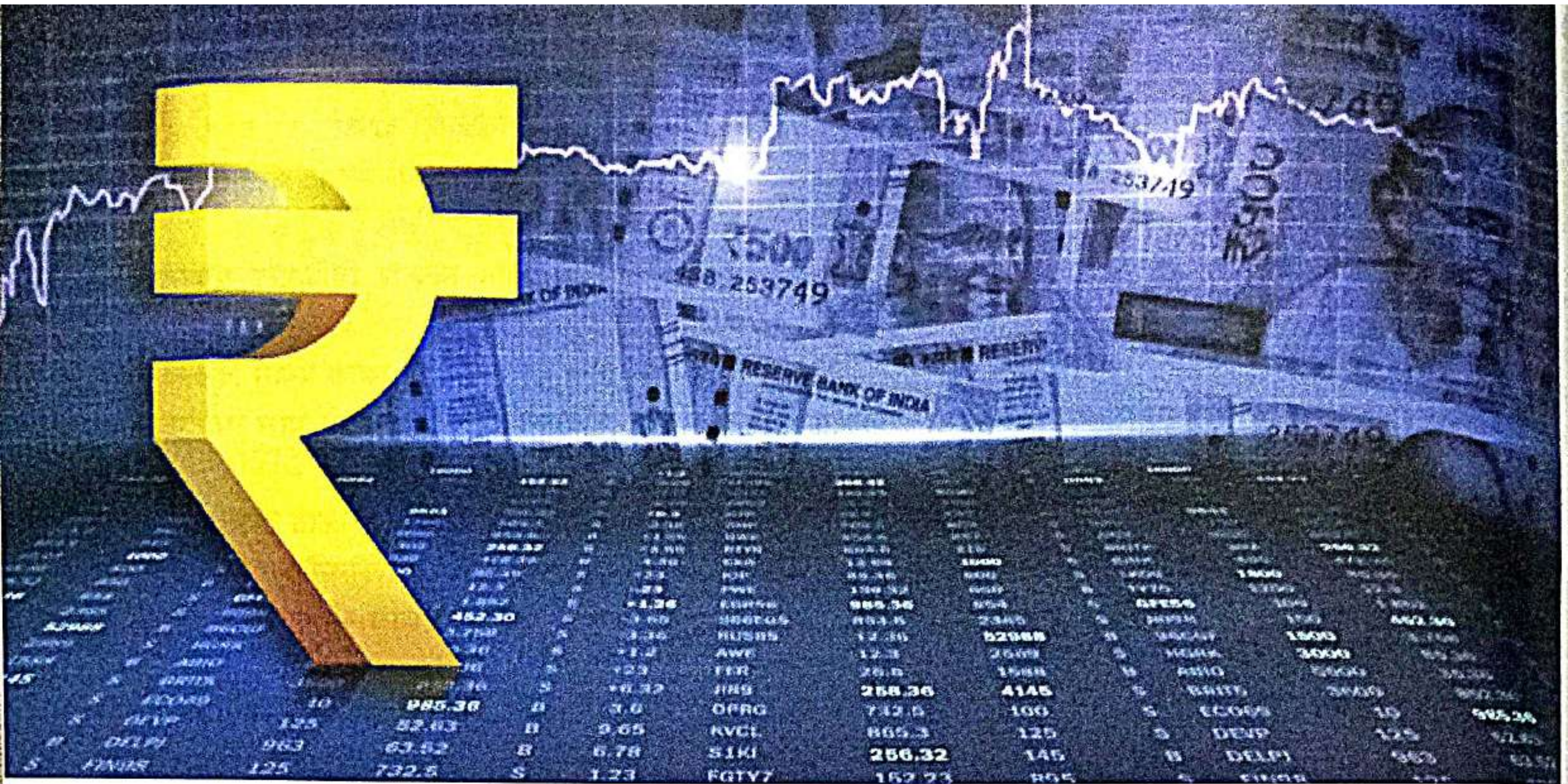

निवेशः विकास का वाहक

डॉ अमिया कुमार महापात्र | प्रोफ़ेसर एवं डीन (अनुसंधान), जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट, इंदौर।
ईमेलः amiyacademics@gmail.com

केंद्रीय बजट 2025-26 में 'कृषि, सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम (एमएसएमई), निवेश और निर्यात' को विकास के प्रमुख वाहक यानी इंजन के रूप में रेखांकित किया गया है। इसमें मानव संसाधन, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश पर ज़ोर दिया गया है। सरकार ने निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान एवं विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। पीएम स्वनिधि योजना को नया रूप देने का प्रस्ताव रखा गया है और अवसंरचना-आधारित विकास को प्राथमिकता दी गई है। पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में रोज़गार-सृजन को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। बजट में समावेशी और सतत विकास हेतु 'विकसित भारत-2047' दृष्टिकोण पर विशेष ध्यान दिया गया है।

केंद्रीय बजट 2025-26 में 'कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात' को विकास यात्रा के शक्तिशाली इंजनों के रूप में महत्व दिया गया है। इसमें 'हमारे सुधार' ईंधन के रूप में कार्य करते हैं, 'समावेशिता' मार्गदर्शक सिद्धांत है, और 'विकसित भारत' गंतव्य है। चार-इंजन विकास मॉडल को इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि यह कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करे, ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा दे, एमएसएमई को सशक्त बनाए, मानव संसाधन, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश करे, निर्यात को बढ़ावा दे, और भारतीय नागरिकों के समग्र कल्याण को समावेशी दृष्टिकोण के साथ सुनिश्चित करे। प्रत्येक इंजन का अपना एक प्रेरक तत्व है, जो राष्ट्र के समग्र विकास में योगदान देता है। इस बजट का विकास एजेंडा **'ज्ञान फ्रेमवर्क'** (गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी) पर केंद्रित है, जो भारत के समावेशी, समग्र और सतत विकास को प्रोत्साहित करता है।

विकास का इंजन: निवेश

लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश केवल आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए ही नहीं, बल्कि भारत की सामाजिक-आर्थिक विकास गाथा में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए भी आवश्यक है। इस बजट में 'विकास के तीसरे इंजन के रूप में निवेश' को विशेष महत्व दिया गया है, जो मुख्य रूप से तीन महत्वपूर्ण स्तंभों पर आधारित है—लोगों में निवेश, अर्थव्यवस्था में निवेश और नवाचार में निवेश।

लोगों में निवेश

नागरिकों की पसंद और क्षमताओं का विस्तार ही जन-केंद्रित शासन की नींव है, और नीतियों के केंद्र में लोगों को रखना सभी प्रकार के विकास एजेंडा के लिए अनिवार्य है। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लोगों की प्रगति और बेहतर जीवन स्तर हेतु निवेश के लिए विशेष बजट प्रावधान किया है। सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य आदि के लिए विभिन्न विकास उपायों/योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रस्ताव रखा है, जिससे सकारात्मक परिवर्तन और सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके। जीवन की गुणवत्ता को परिभाषित करने वाले स्वास्थ्य और शिक्षा को इस बजट में विशेष महत्व दिया गया है, ताकि सुलभता एवं नवाचार के माहौल आदि में सुधार लाकर हर वर्ग के लोगों का कल्याण सुनिश्चित किया जा सके।

my GOV
मेरी सरकार

#ViksitBharat**Budget2025**

भारत की अनुसंधान क्रांति जारी है

अनुसंधान, विकास और नवाचार में निवेश

जुलाई बजट में निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार पहल के लिए 20,000 करोड़ रुपये की घोषणा की गई।

पीएम रिसर्च फेलोशिप

आईआईटी और आईआईएससी में तकनीकी अनुसंधान के लिए अगले 5 वर्षों में 10,000 फेलोशिप।

सरकार ने अगले 5 वर्षों में विभिन्न सरकारी स्कूलों में 50,000 'अटल टिंकरिंग लैब' स्थापित करने की घोषणा की है, जिससे युवाओं में जिज्ञासा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जा सके। पिछले दस वर्षों में, 23 आईआईटी में विद्यार्थियों की कुल संख्या 65,000 से बढ़कर लगभग दोगुना 1 लाख 35 हज़ार हो गई है। इसके अलावा, सरकार ने 5 आईआईटी के बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने का प्रस्ताव दिया है, जिससे आने वाले वर्षों में 6,500 और विद्यार्थियों को समायोजित किया जा सके।

'भारतीय भाषा पुस्तक योजना' भी शुरू की गई है, जो स्कूलों और कॉलेजों के लिए डिजिटल भारतीय भाषा पुस्तकों की मदद से सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाएगी। यह भारतीय भाषाओं में सीखने को बढ़ावा देकर हमारे सामाजिक-सांस्कृतिक ताने-बाने को मज़बूत करेगी।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की भूमिका को ध्यान में रखते हुए, इस बजट में शिक्षा के क्षेत्र में एक 'एआई उत्कृष्टता केंद्र' की स्थापना हेतु 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी तरह, वैश्विक विशेषज्ञता एवं भागीदारी के साथ पाठ्यक्रम, प्रशिक्षकों और प्रमाणन ढांचे आदि में कौशल के लिए 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है ताकि भारतीय युवा निर्माण क्षेत्र में देश-दुनिया में उल्लेखनीय योगदान दे सकें।

पिछले 10 वर्षों में चिकित्सा (यूजी और पीजी) सीटों में 130% वृद्धि के बाद, इस वर्ष मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जा रही हैं। अगले 5 वर्षों में 75,000 सीटें बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कैंसर उपचार में सुधार के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं, जिसके तहत अगले 3 वर्षों में प्रत्येक जिले में डे-केयर कैंसर केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिनमें से 200 केंद्र 2025-26 में ही बनेंगे। इसके अलावा, जीवन रक्षक कैंसर दवाओं को सीमा शुल्क और अन्य करों से मुक्त कर दिया गया है, जिससे वे अधिक किफायती और सुलभ हो सकें। लोगों में निवेश के हिस्से के रूप में, 'सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रम' के तहत सरकार आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 8 करोड़ बच्चों, 1 करोड़ गर्भवती और स्तनपान कराने वाली

माताओं, तथा 20 लाख किशोरियों को पोषण सहायता प्रदान कर रही है।

'पीएम स्वनिधि योजना' को नया रूप दिया जा रहा है, जिसमें क्षमता निर्माण सहायता और यूपीआई से जुड़ा क्रेडिट कार्ड शामिल होगा, जिसकी सीमा 30,000 रुपये तक होगी। इसके अतिरिक्त, सरकार ने 1 करोड़ गिग वर्कर्स (फ्रीलांस या अनुबंध पर काम करने वालों) हेतु पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल सहायता के साथ पंजीकरण और पहचान पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाया है, जिससे पीएम जन आरोग्य योजना के तहत मिलेगी। यह गिग वर्कर्स के आर्थिक योगदान को मान्यता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। शहरी गरीबों और कमज़ोर वर्गों की आजीविका और जीवन स्तर सुधारने के लिए शहरी श्रमिकों के सामाजिक उत्थान की एक योजना लागू की जाएगी।

केंद्र सरकार का मुख्य ध्यान प्रौद्योगिकी/एआई का उपयोग करके युवाओं की शिक्षा और कौशल विकास हेतु प्रणाली का निर्माण करना और साथ ही समग्र स्वास्थ्य शिक्षा तथा प्रबंधन प्रणाली के एकीकृत विकास हेतु प्रतिबद्ध रहना है। ये प्रयास युवा शक्ति (डेमोग्राफिक डिविडेंड) का पूरा लाभ उठाने में मदद करेंगे और भारत के सतत विकास को सुनिश्चित करेंगे।

#ViksitBharat**Budget2025**

"यह बजट कृषि क्षेत्र को सशक्त करेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा

केंद्रीय बजट 2025 पर प्रधानमंत्री की टिप्पणी
1 फरवरी 2025

अर्थव्यवस्था में निवेश

अवसंरचना-आधारित विकास को इसके गुणक प्रभावों को देखते हुए तेज़ आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए, बजट में प्रस्ताव रखा गया है कि प्रत्येक अवसंरचना-संबंधित मंत्रालय 3-वर्षीय परियोजनाओं की संपूर्ण रूपरेखा तैयार करेगा, जिसे सार्वजनिक-निजी भागीदारी प्रारूप में लागू किया जा सकेगा। अवसंरचना विकास के लिए, विभिन्न राज्यों में पूंजीगत व्यय और सुधार प्रोत्साहन का समर्थन करने हेतु 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 1 लाख 50 हज़ार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने बहु-क्षेत्रीय सुधारों का प्रस्ताव दिया है, जिसमें सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना, परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजनाओं का समर्थन, खनन क्षेत्र में सुधार आदि शामिल हैं, जिससे राज्यों की अवसंरचना को सशक्त किया जा सके। इसी तरह, परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना 2025-2030 के तहत आवश्यक धन एवं नियामक समर्थन के साथ 10 लाख करोड़ रुपये की पूंजी कोई नई परियोजनाओं में पुनर्निवेशित करने का प्रस्ताव रखा गया है।

शहरीकरण के विकास और महत्व को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपये के 'शहरी चुनौती कोष' के स्थापना की योजना बनाई है, जो 'विकास केंद्रों के रूप में शहरों' की अवधारणा को लागू करने में सहायता करेगी। इसके लिए बजट 2025-26 में 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 'सस्ते और मध्यम-आय वर्गीय आवास के लिए विशेष सुविधा (स्वामी)' की सफलता को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने 15,000 करोड़ रुपये के स्वामी कोष 2 की स्थापना करने का निर्णय लिया है, जिससे 1 लाख आवासीय इकाइयों का निर्माण पूरा किया जा सके। प्रमुख कार्यक्रम- जल जीवन मिशन को इस बजट में 67,000 करोड़ रुपये की विशेष धनराशि दी गई है और इसकी समयसीमा 2028 तक बढ़ा दी गई है, ताकि शत-प्रतिशत घरों में नल कनेक्शन हो। इस योजना के तहत, 2019 से अब तक 15 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से पेयजल की सुविधा प्रदान की गई है, जो कि ग्रामीण आबादी के 80% का प्रतिनिधित्व करते हैं।

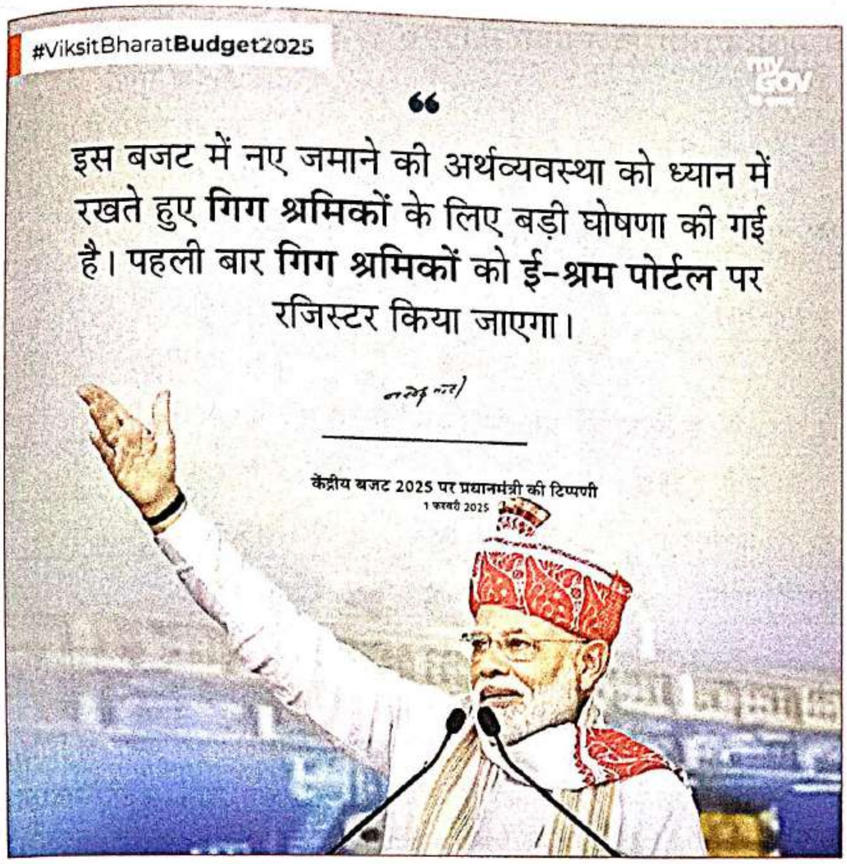

प्रस्ताव रखा गया है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय संपर्क को 120 नए स्थानों तक विस्तारित करना है, जिससे अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ यात्रियों को सुविधा मिल सकेगी। भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना का प्रस्ताव भी रखा गया है। इसके अलावा, पश्चिमी कोसी नहर ईआरएम परियोजना को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में किसानों और भूमि मालिकों को लाभ मिलेगा।

ऊर्जा साझा करने की रणनीतियों के हिस्से के रूप में, राज्यों में ऊर्जा क्षेत्र के सुधारों को बढ़ावा दिया गया है, जिससे विद्युत कंपनियों की क्षमता और वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। 'परमाणु ऊर्जा मिशन' के लिए 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों (एसएमआर) के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। आशा है कि 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से विकसित एसएमआर चालू हो जाएंगे। खनन क्षेत्र में सुधारों को बढ़ावा देने के लिए सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करने और एक राज्य खनन सूचकांक स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा, निजी क्षेत्र को उनकी परियोजनाओं की योजना और कार्यान्वयन में सहायता के लिए पीएम गतिशक्ति डेटा और नक्शे तक पहुंच प्रदान की जाएगी।

वित्त मंत्रालय ने पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्रों में युवाओं को सघन कौशल और प्रशिक्षण प्रदान करके रोज़गार-उन्मुख विकास पर विशेष ध्यान दिया है। पर्यटन आधारित विकास उपायों में प्रशिक्षण और विकास, मुद्रा ऋण को आसान बनाना, यात्रा और पर्यटन स्थलों तक पहुंच को आसान बनाना, पर्यटक सुविधाओं का विकास, स्वच्छता आदि शामिल हैं। इस पहल के तहत, शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों को राज्यों के सहयोग से विकसित किया जाएगा, जिनमें आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व के स्थान भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 'मेडिकल टूरिज्म और हील इन इंडिया' पहल को निजी क्षेत्र के सहयोग से बढ़ावा दिया जाएगा।

इस बजट में समुद्री उद्योग के लिए दीर्घकालिक वित्तीय सहायता हेतु 25,000 करोड़ रुपये की निधि के साथ 'समुद्री विकास कोष' की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। इसके साथ ही अतिरिक्त अवसंरचना सुविधाएं, कौशल विकास और प्रौद्योगिकी सहित 'जहाज निर्माण क्लस्टर' स्थापित करने की योजना बनाई गई है, जिससे संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित हो सके। जहाज निर्माण वित्तीय सहायता नीति को नया रूप दिया जाएगा, जिससे लागत में हो रही असमानताओं को दूर किया जा सके और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जा सके।

उड़ान योजना की सफलता को देखते हुए जिसके तहत 1 करोड़ 5 लाख मध्यमवर्गीय भारतीयों ने 88 हवाई अड्डों और 169 मार्गों पर यात्रा की, एक संशोधित उड़ान योजना शुरू करने का

नवाचार में निवेश

नवाचार सामाजिक-आर्थिक विकास और ज्ञान सृजन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनुसंधान और विकास, सतत नवाचार के लिए अनिवार्य घटक हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान, विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। एक नई पहल के रूप में, सरकार ने अगली पीढ़ी के स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए अत्यधिक प्रौद्योगिकी केंद्रित 'फंड ऑफ फंड्स' की व्यवस्था की है। इसके अलावा, अगले 5 वर्षों में आईआईटी और आईआईएससी में प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए 10,000 पीएम रिसर्च फेलोशिप प्रदान की जाएंगी, जिसमें वित्तीय सहायता को और बढ़ाया जाएगा। ये पहल देश में नवाचार संस्कृति को बढ़ावा देने की सरकार की इच्छा और स्पष्ट दृष्टिकोण को दर्शाती हैं।

'ज्ञान भारतम मिशन' के तहत, हमारे प्राचीन पांडुलिपि विरासत के दस्तावेजीकरण और संरक्षण की योजना बनाई

तालिका 1:लोगों, अर्थव्यवस्था एवं नवाचार में निवेश

क्रम	योजनाएं एवं विवरण	बजट में राशि (करोड़ रुपये में)
1	शिक्षा हेतु एआई में उत्कृष्टता केंद्र	500
2	अवसंरचना के लिए राज्य (पूंजी व्यय हेतु 50 वर्ष का ब्याज मुक्त ऋण)	1,50,000
3	परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना 2025-30 (लाभ पुनर्निवेश)	10,00,000
4	शहरी चुनौती कोष (शहर विकास के केंद्र)	1,00,000
5	विकसित भारत हेतु परमाणु ऊर्जा मिशन (छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों का अनुसंधान एवं विकास)	20,000
6	समुद्री विकास कोष (दीर्घकालिक वित्तीय सहायता के लिए राशि)	25,000
7	स्वामी कोष 2 (1 लाख आवासीय इकाइयों को पूरा करना)	15,000
8	निजी क्षेत्र संचालित अनुसंधान, विकास एवं नवाचार पहल	20,000

स्रोतः लेखक द्वारा विभिन्न बजट दस्तावेज़ 2025-26 से संकलित।

गई है, जिसमें 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को शैक्षणिक संस्थानों, पुस्तकालयों, संग्रहालयों और निजी संग्रहकर्ताओं के माध्यम से संरक्षित किया जाएगा। इसके साथ ही, सरकार 'भारतीय ज्ञान प्रणाली का एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार' स्थापित करेगी, जिससे ज्ञान को साझा किया जा सकेगा और अभिलेखों को संरक्षित किया जा सकेगा। बेहतर डेटा प्रबंधन और शहरी नियोजन को सुगम बनाने के लिए, वित्त मंत्री ने 'राष्ट्रीय भू-स्थानिक (जियोस्पेशियल) मिशन' शुरू करने का प्रस्ताव रखा है, जो विभिन्न शहरों और नगरों में एक मज़बूत भू-स्थानिक डेटा अवसंरचना विकसित करेगा। यह मिशन नीति-निर्माताओं और नियामकों को भूमि का अभिलेख रखने, बेहतर शहरी नियोजन करने और सटीक अवसंरचना परियोजनाओं को डिज़ाइन करने में सहायता करेगा।

बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने भारत में दूसरा जीन बैंक स्थापित करने की योजना बनाई है, जिसमें 10 लाख जर्मप्लाज्म लाइनों जिसमें बीज, पौधे, या पौधों के भाग शामिल होते हैं का भंडारण किया जाएगा। यह सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

'भविष्य के भारत-2047' के लिए मार्ग और रूपरेखा

केंद्रीय बजट 2025-26 ने विभिन्न रणनीतिक प्राथमिकताओं पर विशेष ज़ोर दिया है, जिसमें कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात संवर्धन को प्राथमिकता दी गई है। विकास के तीसरे इंजन के रूप में निवेश का उद्देश्य लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश करना है, जिससे सामाजिक कल्याण को बढ़ावा मिले और राष्ट्र की आर्थिक प्रगति को गति मिले। इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास, अवसंरचना विकास और नवाचार को दीर्घकालिक विकास को गति देने और अनिश्चितताओं को सहने में भारत का सामर्थ्य सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकता दी गई है।

कुल मिलाकर बजट ख्य रूप से 'विकसित भारत-2047' के दृष्टिकोण पर केंद्रित है, जो भारतीय अर्थव्यवस्थता के समावेशी, समग्र और सतत विकास को बढ़ावा देता है। यह लक्ष्य तभी प्राप्त किया जा सकता है जब गरीबी न हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, किफायती और व्यापक स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में अच्छा जीवनस्तर हो; और महिलाओं, कुशल श्रमिक तथा कृषि समुदाय जैसे प्रमुख वर्गों की विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में सार्थक एवं सक्रिय भागीदारी हो। भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जिसका श्रेय इसकी योजनाबद्ध विकास प्रक्रिया और 'सबका साथ, सबका विकास' के सिद्धांतों पर आधारित संरचनात्मक सुधारों को जाता है। यही दर्शन 'विकसित भारत' की नींव है। इस विचारधारा का मूल सिद्धांत है कि 'सच्चा विकास' केवल तभी संभव है जब भारत जैसी विशाल अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों का 'एकीकृत और सतत विकास हो, और इसके लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचें।' यह भव्य लक्ष्य सभी प्रमुख हितधारकों की गहरी/सक्रीय भागीदारी एवं समावेशी विकास से ही संभव हो सकता है। संक्षेप में, जब नागरिक सशक्त होंगे और समृद्ध होंगे, तभी भारत 'विश्वमानव मॉडल' के रूप में वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी पहचान स्थापित कर पाएगा। ❑